Monday, 03 April, 1972

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 15, सोमवार, 3 अप्रैल, 1972/14 चैत्र, 1894 (शक)

No. 15, Monday, April 3, 1972/Chaitra 14, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
221 बड़े शहरों में गृह निर्माण सामग्री के खुदरा मूल्यों में वृद्धि	Increase in Retail Prices of Building Materials in big Cities	1–4
224 केन्द्रीय विद्यालय	Central Schools	4—5
225 बड़े शहरों में वायु दूषण का रोका जाना	Checking of Air Pollution in Big Cities	5—7
227 उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry in U.P.	7—10
228 देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य का स्तर	Standard of National Health in the Country	10—12
231 समान भूमि सुधारों के लिये विधान	Legislation for Uniform Land Reforms	12—14
232 मुख्य बन्दरगाहों पर मत्स्य नोकाओं के लिये सुविधाओं की व्यवस्था	Facilities for Fishing Vessels at Major Harbours	14—15
236 दूध का मूल्य निर्धारित करने की नीति	Pricing Policy for Milk	15–16
240 नसबन्दी आपरेशनों के कारण मृत्यु	Deaths due to Vasectomy Operations	16—19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
222 दिल्ली में प्राइवेट और मिनी बस सेवा	Private and Mini Bus Services in Delhi	19—20
223 रत्नाकर शिपिंग कम्पनी के लिये मंजूर किया गया ऋण	Loan sanctioned to Ratnakar Shipping Company	20
226 त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	Three Year Degree Course	20
229 भारत से ब्रिटेन और योरूपीय बन्दरगाहों को खली ले जाने के भाड़े की दरें	Oil cake Freight Rates from India to the United Kingdom and Continental Ports	20—21
230 गेहूं का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के लिये पंजाब सरकार का अनुरोध	Requests from Punjab Government to Increase the Floor Price of wheat	21
233 खाद्यान्नों, कपास: सरसों, मूंगफली, सौयाबीन आदि के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of Food-grains, Cotton, Mustard, Groundnut and Soyabean	21--22
234 चीनी के उत्पादन और मूल्यों में उतार चढ़ाव	Fluctuations in Sugar Production and Price	22—23
235 शिक्षकों को रोजगार वेतन की योजना	Scheme for Employment of Teachers	23—24
237 गूंगों और बहरों के लिए स्कूल	Deaf and Dumb Schools	24
238 चिकित्सा शिक्षा में सुधार	Modification of Medical Education	24—26
239 फसल के आने से पूर्व खाद्यान्नों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई कार्यवाही	Steps taken by FCI to stop Pre-Harves rise in Price of Foodgrains	26
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
1607 काजू अनुसंधान संस्था की स्थापना	Establishment of Cashew Research Institute	26
1608 जन स्वास्थय से सम्बधित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी	Shortage of Trained Personnel in Laboratories connected with Public Health	26—27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1609	नई दिल्ली के आय कर कार्यालय के निकट पुल का उपयोग	Use of Bridge near Income Tax Office, New Delhi	27
1610	डेरा इस्माइल खां गृह निर्माण समिति, दिल्ली को आवंटित भूमि का विकास	Development of land Allotted to Dera Ismail Khan House Building Society Delhi	27–23
1611	मध्य प्रदेश के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश से प्रतिवेदन	Report from Madhya Pradesh regarding scarcity hit areas	23
1612	मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में अभाव की स्थिति	Scarcity Conditions in Rewa Region, Madhya Pradesh	28—29
1613	संसद भवन में खान-पान की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे दूध की शुद्धता को उचित स्तर तक लाने के लिये कार्यवाही	Steps to bring Standards of Purity of Milk up to the mark in Catering Establishments in Parliament House	29—30
1614	गुजरांवाल हाऊस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली द्वारा राशि का वसूल किया जाना	Realising of Amount by the Gujranwala House Building Co-operative Society, Delhi	30
1615	गुजरावाला हाऊस बिल्डिंग कोअपरेटिव सोसाइटी दिल्ली द्वारा काटे गये प्लाट	Plots carved out by the Gujrawala House Building Cooperative Society, Delhi	30—31
1616	नई दिल्ली में डी. आई. जेड. एरिया, के सैक्टर डी. में गैरेजों का दुरुपयोग	Misuse of Garages in Sector 'D' of DIZ Area in New Delhi	31
1617	अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के अन्तर्गत सिटरस डाई बैंक का उपकेन्द्र	Sub-Station under All India Coordinated Project for Citrus Die Back	31—32
1618	केरल में दाल अनुसंधान	Pulse Research in Kerala	32
1619	केरल में दुग्ध संरक्षण संयंत्र	Milk Conservation Project in Kerala	32
1620	पालोद (केरल) में खजूर तेल अनुसंधान केन्द्र	Oil Palm Research Station in Palode Kerala	32
1621	केरल में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान को आवंटित की गई भूमि	Land Allotted for Central Research Institute in Kerala	32—33

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1622	नई दिल्ली में जूनियर इंजिनियरों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Junior Engineers in New Delhi	33—34
1623	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जुनियर इन्जीनियरों की पदोन्नति	Promotion of Junior Engineers in C.P.W.D,	34—35
1624	आन्ध्र प्रदेश में एकाधिकार क्रेताओं द्वारा तम्बाकू के मूल्य में कमी	Reduction in Price of Tobacco by Monopoly Purchasers in Andhra	35—36
1625	नगरीय क्षेत्रों में बच्चों और युवकों के लिये समेकित सेवाओं का कार्यक्रम	Programme of Integrated Services for children and Youth in Urban Areas	36
1626	कृषकों की अधिकतम आय	Maximum Income of Agriculturists	36
1627	उड़ीसा सरकार द्वारा परादीप पत्तन न्यास में नियुक्तियां	Appointments in Paradip Port Trust by Orissa Government	36—37
1628	परादीप पत्तन न्यास में उप-सहायक इन्जीनियर को खपाना	Absorption of Sub-Assistant Engineers in Paradip Port Trust	37
1629	आन्ध्र में तम्बाकू की आपाती बिक्री (डिस्ट्रैस सेल)	Distress Sale of Tobacco in Andhra Pradesh	38
1630	प्रतिनिधिमंडल भेजने की बजाय अकेले अधिकारी का अमरीका का दौरा	Visit of a Single Officer to U.S.A. instead of a Delegation	38—39
1631	कोचीन की तेलगोदी के स्थान का परिवर्तन करने से मैरीन ड्राइवर प्रोजेक्ट पर पढ़ने वाला प्रभाव	Effect on Marine Drive Project by Change of Location of Oil Dock in Cochin	39
1632	कमी वाले क्षेत्रों में पेय जल योजना के लिये निधि का उपयोग नहीं किया जाता	Non utilisation of Funds for Drinking Water Scheme in Scarcity Areas	39
1633	कोचीन में तेलगोदी के लिये वैकल्पिक स्थान	Alternative Site for Oil Dock in Cochin	40
1634	जूट के उत्पादन में गिरावट	Fall in the Production of Jute	40—41
1635	अन्तरिम जूट उत्पादन योजना	Interim Jute Growing Plan	41—42

1636	ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने के पश्चात आदिवासियों को दी गई सुविधाएं	Facilities extended to Adivasis after their conversion to Christianity	42
1637	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन राजस्थान में समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा एकत्रित भूजल विज्ञान सम्बन्धी आँकड़े	Geo-Hydrological Data Collected by Exploratory Tubewell Organisation in Rajasthan under U. N. Development Programme	42—43
1638	ग्रामीण रोजगार योजना पर विचार गोष्ठी	Symposium on Rural Employment Scheme	43—44
1639	केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों के बिजली के बिलो का भुगतान	Payment of Electricity Bill's in respect of Central Ministers	44
1640	छोटे और सीमान्त (मार्जिनल) किसानों की परिभाषा	Identification of Small and Marginal Farmers	44—45
1641	उर्वरक के रूप में यूरिया का महत्व	Importance of Urea as a Fertiliser	45
1642	रासायनिक उर्वरकों का भूमि की उर्वरता पर प्रभाव	Effect of Chemical Fertilisers on the Productivity of Soil	45
1643	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इन्जीनियरों की भर्ती और पदोन्नति के नियम	Rules for Recruitment and Promotion of Junior Engineers in Central Public Works Department	46
1644	राज्यों में गहरे नलकूप खोदने के लिए मास्टर प्लान	Master Plans for Deep Tube wells in States	46—47
1645	वक्फ सम्पत्ति के प्रशासन के पहलुओं पर विचार करने के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to go into Administration of Waqf Properties	47
1646	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का जहाजों पर लदान से पहले वजन करना और उन्हें मापना	Weighment and Measurement of Goods for Export prior to shipment	47
1648	बनस्पति कारखानों द्वारा उत्पादन कम किया जाना	Cut down in Production by Vanaspati	48
1650	दण्डकारण्य में बसे पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के नामशुद्र जाति	Namsudras' tribe of East Bengal Refugees in Dandakaranya	48

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1651	आई. जी. एस. एन. कम्पनी के कर्मचारी	I.G.S.N. Company Employees	43—49
1652	ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम को वर्ष 1972-73 की योजना में सम्मिलित करना	Transfer of crash programme for Rural employment under plan sector for 1972—73	49
1653	फसल बीमे के लिए निगम की स्थापना	Setting up of Corporation for Insurance of Crops	49
1654	मध्य प्रदेश को बीजों की सप्लाई से विलम्ब	Delay in Supply of Seeds to Madhya Pradesh	49—50
1655	बाल निवास समिति को प्लाटों का आवंटन	Allotment, of plots to Bal Vikas Samiti, New Delhi	50
1656	कृषि अनुसंधान कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता	World Bank aid for Agricultural Research Programme	50—51
1657	जनकपुरी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का धंसना	Sinking of DDA plots in Janakpuri, Delhi	51
1658	मद्यनिषेध नीति	Prohibition Policy	51—52
1659	बड़े नगरों में जल दूषण की रोकथाम	Checking of water pollution in big cities	52
1660	राष्ट्रीय राजपथ घोषित किये गये मार्ग	Roads declared as National Highways	52—53
1661	पूर्व जर्मनी से ट्रैक्टरों के आयात के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Inquiry into Import of Tractors from East Germany	53—54
1662	गन्ना उपलब्ध न होने के कारण चीनी के कारखानें का बन्द होना	Closure of Sugar Factories due to non avaliability of Sugarcane	54—55
1663	उत्तर प्रदेश के शहरों में पीने के पानी की कमी	Shortage of drinking water in the Cities of U.P.	55—56
1664	भारत और रूस के बीच संस्कृतिक करार	Cultural Agreement between India and Soviet Russia	56
1666	मध्य प्रदेश में दूध के पाउडर की मांग	Requirement of milk powder in M.P.	56—67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1667	मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खण्डों के लिये निधियों का उपयोग	Utilisation of Funds for Tribal Development Blocks in Madhya Pradesh	57
1668	वन्य जीवों का नियंत्रित शिकार करने के लाभ	Benefits of controlled Hunting on Wild Life	58
1669	कानून की शिक्षा	Legal Education	58—59
1670	प्रौढ़ शिक्षा के लिये धनराशि	Funds for Adult Education	59
1671	अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के लिये दंड देना	Punishment for Offence under Untouchability (Offence) Act	59—60
1672	समाज कल्याण में अनुसंधान प्रशिक्षण तथा प्रशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया कार्य	Work done under Programme of Research, Training and Administration in Social Welfare	60
1673	चतुर्थ योजनावधि के दौरान जनजातीय विकास खण्डों में सहकारी समितियों की सहायता	Assistance to Cooperatives in Tribal Development Blocks during Fourth Plan	60—61
1674	ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के प्रगति	Progress of Rural Works Programme	61
1675	पठानकोट कांधला पत्तन राजपथ पर कार्य	Work on Pathankot Kandla Port Highway	61—62
1676	दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर सिगरेटों के विज्ञापन	Cigarette Advertisements on DTC Buses	62
1677	वर्ष 1971 में अनाज की क्षति	Damage to Foodgrains during 1971	62
1678	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि कार्य-क्रम के लिये नई योजनाएं	New Schemes Regarding Agricultural Programme by Indian Council of Agricultural Research	62—63
1679	गांवों में पेयजल की सुविधा	Drinking Water Facility in Villages	63—64
1680	प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमान	Pay Scales of Primary School Teachers	64—65
1681	छोटे किसानों और कृषि मजदूरों के लिये संगठन	Organisations for Small Farmers and Agricultural Labourers	65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1682	गुजरात के किसानों की स्थिति सुधारने के उपायों के बारे में अमरीकी विशेषज्ञों के विचार	Views of US Experts on Measures to Improve the Lot of Farmers of Gujarat	65—66
1683	गुजरात आवास बोर्ड को ऋण	Loan to Gujarat Housing Board	66
1684	कन्डक्टरों को भर्ती तथा उनके प्रशिक्षण में भ्रष्टाचार	Corrupt Practices in Training and Recruitment of Conductors	66—67
1685	गर्भवती स्त्रियों और बच्चों के लिये नई दिल्ली नगरपालिका की स्वास्थ्य योजना	Health Scheme of NDMC for Expectant Mothers and Children	67
1687	भारतीय खाद्य निगम में कार्मिक संघ	Workers Unions in FCI	67—68
1689	नहरे नलकूपों और कृषि कार्यों के लिये उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Orissa for Deep Tube wells and Agriculture	68
1690	गन्ने से चीनी की वसूली	Recovery of Sugar From Sugarcane	68—69
1691	बिहार में जल संसाधनों की खोज के जल आयोग की स्थापना	Setting up of Water Commission to Explore Water Resources in Bihar	69
1692	आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति के विरूद्ध आरोप	Allegation against Vice-Chancellor, Agra University	69
1693	सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के अपने मकान	Government Servant, Owing Houses in Occupation of Government Quarters	69—70
1694	पूना में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विचार गोष्ठी	Seminar of University Grants Commission held at Poona	70
1695	कृषि, औषधि, प्रोद्योगिकी प्रबन्ध आदि. में अंशकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम	Part-Time Professional Courses in Agriculture, Medicine, Technology. Management etc.	70—71
1696	फरवरी, 1972 में मद्रास में आयोजित महानगरों में यातायात प्रवर्त्तन तथा पर्यावरण पर विचार गोष्ठी	Seminar on Traffic Enforcement and Environment in Metropolitan Cities held in Madras during February, 1972	71—72
1697	उड़ीसा में फालतू डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग	Utilisation of Service of Surplus Doctors in Orissa	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1698	खाई जाने वाली गोलियों के प्रभाव	Side Effects of Oral Pill	73
1699	खाद्य पदार्थों में प्रयोग किये जाने वाले रगों में मिलावट	Adulteration of Food Colouring Materials	73
1700	कोचीन बन्दरगाह के विकास के लिये अपर्याप्त धनराशि	Inadequate Amount for Development of Cochin Port	73—74
1701	मन्त्रियों और संसद सदस्यों के निवास स्थानों में सफेदी करने के लिये ठेके	Contracts for White Washing of Minister's and M. Ps. Houses	74
1702	नई दिल्ली में सरकारी भवनों के लिये केयरटेकर	Caretakers for Government Buildings in New Delhi	74—75
1703	दिल्ली में त्यौहारों पर राशन कार्ड होल्डर को अतिरिक्त चीनी देना	Extra Sugar for Ration Card Holders on Festivals in Delhi	75—76
1704	राज्यों में ग्रामीण आवास योजना में प्रगति	Progress of Rural Housing Scheme in States	76
1705	यू. एन डी. पी. हार्बर प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे प्रोजेक्ट गुजरात तट का सर्वेक्षण	Survey of Gujarat Coast by UNDP Harbour Pre-Investment Survey Project	76
1706	एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता	Asian Wrestling Championship	76—77
1707	सेमी एरिड ट्रापिक्स के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था को विश्व बैंक की सहायता	World Bank Aid for International Crops Research Institute for Semi Arid Tropies	77
1709	अनाज रखने के लिये धातु के धान्यकोष्ठ	Metal Bins for Storing Grains	77—78
1710	सरकारी अस्पतालों में औषधियों की चोरी	Drug Pilferage in Government Hospitals	78—79
1711	दिल्ली के डी. आई-जैड क्षेत्र के सेक्टर डी में पेय जल की सप्लाई	Supply of Drinking Water in Sector 'D' of D.I.Z., Areas in Delhi	79
1712	केन्द्रीय नसबन्दी योजना	Central Vasectomy Scheme	79—80
1713	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate Milk Supply by DMS	80
1714	कमी वाले क्षेत्रों में पेय जल सम्बन्धी योजनाओं तथा तत्सम्बन्धी प्राक्कलनों के लिये राज्यों को सहायता	Assistance to States for Plans and Estimates for Drinking Water Schemes in Scarcity Areas	80—81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1715	प्रयोगशाला सेवाओं सम्बन्धी सम्मेलन	Conference of Laboratory Services	81—82
1716	बड़े शहरों में आवास समस्या	Housing Problem in big Cities	82
1717	मल निस्सारण	Disposal of Sewage	82—83
1718	खाद्य न्नों का अतिरिक्त फालतू भण्डार	Additional Buffer Stock of Food-grains	83
1719	खुले बाजार में चीनी की बिक्री	Sale of Sugar in Free Market	83—84
1720	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये प्रशिक्षण तथा निर्देशन केन्द्र	Coaching-cum-guidance Centres for S.C. and S.T. Candidates	84
1721	पारादीप पत्तन न्यास क्षेत्र में समान्य श्रमिक संघों के लिये कार्यालय आवास	Office Accommodation for Unrecognised Labour Unions in Paradip Port Trust Area	84—85
1722	मेडिकल कालेज, कालीकट में स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम	Post Graduate Course in Medical College, Calicut	85—86
1723	केरल से अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना के बारे में भेजे गये प्राक्कलन	Estimates of All India Co-ordinated Fruit Improvement Project from Kerala	86
1724	कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट के परिणामस्वरूप केरल की अर्थ व्यवस्था में संकट	Crisis in Kerala's Economy due to Fall in Price of Agricultural Products	86
1725	प्रादेशिक कैंसर केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Regional Cancer Centres	86—87
1726	खाद्यान्नों के भण्डारण के बारे में सरकार के विचार	Government's views Regarding Storage of foodgrains	87—88
1727	केन्द्र से सहायता प्राप्त अस्पतालों के कार्यकरण की जांच के लिये समिति	Committee on Working of Centrally Assisted Hospitals	88
1728	हरिजनों और आदिवासियों को मकान बनाने के लिये निःशुल्क स्थान	Free House sites to Harijans and Adivasis	88—90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1729	नई दिल्ली के आराम बाग क्षेत्र के निवासियों से पानी के नए मीटर लगाने के शुल्क की वसूली	Realisation of Installation Charges of New Water Meters from the residents of Aram Bagh Area, New Delhi	90
1730	विश्वविद्यालयों में छात्र संघों का कार्यकरण	Functioning of Students Union in Universities	90—91
1731	केरल में नर्सों को प्रशिक्षण देने वालों स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता	Financial Assistance for training of Nurses conducted by voluntary organisation in Kerala	91
1732	कृत्रिम हृदय का तैयार किया जाना	Development of artifical heart	91—92
1733	बारानी खेती वाले क्षेत्रों का विकास	Development of Areas under dry farming	92
1734	राज्यों में भूमि सुधार के कार्यों में प्रगति	Progress of land reform in State	92—94
1735	मैसूर में गहरे समुद्र में मत्स्य उद्योग का विकास	Development of Deep Sea Fishing Industry in Mysore	94
1736	कृषि विश्वविद्यालय और पी० एल० 480 निधि	Agricultural Universities and PL 480 Funds	94—95
1737	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई आपात योजना	Emergency Plan submitted by Indian Agricultural Reseach Institute	95—96
1738	राज्यों में ग्रामीण आवास वित्त निगम की स्थापना	Setting up of Rural Housing Finance Corporation in States	96
1739	ग्रेटर कैलाश—11, नई दिल्ली में प्लाटों का पंजीकरण और मकानों का निर्माण	Registration of plots and construction of House in Greater Kailash II, New Delhi	96
1740	दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया को सरकारी नियंत्रण में लेना	Taking over of Jamia Millia Islamia Delhi by Govt.	97
1741	सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा	C.G.H.S. Scheme throughout the Country	97
1742	दिल्ली स्कूलों के अध्यापकों की स्थायित्वता	Quasi Permancy to Delhi School Teachers	97—98
1743	बेकन फैक्टरियों का आयात और उनका कार्यकरण	Import of Bacon Factories and their Working	98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1744	दुग्ध संयंत्रों के अतिरिक्त पुर्जों का आयात	Import of spare Parts and Accessories of Milk Plants	98—99
1745	दिल्ली दुग्ध योजना के भूतपूर्व अध्यक्ष की सम्पत्ति के बारे में जांच	Enquiry into Property of Ex-Chairman of Delhi Milk Scheme	99
1746	ट्रैक्टरों की खरीद पर लगाये गये कर का पंजाब के किसानों पर प्रभाव	Effect of Taxes on Purchase of Tractor by Farmers in Punjab	99—100
1747	तम्बाकू बोर्ड की स्थापना	Setting up of a Tobacco Board	100—101
1748	तम्बाकू के मूल्य में गिरावट	Slump in the Price of Tobacco	101
1749	दिल्ली में पट्टे वाले आवासीय स्थान को पट्टा मुक्त करने का प्रस्ताव	Proposal for Conversion of Lease hold Residential Accommodation into Free hold in Delhi	101
1750	आदिवासियों की खेती सम्बन्धी स्थिति	Farm Conditions of Adivasis	102
1751	खजुराहो से अप्सरा की मूर्ति की चोरी	Theft of 'Apsara' Idol from Khajuraho	102
1752	मार्गदर्शी जन जाति कल्याण परियोजनायें	Pilot Tribal Welfare Projects	103
1753	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान द्वारा चावल, बाजरा और मक्का की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास	Development of High Yielding Variety of Rice, Bajra, Maize by IARI	103
1754	चावल के आरक्षित भण्डार में वृद्धि	Increase in Buffer Stock of Rice	103—104
1755	भारत सेवक समाज के बारे मे जाँच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Enquiry Commission on Bharat Sevak Samaj	104
1756	पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं का आयात बन्द होने के परिणामस्वरूप चावल आयत कर प्रभाव	Effect on Rice Imports due to Stoppage of Wheat Imports under PL 480	104
1757	कृषि के लिये मध्यम अवधि ऋणों सम्बंधी लक्ष्य	Target of Medium Term Loan for Agricultural	104—105
1758	खाद्य उत्पादन और सप्लाई के लिये तीन मुखी कार्यक्रम	Three fold Programme for Food Production and Supply	105—106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1760	छोटे और सीमान्त (मार्जिनल) किसानों को धन जुटाने में सहकारी समितियों की असफलता	Failure of Cooperative Societies to Finance the Small and Marginal Farmers	106
1761	बिहार के जिलों में कृषि का विकास	Development of Agriculture in Districts of Bihar	10 —107
1762	बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को खेती के आधुनिक उपायों के प्रयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शन	Guidance to Farmers of Hill Areas of Bihar in the Use of Modern Methods of Cultivation	107
1763	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उत्पादन के लिये बिहार सरकार को आवंटित राशि	Amount Allocated to Bihar State for Uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	108—109
1764	बिहार राज्य को शिक्षा अनुदान	Educational Grants to Bihar State	109
1765	उत्तर प्रदेश की घोसी तहसील में खुदाई कार्य	Excavation Work in Ghosi Tehsil, Uttar Pradesh	109
1766	बिहार सरकार के पुरातत्वीय विभाग में कुप्रबन्ध	Mismanagement of Archaeological Department of Bihar Government	109—110
1767	बहाराइच जिले में खाद्यान्न रखने के लिये गोदाम	Godowns for Storing Foodgrains in District Bahraich	110
1768	आपरेशन के बाद भी सन्तान उत्पन्न होने के मामले	Cases of Conceptions after Operations	110—111
1769	परिवार नियोजन विभाग को स्थायी बनाना	Permanency of Family Planning Department	111
1770	गोहत्या पर रोक लगाने के लिये कानून	Legislation of Ben Cow Slaughter	111—112
1771	खेलों के स्तर में गिरावट	Deterioration in Standard of Games	112
1772	नारियल की कीमतों के लिये अध्ययन दल	Study Team for coconut prices	112—113
1773	कोचीन शिपयार्ड परियोजना के लिये वित्तीय सहायता	Financial Aid for Cochin Shipyard Project	113—114

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1774	केरल में राष्ट्रीय राजपथों की हालत	Condition of National Highways in Kerala	114
1775	केरल राज्य के गांवों में हरिजनों के लिये पीने का पानी	Drinking water for Harijans in Villages of Kerala	114—11
1776	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित आदिम जातियों के अस्थायी अध्यापक	Temporary Scheduled Tribes Teachers in Delhi Education Department	115
1777	संघ लोक सेवा आयोग छूट अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में वाइस प्रिंसिपलों के पद के लिए भर्ती	Recruitment to Post Vice-Principal of Schools in Delhi under UPSC exemption 'Act'	115
1778	दिल्ली के कालिजों में छात्रों द्वारा अनुसूचित जातियों आदिम के झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर दाखिले	Admission in Colleges in Delhi by forged Scheduled Caste/Tribes certificates	115—116
1779	अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता सोसाइटी तथा डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली को दिये गऐ सहायता अनुदानों के दुरुपयोग की जांच	Inquiry into misuse of grants-in-aid to All India Blind Relief Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi	116
1780	सी. पी. डब्ल्यू डी. ने काम कर रहे स्टेनोग्राफर	Stenographers working in CPWD	116
1781	वृद्धावस्था योजना	Old Age Pension	117
	उड़ीसा में सीमेंट फैक्टरी के निकट रहने वाले लोगों में बीमारियों का फैलना	Spread of diseases among inhabitants near Cement Factory in Orissa	117
1783	पालामऊ (बिहार) के पिछड़े जिले का विकास	Development of backward district of Palamau (Bihar)	118
	प्रत्येक राज्य में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of Medical University in each State	118
1785	सिन्धु घाटी लिपि का पढ़ा जाना	Decipherment of Indus valley script	118—119
1786	अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला	International Book Fair	119—120
1787	दिल्ली आर्ट कालेज के कार्यकरण की जांच	Enquiries into working of Delhi Art College	120—121

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1788	गर्भपात सम्बन्धी कानून लागू करना	Enforcement of Abortion Law	121—122
1789	हृदय पर आहार के प्रभावों के बारे में अनुसंधान	Research of the effects of diet on Heart	122
1790	उत्तर काशी पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में कल्याण विभाग खोलना	Opening of Harijan Welfare Department in districts of Uttar Kashi Pithoragarh and Chamoli	122
1791	संस्कृत भाषा का प्रसार	Propagation of Sanskrit	123—124
1792	उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Pragramme in U.P.	124
1793	दिल्ली गुड़गाँव सड़क पर दिल्ली परिवहन निगम की बससे भारतीय वायु सेना के ट्रक को टक्कर	Accident between DTC bus and IAF truck on Delhi Gurgaon Road	124—125
1794	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को मुअत्तल करना	Suspension of C.P.W D. Engineers	125—126
1795	दिल्ली विश्वविद्यालय के ढांचे में परिवर्तन	Changes in set up of Delhi University	126
1796	कपड़ा धुलाई की दुकानों द्वारा दरों में वृद्धि	Increase in rates by Launderers	126—127
1797	कुपोषण और खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण के कारण बच्चों का अन्धा होना	Malnutrition and Adulteration of Food causing blindness among children	127—128
1798	दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र में जोन एच-3 में गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि देना	Allotment of Land to House Building Co-operative Societies in Zone H—3 Northern Area of Delhi	128—129
1799	भूमि खरीदने के लिये गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा दी गई राशि	Amount paid by the Gujranwala House Building Co-operative Society, Delhi for purchase of land	130
1800	सिग्रेट निर्माताओं द्वारा खरीदे गये तम्बाकू की मात्रा और मूल्य	Quantity and value of Tobacco purchased by Cigarette Manufacturers	130
1801	न्यू मोती नगर, दिल्ली में अस्वस्थता के आधार पर क्वार्टरों का अलाट किया जाना	Allocation of Quarters in New Moti Nagar, Delhi on Medical Grounds	130—131
1802	ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा के लिये नियत राशि और इसका उपयोग	Allotment of Funds to Orissa under Crash Programme for Rural Employment and their Utilisation	131
1803	मध्य प्रदेश में प्राचीन स्मारकों का नष्ट होने से बचाव	Protection of Menuments from Multilation in Madhya Pradesh	131—133
1804	मध्य प्रदेश में ग्रांड ट्रंक रोड की टूटी-फूटी स्थिति	Dilapidated condition of G.T. Road in Madhya Pradesh	133

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	134
आन्ध्र प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाने के समाचार	Reported disruption of banking system in Andhra Pradesh	134—135
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	135—136
श्री के. आर. गणेश	Shri K.R. Ganesh	136—138
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	139 140
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on President's Address	141
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh	141—142
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Malikarajun	142—140
श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushok Bakula	143
श्री सुधाकर पाण्डे	Shri Sudhakar Pandey	143—144
श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi	144
श्री देवेन्द्र सत्पथी	Shri Davendra Satpathy	144—145
श्री डी. के. पंडा	Shri D. K. Panda	145—146
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhadeo Prasad Verma	14 —147
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	147—151
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	151—153
श्री एस. डी. सोमसुन्दरम्	Shri S. D. Somasundaram	153—154
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	154
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	154—155
श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R. S. Pandey	155—156
श्री रामचन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal	156—157
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	157—158
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	158—159
श्री एस. एन. सिंह	Shri Shivnath Singh	159
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	159
नवाँ प्रतिवेदन	Ninth Report	159—160

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 3 अप्रैल, 1972/14 चैत्र, 1894 (शक)
Monday, April 3, 1972/Chaitra 14, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बड़े शहरों में गृह निर्माण सामग्री के खुदरा मूल्यों में वृद्धि

*221. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में गृह निर्माण की मुख्य वस्तुओं के वर्ष 1960-61, 1965-66 और 1970-71 में वर्षवार क्या खुदरा मूल्य थे;

(ख) क्या भवन निर्माण की सामग्री के ऊंचे और बढ़ते हुए मूल्यों के कारण ग्रेटर कलकत्ता में कम आय वाले वर्गों के लोगों द्वारा अपने रहने के लिये मकान बनाना असम्भव हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मूल्यों को उचित स्तर तक लाने की दृष्टि से सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सूचना (जैसी कि यह उपलब्ध है) सभा पटल पर रख दी है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1611/72**]

(ख) हमारे पास कोई सूचना नहीं है। भवन-निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार हुई है। ग्रेटर कलकत्ता में भवन निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि ही एक मात्र कारण नहीं है जिससे निम्न आय के वर्गों द्वारा वहां भवन निर्माण की गतिविधियों में बाधा पड़ती है। भूमि की उपलब्धता, वित्तीय साधन तथा बिल्डिंग लेबर आदि जैसे अन्य कारण भी महत्वपूर्ण हैं।

(ग) भवन-निर्माण की आवश्यक सामग्री की सप्लाई के संवर्द्धन के लिये भारत सरकार द्वारा जरूरी उपायों का किया जाना जारी है। सीमेन्ट और इस्पात जो नियंत्रित वस्तुए हैं, के अतिरिक्त देश में मशीनी ईंट-भट्टों तथा सेल्लुलर कक्रीट प्लाटों की स्थापना के कदम उठाए गए हैं। इमारती लकड़ी की गौण किस्मों के प्रयोग का समर्थन भी किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ग्रामीण तथा नगरीय आवास विकास के क्षेत्र में हमने अधिक प्रगति नहीं की है। पश्चिम बंगाल एक पिछड़ा हुआ राज्य है। विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सीमेंट, इस्पात, ईंटें, रेत तथा 'सैन्डचिप्स' जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 80 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि इस्पात जो कि एक अत्यावश्यक वस्तु है, के मूल्य संसार के अन्य देशों, जैसे पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, जापान, की तुलना में बहुत अधिक हैं, तो क्या सरकार एक राष्ट्रीय फुटकर वितरण सगठन की स्थापना करने को तैयार है जिससे अपने उपयोग के लिये मकान बनाने वालों को इस से लाभ हो सके ?

श्री आई० के० गुजराल : आवास विभाग का मंत्री होने के नाते जो कुछ श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है मैं उसे केवल नोट कर सकता हूं। मुझे ज्ञात है कि इस्पात सहित सभी आवश्यक वस्तुयें खरीदने में छोटे मकान बनाने वालों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समय-समय पर मैं इस बात को इस्पात मंत्रालय के ध्यान में लाने का प्रयत्न करता रहा हूं और उनसे कहता रहा हूं कि इस कठिनाई से लोगों को मुक्त कराने की दिशा में कोई कार्यवाही की जाये। अच्छा होता यदि मेरे माननीय मित्र ने यह प्रश्न इस्पात मत्रालय से पूछा होता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सीमेंट आदि के मूल्यों के विषय में सरकार ने चौथी बार टैरिफ आयोग स्थापित किया है मुझे यह देखकर निराशा हुई कि निर्देश-पदों में मूल्यों को कम करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है और भारत में सीमेंट के मूल्य संसार में सबसे अधिक हैं। हमें सन्देह है कि टैरिफ आयोग इस मामले में कुछ कर पायेगा क्योंकि यह अन्य लोगों की अपेक्षा उत्पादकों के हितों की सुरक्षा में अधिक रूचि रखता है। सीमेंट के उचित मूल्य तथा उनका उत्पादन मूल्य पर ईमानदारी से आधारित होना सुनिश्चित करने के लिये क्या मंत्री महोदय आयोग के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री आई० के० गुजराल : फिर मैं वही बात कहूंगा कि सीमेंट के मूल्यों के विषय में बात-चीत करना मेरे लिये कठिन है क्योंकि मेरे विचार में तो सीमेंट का ही नहीं, मकान बनाने के लिये आवश्यक प्रत्येक वस्तु का मूल्य कम होना चाहिये। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब बहुत अधिक मकानों की आवश्यकता है, निर्माण लागत बढ़ रही है। इससे निजी मकान बनाने वाले ही प्रभावित नहीं हैं; यह एक तथ्य है कि हमारी सामाजिक आवासीय योजनाओं की लागत भी बढ़ गई है, परिणाम यह होता है कि हम योजना के लिये जो भी नियतन करते हैं उससे भौतिक उपलब्धि अपेक्षाकृत कम होती है। यही कारण हमारी चिन्ता का विषय है और इसीलिये हम चाहते हैं कि निर्माण-सामग्री के मूल्य कम तथा नियंत्रित ही न हों अपितु हम नयी सामग्री खोज निकालने के प्रयत्न भी कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निर्वाचन निधि में दिए जाने वाले चन्दों पर भी नियंत्रण होना चाहिये। सीमेंट से नियत्रण हटाने से आपको सी ए सी ओ से 2½ करोड़ रुपये की राशि प्राप्त

हुई है। श्री फकरुद्दीन अली अहमद ने सदन में इसे स्वीकार किया है। एक ओर इन पूंजीपतियों से आप पैसा लेते हैं दूसरी ओर आप इन से मूल्य कम करने की आशा करते हैं। दस वर्षों में मूल्यों में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस पर भी आप आत्म प्रवंचक बने हुए हैं।

श्री आई० के० गुजराल : श्री ज्योतिर्मय बसु बेकार की बातें करने के लिये प्रसिद्ध हैं...।

श्री राजबहादुर : और मनगढ़ंत बातें करने में भी।

श्री आई० के० गुजराल : हां करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पाखंड पर तो आपका एकाधिकार है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तक ही सीमित रहें। कृपया शान्ति रखिये।

श्री आई० के गुजराल : यदि आप प्रश्न तक ही सीमित रहें तो इससे हमें भी प्रश्न के विषय में सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इतना ही कहें कि "इस प्रश्न का यही उद्देश्य था" तो इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही न पड़ती" और मंत्री एक शब्द में ऐसा कहकर इस का उत्तर दे सकते थे।

श्री आई० के० गुजराल : मैं आपकी व्यवस्था का आदर करता हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि समाज के दुर्बल वर्ग के लिये मकान बनाने के वृहद् कार्यक्रम से जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, छोटे लक्ष्य भी पूरे नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में असाधारण वृद्धि को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार इस योजना के लिये और अधिक निधि नियत करने की वांच्छनीयता पर पुन: विचार करेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : हम अधिक निधि आवंटित करने के इच्छुक रहे हैं। चौथी योजना का नियतन गत तीनों योजनाओं के नियतनों के योग से भी अधिक अथवा तीनों योजनाओं के योग के बराबर हुआ है। **(व्यवधान)** वास्तविक कठिनाई यह है कि योजना-नियतन में राशि राज्यक्षेत्र के लिये एकमुश्त अनुदान तथा एकमुश्त सहायता के रूप में नियत की जाती है। राज्य, आवास व्यवस्था को उतनी प्राथमिकता नहीं देते जितनी उन्हें देनी चाहिये। मुझे इससे भी सन्तोष हो जाता है यदि नियत धन राशि का एक सीमा तक मकान बनाने के लिये उपयोग किया जाये।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस्पात का जो मूल्य यहाँ बताया गया है यह उससे दुगने मूल्य पर खुले बाजार में उपलब्ध है। ऐसा कैसे होता है कि दुगना मूल्य देने पर खुले बाजार में इस्पात सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाता है ?

श्री आई० के० गुजराल : मुझे इस बात का पता है। केवल यही नहीं, मुझे पता है कि यह निजी उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो जाता है परन्तु सरकारी निर्माण-कार्य के लिये समय-समय

पर हमें भी बाजार से खरीदना पड़ता है । अतः हम इस विषय में कार्यवाही किये जाने के लियै मामले को इस्पात मंत्रालय के ध्यान में ला रहे हैं क्योंकि वितरण में बिचौलिये लाभ उठायें ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भवन निर्माण सामग्री के मूल्य सरकार के नियंत्रण से परे प्रतीत होते हैं तथा सप्लाई पद्धति भी दोषपूर्ण है तथा साधारण व्यक्ति के लिये भवन-निर्माण सामग्री उपलब्ध करना किसी प्रकार भी संभव नहीं है तो मंत्री महोदय योजना के आवासीय लक्ष्य को भवन निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में किस प्रकार पूरा करते है ? जब वास्तविक स्थिति यह है कि भवन निर्माण सामग्री के मूल्य तथा सप्लाई असम्बंद्ध है तब लक्ष्यों का औचित्य क्या है ?

श्री आई० के० गुजराल : जैसा कि मैंने अभी बताया है निर्माण मूल्य में वृद्धि हो रही है । 1966–67 से चालू वर्ष तक जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उनके अनुसार निर्माण मूल्य में लगभग 41·6 प्रतिशत वृद्धि हुई है । हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में इससे भी अधिक वृद्धि हुई हो, हमारे सामने इस समय जो कठिनाई है वह है नियत राशि व्यय करने पर भी सामाजिक लक्ष्यों तथा निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति में कमी हो रही हैं ।

केन्द्रीय विद्यालय

*224. **श्री रामसहाय पांडे : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों की वर्तमान संख्या इन विद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के हिसाब से कम है;

(ख) क्या सरकार और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संस्थानों का विस्तार करने की कोई योजना बनाई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : जबकि नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की माँग निरन्तर बढ़ती जा रही है, तथापि मुख्यतया आर्थिक अभाव के कारण इसे पूर्णरूप से पूरा करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है । फिर भी, प्रत्येक वर्ष लगभग 6 स्कूल खोलने का केन्द्रीय विद्यालय संगठन का कार्यक्रम है। 1971-72 के दौरान, केवल सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन ने आठ अतिरिक्त स्कूल खोले । 1972-73 के दौरान, संगठन का विचार 10 नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है, जिनमें चार सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी शामिल हैं । इसके अलावा, संगठन ने पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है, बशर्ते कि स्कूलों को चलाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण खर्च परियोजना प्राधिकारियों द्वारा वहन किया जाए ।

Shri R. S. Pandey : The school—going children of Government Employees face a great difficulty at the time of their transfer. They face this difficulty when they do not admission in these schools due to heavy rush on due to non-existance of these schools there. Is any arrangement being made to remove this difficulty ? Is it a fact that schools are not being opened due to paucity of funds ?

Shri D. P. Yadav : At the time of transfer one can admit the children in the Central School and if there is no central school at the new place we have got hostels also and be can put up his children there.

Shri R. S. Pandey : Is it a fact that more schools are not being opened due to paucity of funds ?

Shri D. P. Yadav : Really, there is paucity of funds and for that reason we are not able to open new schools at every place. With the availability of funds, we shall surely open central schools, particularly at the places where Central Government offices are located.

Shri Ramavtar Shastri : Are there such central schools, such as the one at Anisabad, Patna, which are not functioning in their own building and due to that more students cannot be admitted ? Have the Government formulated any scheme to provide buildings for these schools, and if so, what ?

Shri D. P. Yadav : The money is lying with the Central Schools Organization for the Patna school building. But so far we have not been able to get land. As soon as land is available, we will try to construct the building as early as possible.

बड़े शहरों में वायु दूषण का रोका जाना

*225. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री वायु दूषण के बारे में 24 मई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच देश के बड़े शहरों में वायु दूषण रोकने के बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने वायु दूषण नियंत्रण के लिये एक कानून का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है जिस पर आगे कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तावित कानून शीघ्र ही संसद के समक्ष रख दिया जायेगा। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को वायु दूषण नियंत्रण के लिये प्रभावी कदम उठाने हेतु पर्याप्त शक्तियां प्रदान करेगा।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के ताप बिजली घरों के धुएं द्वारा दिल्ली में उत्पन्न वायु दूषण समस्या के अध्ययनार्थ सरकार ने एक समिति भी नियुक्त की है। इस समिति ने कुछेक निरोधी उपायों को बरतने का सुझाव दिया है और इस पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

श्री बी० के० दास चौधरी :—वक्तव्य से यह पता चलता है कि राज्य सरकारें अब तक वायु दूषण को रोकने और अन्य देशों के समान प्रभावकारी कदम उठाने के सम्बन्ध में बड़ी धीमी और अनिर्णयात्मक स्थिति में रही हैं। इस वायु अथवा जल दूषण से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए क्या सरकार इस सब की जाँच करने और सरकार को समय-समय पर उपयुक्त उपाय करने की सलाह देने के लिए एक विशेष एजेन्सी गठित करने पर विचार कर रही है। क्या यह मंत्रालय मंत्रिमण्डल से ब्रिटेन के समान पर्यावरण मन्त्री नियुक्त करने की सिफारिश करेगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : कुछ प्रगति हुई है और इसमें तेजी लाई जा रही है। वास्तविकता यह है कि गठित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और एक समुचित विधान शीघ्र ही लाया जा रहा है। एक नया मन्त्री नियुक्त करने के सम्बन्ध में हम इस समय कुछ नहीं सोच रहे हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैंने यह भी पूछा था कि क्या मंत्रालय कोई एजेन्सी नियुक्त कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालय स्वयं एक एजेन्सी है।

श्री बी० के० दास चौधरी : विवरण में यह भी बताया गया है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों के कारण दिल्ली के वायु दूषण का अध्ययन करने के लिए भी एक समिति नियुक्त की गई है। क्या इस समिति को कलकत्ता, नागपुर और बम्बई के वायु दूषण के सम्बन्ध में भी अध्ययन कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये गये हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संस्थान, नागपुर ने दो वर्ष पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था, उससे पता चलता है कि कलकत्ता में सबसे अधिक वायु दूषण है। दिल्ली में वायु दूषण के मुख्य कारणों में से एक दिल्ली परिवहन निगम की बसें हैं तथा उन्होंने समुचित उपाय किए हैं, जिससे वायु दूषण कम हो गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Hon. Minister said that the Committee submitted its report two years back. I would like to know as to when the committee was appointed ? It is two years since the report was received, and even upto this time the suggested legislation has not been brought. How much more time is required for the introduction of such a bill ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : आने वाला विधान विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों को दृष्टि में रखते हुए लाया जा रहा है। उल्लखित रिपोर्ट पिछले वर्ष 1971 के अगस्त में प्रस्तुत की गई थी।

अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पर ऐसा पता चला है कि इसे अन्तिम रूप दे दिया गया है और यह हमें शीघ्र ही मिल जायेगा। इसके मिलते ही हम इसे राज्य सरकारों को भेजेंगे क्योंकि यह राज्यों का विषय है।

श्री रण बहादुर सिंह : यह दूषण बड़े शहरों में ही नहीं है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकता है, जैसा कि मेरे क्षेत्र में हो रहा है। जहाँ कि एक बड़ा कारखाना अपनी गन्दगी साने में

बहा देता है और इसके कारण नदी के बहाव के साथ 50 मील तक जल दूषण हो गया है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए भी विधान बनाया जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी दूषण हो सकता है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वायु दूषण की समस्या बड़े नगरों की है और वे ही इससे प्रभावित होते हैं। इस समय हमारा ध्यान बड़े नगरों अथवा वायु दूषण पर ही केन्द्रित है। ग्रामीण क्षेत्र के दूषण से भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। पर प्राथमिकता के आधार पर हम पहले बड़े नगरों और वायु दूषण को ले रहे हैं।

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shanker Dixit) : Mr. Speaker, Sir, the hon. Member is doing injustice to administrative matter. It is entirely wrong to say that any pressure has been exerted on anybody or injustice has been done to any body. **(Interruptions)**. There is no question of giving allurements also. The General position was explained to them. It is a serious matter. We are ourselves very sorry. We are inquiring into the matter. According to the findings of the inquiry, the powder used for the gloves was contaminated leading to tetanus.

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस दौरान उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप कुल कितना मुआवजा दिया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं, सभी संबंधित बातों पर विचार करने के बाद इस मामले पर मुख्यत: राज्य सरकार को ही निर्णय लेना होता है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, विशेषतया राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में चीनी उद्योग के कार्य तथा उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं की विस्तृत जाँच करने के लिए चीनी उद्योग जांच आयोग की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत सरकार इस मामले की आगे जांच करेगी।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : देय चीनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं को अत्यन्त कठिनाई हो रही है। माननीय मंत्री ने यहां भी और बाहर भी बार-बार यह कहा है कि चीनी उद्योग अत्यधिक लाभ कमा रहा है पर फिर भी सरकार द्वारा निश्चित मूल्य पर चीनी नहीं बेच रहा है। देश चीनी अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है और उपभोक्ताओं को बड़ी कठिनाई हो रही है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि शासक दल और सरकार दोनों की चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की बुनियादी नीति है, सरकार इसका राष्ट्रीयकरण कब तक करेगी। बंगला देश सरकार ने अपने अस्तित्व आने के कुछ ही दिनों के अन्दर यह कार्य कर

दिया। यहाँ छोटी कार के निर्माण के समान मामला चलता ही रहता है। सरकार इसके राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेगी। एक आयोग जिसे जनवरी में अपना प्रतिवेदन देना था उसके अध्यक्ष की मृत्यु हो गई है और किसी अन्य व्यक्ति को यह भार सौंपा गया है। अभी सरकार को उत्तर प्रदेश बिहार और अन्य राज्यों में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में निर्णय लेने में कितने महीने लगेंगे ? आयोग कब प्रतिवेदन देगा और सरकार कब तक प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करेगी ?

प्रो० शेर सिंह : आयोग को अपना प्रतिवेदन 31 अगस्त, 1972 तक देने को कहा गया हैं। आयोग की 17 बैठकें हुई हैं। प्रश्नावली जारी की गई है, उनका उत्तर प्राप्त हुआ है और उस सब पर विचार हो रहा है। वह 31 अगस्त, 1972 तक अपना प्रतिवेदन दे देगा और केवल उस के बाद ही सरकार कोई निर्णय ले सकती है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : संविधान के संशोधन के बाद राज्य सरकारों के सामने क्या रुकावट है ? क्या कोई रुकावट है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बाताया कि आयोग एक रुकावट है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आयोग रुकावट नहीं डाल सकता। क्या आयोग रुकावट डाल रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री फकरूद्दीन अली अहमद) : जहाँ तक विधान सभाओं की सक्षमता का सम्बन्ध है हमने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। वे चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के अधिकारी हैं और उन्होंने 12 उद्योगों के सम्बन्ध में कार्रवाई की है। अन्य के सम्बन्ध में उन्होंने हमें लिखा है और सारे मामले पर विचार हो रहा है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Whether the sugar mills taken over by Government have made payments to the farmers ? Whether all the problems of sugar industry will be solved simply by nationalization ?

Shri F. A. Ahmad : So far as non-payment is concerned the position is far better now than last year. A legislation to this effect has been made that a portion of the advances given through banks will be kept as reserve for the payment of arrears to the cane-growers It is being done and a sufficient amount of arrears have already been paid and we hope the situation will improve further.

Shri Nar Singh Narain Pandey : One lakh ton sugar was asked for from the mills for export but they refused this at the offered rate. The result was that there was a loss of 9 crore rupees of foreign exchange. Whether the reports of both the U.P. Advocate general and the Attomey General were contradictory and on this account Uttar Pradesh Government had written to the centre that they were not compelent to nationalise Sugar Industry in the State. In view of this whether necessary an ammendment is proposed to be made in the relevant legislation ?

Prof. Sher Singh : It is connect that both the reports had divergent views but we have accepted the views of the Attorney General and have told the Uttar Pradesh Government that they can nationalise the Sugar Industry.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या राष्ट्रीयकरण की यह नीति केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही है अथवा सारे देश के लिए।

प्रो० शेर सिंह : आयोग उत्तर प्रदेश की ही नहीं वरन् इस सम्बन्ध समस्त देश की स्थिति का अध्ययन कर रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या चीनी उद्योग को अब तक 360 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो कितनी ?

प्रो० शेर सिंह : मैं यह तत्काल नहीं बता सकता। इसके लिए समय चाहिए।

Shri Sarjoo Pandey : The U. P. Chief Minister while replying to Governor's Address said that the U. P. Government had requested the Central Government to nationalise sugar industry in U. P. May I know whether any such request has been received by the Centre ? If so, what is the reaction of the Government thereto ?

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed) : The Chief Minister of Uttar Pradesh has desired that all mills, like those 12 already nationalised, should be taken over by the Government. It is being considered by the Government...... **(Interruptions)**

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it the reply ?

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : पहले इन्होंने यह कहा था कि उत्तर-प्रदेश राज्य सरकार के पास यह कार्य करने की योग्यता है। अब यह फरमा रहे हैं कि यह मामला विचाराधीन है। अब यह अपनी बात स्वयं ही काट रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी, अगर आप विरोधी दलों का, चाहे वह कितने छोटे ही क्यों न हों, भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मंत्रियों से स्पष्ट और ठीक उत्तर दिलाने के लिए कहना चाहिये। अन्यथा जैसा व्यवहार वह करते हैं वैसा व्यवहार करना हम भी आरम्भ कर देंगे।

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैंने बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु उसके लिए उन्हें अनुच्छेद 31 (2) और (3) की शर्तों को पूरा करना पड़ता है। उन्हें अपना प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना पड़ता है। इस कार्य के लिए उत्तर-प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट कर दूं। पहला प्रश्न यह था कि क्या उत्तर-प्रदेश सरकार को चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है या नहीं ? केन्द्र और राज्य सरकार के बीच इस मामले में कुछ मतभेद था इसीलिए यह मामला महान्यायवादी की राय के लिए भेजा गया था और उसी की राय के अनुसार ही हमने यह कहा था कि राज्य सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। इसी राय के आधार पर उत्तर-प्रदेश सरकार ने 12 उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अनुच्छेद 31 (2) और (3) के अन्तर्गत मामले पर विचार किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार की नीति कुछ ढीली रही है। सरकार बिना किसी आनाकानी के संविधान में संशोधन करती रही है और इस देश के लोग यहां के विधायकों को ऐसा करने का अधिकार दे दिया है। अब जबकि केन्द्र और राज्य दोनों ही

सरकारों को ऐसा करने का अधिकार है, तो फिर उनके समक्ष बाधा क्या है ? इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, संविधान के अनुच्छेद 31(2) के अन्तर्गत उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है । इसीलिए मामला विचाराधीन है ।

श्री अमृत नाहटा : चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का मामला कोई बहुत बड़ा तकनीकी या कानूनी मामला नहीं है । यह तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई में हुई बैठक में दल की नीति के बारे में किया गया निर्णय मात्र है जो कि विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों द्वारा गहन अध्ययन के बाद किया गया था । इस सम्बन्ध में जांच आयोग के निर्देश-पद क्या है ? क्या वह आयोग इसकी सम्भाव्यता के प्रश्न पर विचार करेगा, या इसके राष्ट्रीयकरण पर या वह सरकार को राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया और पद्धति के बारे में बतायेगा ? जब इस नीति का निर्णय किया जा चुका है और केन्द्र तथा राज्य दोनों में ही कांग्रेसी सरकारें हैं तो फिर इसमें अब कठिनाई क्या है ? क्या मंत्री महोदय हमें विश्वास में लेंगे और यह आश्वासन देंगे कि वह चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कटिबद्ध हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक राष्ट्रीयकरण की नीति का प्रश्न है, सरकार उसके लिए कटिबद्ध है । (समाप्त)

देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य का स्तर

*228. **श्रीमती सावित्री श्याम** :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य का स्तर बहुत गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य के स्तर के गिरने के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है; और

(ग) समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

Shri Naval Kishore Sharma : Mr. Speaker, sir, I am pleased to note that the standard of National Health in the country has not gone down.

Mr. Speaker : I will be pleased when you put a question.

Shri Naval Kishore Sharma : But in view of the problem of increasing population and the danger of water pollution and air pollution which are connected with industrialisation, I would like to know whether Government is considering a legislation to prevent water pollution ? Secondly, whether any survey has been carried out by the Government to assess the extent of water pollution in big rivers ? If a survey has been carried out whether the Government is considering a legislation for the same ?

Mr. Speaker : You may ask about water pollution but it has got no relerance with your original question.

Shri Naval Kishore Sharma : Relevance is there. It is connected with the question of Public Health.

श्री पीलू मोदी : क्योंकि मंत्री महोदय ने प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर नहीं दिया, इसलिए यह प्रश्न पूछना पड़ रहा है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि हम सम्पूर्ण राष्ट्र की बात करें तो इसके सम्बन्ध में तो मुझे यही कहना है कि वर्ष 1950-51 के दौरान जीवन की जो अवधि 32 वर्ष थी, वह 1966-71 में बढ़कर 47·5 वर्ष हो गई है। वर्ष 1946 के दौरान जो मृत्यु दर 27 प्रति हजार थी वह 1956 में घटकर 22·8 प्रति हजार रह गई और हमें आशा है कि गत 5 वर्षों में यह 17 प्रति हजार से भी कम हो गई होगी। इसी प्रकार शिशुओं की मृत्यु दर 1946 में 183 प्रति हजार थी जो 1956 में घटकर 146 रह गई और 1966-71 में यह लगभग 113 रह गई। गत वर्ष के आंकड़े भी कुछ इसी प्रकार के थे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मृत्यु दर में कमी हो गई है परन्तु इसके साथ ही जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और कुछ लोगों का तो कहना है कि उसमें विस्फोट हो रहा है। परन्तु सामूहिक रूप से यह बात कही जा सकती है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य के आंकड़े काफी संतोषजनक हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट था।

The Minister for Health and Family Planning (Shri Uma Shanker Dikshit) : Mr. Speaker, sir, the scope of the question is so vast that several questions can be asked on it. Although, I feel that this question was not necessary but still I may state that air pollution and water pollution are two different things. The Bill regarding water pollution has been presented and the Bill regarding Air pollution is also expected to be brought soon. The Hon. Member is fully aware of all proceedings and I have got nothing new to add.

Shri Piloo Mody : The Bill regarding political pollution will never be brought.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, बिना उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कुपोषण के बारे में किसी प्रकार का अध्ययन किया गया है और देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये कुपोषण को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हां, कुपोषण की समस्या की ओर हम पिछले कुछ समय से ध्यान दे रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये हाल ही में हमने कुछ नई योजनायें आरम्भ की थीं और कुपोषण से पीड़ित, स्कूल जाने वाले बच्चों को कुछ विशिष्ट आहार देने का कार्यक्रम बनाया गया था।

Shri Maha Deepak Singh Shakya : Sir, I would like to know from when the deficiency of nutritional ingrediants will be removed ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इसकी योजना पहले ही आरम्भ की जा चुकी है। कुछ समय के बाद इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार कर दिया जायेगा। **(समाप्त)**

समान भूमि सुधारों के लिए विधान

231. **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल-भारतीय स्तर पर भूमि सुधार विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : भूमि सुधार का विषय राज्य सूची में है, अतः समस्त देश के लिए भूमि सुधार सम्बन्धी कोर्ट कानून संसद के लिए पास करना सम्भव नहीं है । फिर भी, भूमि सुधार सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित कर दी गई है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति को अपनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए गए हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I would like to know from the hon. Minister, what steps have been taken by the Government to encourage state Governments and whether the state Governments have made any progress in this regard ? What is the percentage of work done by state Governments in this regard ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भूमि-सुधार के बारे में अनेक कदम उठाये गये हैं । माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि जब हमारा देश स्वतन्त्र हुआ था तो उस समय सम्पूर्ण कृषि पर सामंतवादियों आदि का बोलबाला था । निःसंदेह, इस दिशा में काफी प्रगति हुई है परन्तु फिर भी यह संतोषजनक नहीं है । इसीलिए यह मामला मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी उठाया गया था । इस समस्या पर विचार करने के लिए केन्द्रीय भूमि सुधार समिति का गठन किया गया था । उस समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों को उपलब्ध कर दी गई हैं । प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री द्वारा यह पत्र राज्य सरकारों को लिखे गये थे । चुनावों के बाद फिर उन्हें नये पत्र भेजे गये हैं । विभिन्न राज्यपालों द्वारा जो अभिभाषण दिये गये हैं उनसे भी यही लगता है कि भूमि सुधारों के बारे में शीघ्र ही कानून बनाये जायेंगे जिनके आधार पर भूमि की अधिकतम सीमा और बटाईदारों के हितों की रक्षा की जा सकेगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, just now it has been stated by the hon. Minister that they are not satisfied with the progress made by state Governments in this regard. Therefore under such circumstances, is it not the duty of the Central Government to take over this job from State Governments so as to make an effective legislation for acquiring maximum land and to distribute the same among landless people ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं पहले ही यह निवेदन कर चुका हूं कि अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए "परिवार" को एकक बनाया जाना चाहिये । यह सभी सिफारिशें सभा-पटल पर रखी गई थी । भूमि की अधिकतम सीमा कम करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा

विधान बनाये जाने की आशा है। वास्तव में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के दौरान एक नया विधान लागू भी किया जा चुका है। हमें आशा है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसे क्रियान्वित कर देगी। केरल में नया विधान पहले ही बनाया जा चुका है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। आसाम में यह सीमा 50 एकड़ से घटा कर 25 एकड़ कर दी गई है। इसी प्रकार राज्य सरकारों द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : My question has not been replied to... **(Interruptions)** When proper reply is not given, the House has to get excited...**(Interruptions)**

Mr. Speaker : I am not going to accept your view point.

Shri Shambhu Nath : Mr. Speaker, sir, in land reform the issue of giving land to the landless has also been raised and a directive has also been issued in this regard. So far as my knowledge goes, in the definition of the landless, the wife, husband and children have also been included. Consequently, whether the children are major or minor, ...the actual transection of land has not taken place......

श्री पीलू मोदी : इनका प्रश्न बिल्कुल असंगत है।

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय ही मत बोलते रहा कीजिये। केवल आप ही को ऐसा करने का एकाधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री पीलू मोदी : यह बिल्कुल असंगत है। जब कोई संगत प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर दिलवाने के लिए जोर नहीं डालते परन्तु अब आप पूर्णतया असंगत प्रश्न की अनुमति दे रहे हैं। यह सदन लोगों के साथ मजाक करने के लिए नहीं है।

Shri Shambhu Nath : I would request Shri Piloo Mody to sit peacefully. So I was requesting that in the defination of family......

Mr. Speaker : I am at a loss to understand the point of the hon. Member. What does he wants to say ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह खेद की बात है कि सदस्य महोदय भूमिहीन श्रमिकों और भू-स्वामियों के लक्षणों को स्पष्ट नहीं समझते हैं। वास्तव में मैंने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में यह कहा था कि परिवार को एक एकक माना जाना चाहिये और परिवार पर ही अधिकतम सीमा लागू होनी चाहिये। यह भूमिहीनों की बात करते जा रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि पति, पत्नी और छोटे बच्चों को ही एक परिवार माना जाता है।

Shri Shambhu Nath : I would like to know from the hon. Minister that while giving directives to the State Governments whether any guideline about the defination of the landless is given so that legislation can be enacted accordingly......

Mr. Speaker : Order, Order, it is not the time for making a speech. Incase he wants to ask a question, he should ask it in a proper way.

Shri Shambhu Nath : Mr. Speaker, Sir, I simply want to know whether any directive regarding defination of the landless will be issued to states ?

Mr. Speaker : The hon. Minister may reply to it if he so lives.

श्री एस० एम० बनर्जी : इस सदन में और सदन के बाहर सरकार भूमिहीनों को भूमि देने का आश्वासन देती रहती है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है

कि अधिकांश भूमिहीन लोगों का सम्बन्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों से होता है और यदि हां तो केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीन लोगों को, विशेषतया हरिजनों को, भूमि देने के लिये कुछ ठोस कदम उठाये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक सीधा प्रश्न है कि क्या सरकार भूमि-सुधार के बारे में कोई विधान बनाने का विचार रखती है परन्तु आप तो इसे बढ़ाते चले जा रहे हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या भूमि सुधार कानून के साथ ही भूमिहीन कानून भी बना दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी कल्पना की भी कोई सीमा नहीं है।

श्री पीलू मोदी : वास्तव में श्री कछवाय द्वारा ही सबसे संगत प्रश्न पूछा गया है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भूमि का आबंटन करने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि भूमि सुधार के बारे में जो कानून बनाये जायेंगे उनका अधिकांश लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ही होगा। ऐसा करना तो हमारी नीति का अंग ही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, sir, according to the figures which have been published by the Government, the number of landless is increasing in the country. That means the erictions are still continuing and the people, who used to till the fields are being evicted ? May I know if the Land Reforms Act is not specific about erictions ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही जनसंख्या भी बढ़ रही है। मैं यह नहीं कहता कि यह वृद्धि एक अनुपात में हो रही है। किन्तु माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न में संगति अवश्य है। बहुत व्यक्तियों को, जिनके पास अलाभकर भूमि है अथवा जिनके पास छोटी जोत है, कठिनाई महसूस करते हैं। अतः माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मामले का अध्ययन किये जाने की मांग में कुछ औचित्य है। लगभग 20 से 22 प्रतिशत जनसंख्या भूमिहीन है।

मुख्य बन्दरगाहों पर मत्स्य नौकाओं के लिये सुविधाओं की व्यवस्था

232. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मुख्य बन्दरगाहों पर मत्स्य नौकाओं के तट तक आने तथा लंगर डालने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो बन्दरगाहों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) प्रमुख पत्तनों पर मात्स्यकी बन्दरगाहों की स्थापना के लिये चतुर्थ योजना में 13·50 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। कोचीन, बम्बई, मद्रास तथा रायचौक के सम्बन्ध में 12·86 करोड़ रुपये की प्रशासनिक संस्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है। पैरादीप तथा विशाखापत्तनम बन्दरगाहों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि सौराष्ट्र-गुजरात के तट

के बाहर अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्यपोत आते हैं ? क्या सरकार गुजरात के समुद्र तट पर किसी स्थान पर मछली पकड़ने के लिये प्रमुख बन्दरगाह बनाने का विचार कर रही है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : कडला पत्तन पहले से ही विद्यमान है। किन्तु यदि गुजरात सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तो हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : क्या दक्षिण भारत में धनुषकोटि में ऐसे मछली पत्तन की स्थापना के बारे में कोई योजना प्राप्त हुई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य तथ्यों से अवगत हैं। मैं इस विशिष्ट क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कह सकता। किन्तु जहाँ तक गहरे समुद्र से मछली पकड़ने का सम्बन्ध है, मद्रास समुद्र तट पर इसकी व्यवस्था की जा रही है, जैसा कि माननीय सदस्य को पता है।

दूध का मूल्य निर्धारित करने की नीति

236. **श्री बेकारिया :**

श्री अमरनाथ चावला :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूध का मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी नीति निश्चित करने के मामले पर गौर कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ। एक समिति दुग्ध मूल्यों के निर्धारण के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।

(ख) जिन मुख्य बातों पर विचार किया जा रहा है उनका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मूल्य निर्धारण विषयक समिति के विचारार्थ विषय ये हैं :–

1. गत पांच वर्षों के दौरान विशेष अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के विभिन्न क्षेत्रों में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के मूल्यों की प्रवृत्ति और जीवन-सूचकांक की लागत तथा महत्वपूर्ण खाद्य फसलों/ढोर आहार की लागत में परिवर्तन की जांच करना।

2. घी और खोया आदि महत्वपूर्ण दुग्ध उत्पादों के मूल्यों से सम्बन्धित दुग्ध मूल्यों की जाँच करना।

3. दुग्ध-अधिशासी की विभिन्न प्रणालियों से और दुग्ध तथा दुग्ध-उत्पाद विक्रय से उत्पादकों को होने वाले लाभ की जांच करना।

4. विभिन्न क्षेत्रों में दुग्ध की क्वालिटी को दृष्टिगत रखते हुए दुग्ध के क्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए उपाय सुझाना।

5. बाजार में प्रयोग किये जाने वाले दूध और दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए मूल्य निर्धारण की पद्धति के विषय में सुझाव देना ।

6. दुग्ध के अग्रिम क्रय मूल्य निकालने के लिए पद्धति के बारे में सुझाव देना ।

7. संगठित क्षेत्र द्वारा सम्भाले जाने वाले विभिन्न किस्मों के दूध और महत्वपूर्ण दुग्ध उत्पादों के युक्तियुक्त विक्रय मूल्य के बारे में सुझाव देना ।

श्री बेकारिया : विवरण को तथा विवरण में निहित निदेश-पदों को दृष्टि में रखकर मैं ये बातें जानना चाहता हूं । दूध के व्यापार में, बिचौलिए और व्यापारी कम कीमत पर अधिक चिकनाई वाला दूध खरीदते हैं तथा दूध बेचते समय वे उसका अधिक मूल्य वसूल करते हैं तथा दूध में चिकनाई का माद्दा भी कम होता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार के शोषण को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री शेर सिंह : इस उद्देश्य के लिये हम सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे किसान इन समितियों को स्वयं चलायें तथा वे दुग्ध संयंत्रों तथा अन्य दुग्ध योजनाओं को सीधे दुग्ध सप्लाई कर सकें ।

Deaths Due to Vasectomy Operations

***240. Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether eight persons had died as a result of Vasectomy operations in Maharajganj (Gorakhpur) in February last; if so, the facts of the incident and the persons responsible therefor ;

(b) whether Government's attention has been drawn to press reports to the effect that many persons had been persuaded to undergo operation by giving them allurement of cash or under pressure ; and

(c) if so, the factual position in this regard and the amount of expenditure incurred on this as well as in prizes during the last one year ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जनवरी-फरवरी, 1972 में बृहत् नसबन्दी शिविर के दौरान किये गये नसबन्दी आपरेशनों के पश्चात महाराजगंज में पांच मौतें हुई, तत्सम्बन्धी सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार नसबन्दी आपरेशन करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं डाला गया था । सेवा शिविर के पहले सामूहिक तथा व्यक्तिगत सम्पर्कों के माध्यम से लोगों को सूचित करने और प्रेरित करने के लिये सघन अभियान चलाया गया था । इस अभियान के दौरान आपरेशन करवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सहायता के रूप में 80 रुपये देने का प्रस्ताव किया गया था ।

उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह वास्तविक खर्च की सूचना भेजें । केन्द्र सरकार ने नसबन्दी के प्रति मामले के लिये 114 रुपये की दर से सहायता स्वीकृत की थी ।

विवरण

27 जनवरी, 1972 से गोरखपुर प्रभाग में एक मास का वृहत् नसबन्दी अभियान आयोजित किया गया था। अन्य स्थानों के साथ-साथ गोरखपुर जिले के महाराजगंज में भी नसबन्दी आपरेशनों के लिये सेवा सुविधाएं उपलब्ध की गई थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस अभियान की अवधि के दौरान महाराजगंज में 2,521 नसबन्दी आपरेशन किये गये थे। छः मामलों में टिटेनस हो गया जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई।

पहली मौत की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रारम्भिक जांच का काम चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक तथा मेडिकल कालिज, इलाहाबाद के प्रिन्सिपल को सौंप दिया। इस दल ने देखा कि ये मौतें टिटेनस के कारण हुईं। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने इस संदूषण के कारण की जांच करने के लिये मेडिकल कालिज, इलाहाबाद, के एक प्रयोगशाला दल को नियुक्त किया। मृत्यु के कारणों की जाँच करने के लिये भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली, का एक दल नियुक्त किया।

इन दो दलों के जांच परिणाम इस प्रकार हैं :—

(क) मेडिकल कालिज, इलाहाबाद का प्रयोगशाला दल

इस दल ने अनाक्सीय सम्वर्द्ध के लिये महाराजगंज, बांसगांव तथा मिनी-कैम्पों से शल्य-क्रिया सामग्री, ड्रेसिन्ग, रूई, दस्तानों और डस्टिंग पाऊडर के नमूने एकत्र किये। इस प्रयोगशाला दल की रिपोर्ट से मालूम होता है कि जबकि अन्य सामग्री में टिटेनस के कीटाणु नहीं थे, परन्तु दस्तानों के लिये प्रयोग में लाये गये डस्टिंग पाऊडर के सम्वर्द्ध से ये कीटाणु उसमें पाये गए। इस दल ने निष्कर्ष निकाला है कि गोरखपुर जिले के नसबन्दी शिविर में दस्तानों के लिये प्रयोग किये जाने वाले डस्टिंग पाऊडर में टिटेनस के कीटाणुओं का संदूषण टिटेनस का कारण था।

(२) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली, का दल

(1) जाँच के दौरान एकत्र की गई सूचना से मालूम होता है कि इन मामलों का संदूषण आपरेशन के दौरान हुआ। ऐसा आपरेशन के दौरान अपूतिक क्रियाविधि के फेल हो जाने से हो सकता है।

(2) सड़कों/कृषि भूमि की गर्द में सी एल टिटेनी स्पोर्स होते हैं। यह गर्द आपरेशन थियेटरों में ले जाई गई।

(3) फिर भी आपरेशन के संदूषण का निश्चित कारण मालूम नहीं किया जा सका।

इस संदूषण के निश्चित कारणों की जांच करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार का आगे और छानबीन का आदेश देने का विचार है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has admi ted that six cases developed tetanus of which 5 proved fatal in the Camp at Maharajganj. The reports of two committees appointed to go into the causes of deaths are different. Now a third enquiry is being made. I want to know the time by which the inquiry would be completed. I also want to know the steps being taken to stop such incidents in which people have to contribute towards family planning by sacrificing their own lives.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि उन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारणों की दो एजेंसियों ने जांच की है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक

ने मैडिकल कालेज, इलाहाबाद की प्रयोगशाला टीम की मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त किया तथा हमने भी अपनी ओर से जांच कराई। उनकी रिपोर्टें तो अलग अलग अवश्य हैं किन्तु असंगत नहीं हैं। उनकी मृत्यु का सामान्य कारण टिटेनस संक्रमण है तथा यह संक्रमण सर्जनों अथवा आपरेशन करने वाले व्यक्तियों के दस्तानों से हो गया। यह दुर्भाग्य की बात थी।

जांच के परिणामस्वरूप इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों तथा इस बारे में पूरी सावधानी बरती जायेगी। इस बात से आप भी सहमत होंगे कि इतने बड़े शिविरों में ऐसी घटनाएं होने की सम्भावनाएं हैं। किन्तु मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में पूरे प्रयत्न किये जाएंगे कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the hon. Minister realises that the present practice regarding fixation of targets of such operations and the attemps to achieve the targets by means of coercion or allurement is wrong ? Do the Government want to fix the targets pertaining to humanbeings in the way in which they fix and achieve the physical targets in other fields ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shanker Dixit) : Sir, the hon. Member is unjust to the administration. It is entirely wrong to suggest that any pressure was used on somebody or something improper was none... **(Interruptions)**.... There is no question of greed also. He had been told what was the general practice. It is a serious matter. We are ourselves very sorry for what has happened. An inquiry is being made. As a result of this inquiry, it has been found that the powder used in the gloves was contaninated which led to tetanus. We are seriously considering this matter. But we have no information whatever to lead us to believe even indirectly that anything improper was done in bringing him these for operation.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, this question relates to human life. It is proper on the part of the pavement to fix target in this matter in the same way in which try fix physical targets ?

Shri Uma Shankar Dixit : Mr. Speaker, Sir, a serious matter is being used as a medium for satire and humour. The hon. Member is a very able person and I request that he should not be humorous on this issue.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, I am putting a question seriously as to whether it is proper to fix physical targets in this field and ask the officers to achieve these targets.

Shri Uma Shankar Dixit : It is wrong to say that human life is not taken into consideration and that no body cases for the saving the human life.

Shri Shiv Kumar Shastri : Sir, May I know from the hon. Minister whether it is not an allurement to the people to provide special financial assistance to those who undergo operation ? Secondly, is it obligatory on the officers of the Family Planning Department to ensure the operation of a prescribed number of persons ?

Thirdly, the purpose of this operation is to avoid conception. May I know whether in certain cases this purpose is defeated even after undergoing this operation. The Government should set up orphanages to bring up such children.

Shri Uma Shankar Dixit : I would like to reply to the third question first. The hon. Member might be having more information regarding such cases in which persons who have undergone operation got children. I have got no information in this matter....

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker. Sir, it is a very serious matter while the hon. Minister is taking lightly.

Shri Uma Shankar Dixit : A small sum is given to the persons to enable them to meet their traval expenses and expenditure on nourishing diet for some days after the operation. It is not correct to think that persons come for operation just because they get this money.

श्री के० नारायण राव : यद्यपि देश के सभी भागों से इस ग्रापरेशन के कारण मृत्यु ग्रौर कुछ बीमारियों के समाचार मिल रहे हैं, मेरे विचार से इसका कारण ग्रसावधानी ग्रथवा ग्रन्य ऐसी बातें नहीं हैं। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन व्यक्तियों के दु.खी परिवारों को मुग्रावजा देने पर विचार कर रही है जो मर गये हैं ग्रथवा ग्रयोग्य हो गये है ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : यह प्रश्न पहली बार पूछा गया है। विभिन्न स्थानों पर बड़े-२ शिविर खोले गये है जिनकी संख्या लगभग 6 थी। यह एक दुर्घटना घटी है तथा मुग्रावजे के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

Shri S. M. Banerjee : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has said that the whole matter is being inquired into. May I know whether he has been informed of the fact that in certain cases persons get this sum without undergoing the operation while in the official records they are shown as operated ? Certain persons have made it a source of income. What are the steps being taken by the Government to stop this malpractice ?

Shri Uma Shanker Dixit : I would like to request the hon. Member that if he has got any information in this regard he should kindly pass it on us. I have no such information. If he gives us more information in this regard we will certainly take necessary steps.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में प्राइवेट ग्रौर निजी बस सेवा

*222. **श्री सरजू पांडे** : क्या नौवहन ग्रौर परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चल रही प्राइवेट ग्रौर निजी बसों की संख्या क्या है;

(ख) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कोई निर्धारित किराया है ग्रौर यह किराया किस ग्राधार पर निर्धारित किया गया है, ग्रौर

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई बार निजी बसें ग्रोवर लोड रहती हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन ग्रौर परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों तथा दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन के ग्रधीन प्राइवेट बसों के ग्रतिरिक्त इस समय दिल्ली में ५७ प्राइवेट बसें ग्रौर 71 मिनी बसें चल रही हैं।

(ख) जी, हां। साधारण ग्राकार की प्राइवेट बसों के लिए ग्रनुमोदित भाड़ा प्रति दो किलोमीटर का 5 पैसे है तथा मिनी बसों के लिए प्रति कि०मी० का 5 पैसे है जो 35 पैसों से

कम और एक रुपये से अधिक न होने के अधीन है। मिनी बसों का किराया, उनकी कम यात्री ले जाने की क्षमता, उन में भार ले जाने की व्यवस्था और यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि उन के यात्रियों को खड़ा करने की अनुमति नहीं है, तय किया गया है ।

(ग) जी, हां । मिनी बसों में अधिक संख्या में यात्रियों को ले जाने के मामले की दिल्ली प्रशासन के ध्यान में आये हैं ऐसी बसों के स्वामियों को पकड़ने के लिए विशेष चैकिंग तथा छापा मारने की व्यवस्था की गई है । अपराधी बस स्वामियों के खिलाफ मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 60 के अधीन उनके परमिट निलम्बित/रद्द करने की कार्यवाही की जाती है ।

रत्नाकर शिपिंग कंपनी के लिये मंजूर किया गया ऋण

* 223. **श्री अजीत कुमार साहा :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में बिड़ला की रत्नाकर शिपिंग कम्पनी के लिए कितना ऋण मंजूर किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : सरकार ने रत्नाकर शिपिंग कम्पनी को हाल ही में कोई ऋण मंजूर नहीं किया है ।

त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

*226. **श्री वीरेन्द्रसिंह राव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या 12 साल की स्कूल शिक्षा के बाद त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भारत सरकार द्वारा 1968 में जारी की गई थी. यह निर्धारित किया गया है कि देश में शिक्षक ढांचे का अन्तिम उद्देश्य 10 + 2 + 3 वर्ष की पद्धति को अपनाना होना चाहिए । चूंकि शिक्षा राज्य विषय है, अतः ढांचे का अपनाया जाना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है । जहां तक केन्द्रीय सरकार के अधीन स्कूलों का संबंध है , वर्तमान 11 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की बजाय 10 वर्षीय प्राथमिक/ माध्यमिक पाठ्यक्रम और उसके बाद दो-वर्षीय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम, अपनाए जाने का प्रश्न विचाराधीन है । केन्द्रीय सरकार का यह पक्का विचार है कि प्रथम डिग्री का पाठ्यक्रम तीन वर्ष की अवधि का होना चाहिए ।

भारत से ब्रिटेन और योरूपीय बन्दरगाहों को खली ले जाने के भाड़े की दरें

*229. **श्री बक्शी नायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से ब्रिटेन और योरुपीय बन्दरगाहों को खाली ले जाने के भाड़े की दरों पर विचार करने के लिए लन्दन में हाल ही में कोई सम्मेलन हुआ था,

(ख) यदि हाँ, तो सम्मेलन में लिये गये मुख्य निर्णय क्या हैं, और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। भारत। यू०के०। महाद्वीप सम्मेलन की 7 मार्च 1972 को लंदन में एक बैठक हुई जिसमें अन्य बातों के साथ भारत से यूनाइटेड किंगडम और अन्य महाद्वीपीय पत्तनों से खली के भाड़ा दर का निश्चय करना था।

(ख) सम्मेलन ने 13-3-72 से मई 1972 के अन्त तक वैद्य भारत से यू० के० महाद्वीप को सभी प्रकार की खली के पोत लदान के लिए प्रति 1000 किलोग्राम के लिए 22.50 यू० एस० डालर के निम्न विशेष दर और 5 5 प्रतिशत करेन्सी समायोजन अतिभार और 13.5 प्रतिशत स्वेज नहर अतिभार निर्धारित करने का निश्चय किया है। 5000 टन से अधिक के पार्सलों के लिए सम्मेलन ने पोत वणिकों से दर के लिए बातचीत के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है जिसके लिए इसने समिति बनाई है।

(ग) भाड़ा दर उत्पादन की प्रतियोगितात्मकता को प्रभावित करने वाले बातों में से एक होने पर यह मालूम नहीं है कि खली का निर्यात किस हद तक प्रभावित होने की संभावना है।

गेहूँ का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार का अनुरोध

*230. **श्री निहार लास्कर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने कृषि मूल्य आयोग से गेहूं का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग के क्या कारण हैं, और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) हाल के वर्षों में विभिन्न आदानों की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण उत्पादन-लागत बढ़ गई है।

(ग) पंजाब सरकार ने कृषि मूल्य आयोग के सामने अपने विचार रखे थे। कृषि आयोग ने अभी हाल में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उनकी रिपोर्ट पर शीघ्र ही होने वाले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जाएगा। मुख्य मंत्रियों के मतों पर विचार करने के बाद गेहूं के मूल्य घोषित किए जायेंगे।

Increase in Production of Foodgrains, Cotton, Mustard, Ground-Nut and Soyab an

*233. **Shri R. R. Sharma :**

Shri Narendra Singh :

Will the Minister of Agricilrure be pleased to state :

(a) Whether a scheme has been formulated to increase the production of foodgrains by using improved varieties of wheat and jowar;

(b) whether a similar scheme has also been formulated to increase the production of cotton, mustard, ground-nut and soyabean; and

(c) if so, the main features thereof and the progress made so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde):

(a) A new strategy for agricultulral development has been introduced since 1966-67. It includes the High-Yielding Varieties and Multiple Cropping Programmes for iucreasing agricultural production particularly, foodgrains. The cultivation of short duration high-yeilding varieties of wheat and jowar forms a part of these two programmes.

(b) Yes, Sir, The Centrally Sponsored Schemes are in operation for Intensive Cotton Developmeat Programme, Maximisirg Production of Ground nut and Castor Development, Soyabean Development and Mass Plant Protection measures on Rapeseed-Mustard.

(c) The main features of these schemes are increasing their production through adoption of 'Package of Practices' which include use of improved seeds, fertilizers, plant protection measures, etc. Subsidies have been provided for demonstrations and plant protection chemicals.

The progress so far reported under these schemes during 1971-72 is as follows:—

Centrally Sponsored Scheme		Target	(Aree in hectares)	Achievement
1. Intensive Cotton District Programme		520,000	Improved seeds :	232,000
			Fertilisers :	389.000
			Plant Protection (Gross) :	1,153,000
2. Maximising production of Groundnut	Kha.	2,002,050	1,583,695	
	Rabi	269,700	299,151	
3. Castor Development		Packages :		
	Kha.	16,200	16,200	
	Rabi	6,000	1,900	
		22,000	1$,100	
		Demonstratrationst		
	Kha.	480	480	
	Rabi	60	45	
		540	525	
4. Soyabean Development		45,000	33,384	
		(Pure :	19,149	
		Mixed) :	14,235)	
5. Rapeseed-Mustard		Demonstratio :		
		1,210	640	
		Mass Plant Protection Measures		
		142,400	61,993	

चीनी के उत्पादन और मूल्यों में उतार-चढ़ाव

*234. श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ :
डा० कर्णी सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के चीनी उद्योग की प्रगति में वर्षों से अस्थिरता चली आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चीनी के उत्पादन और खुले बाजार में इसके मूल्यों में तेजी से उतार चढ़ाव आने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। चीनी के उत्पादन के संदर्भ में यदि देखा जाए।

(ख) और (ग) : चीनी के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण चीनी उद्योग को गन्ने की सप्लाई में घट-बढ़ है जिसके कारण ये हैं :—

(क) गन्ने के उत्पादन में उतार-चढ़ाव।

(ख) गन्ने के कम उत्पादन के वर्षों में गन्ने से गुड़ और खण्डसारी तैयार करना और गन्ने के अधिक उत्पादन के वर्षों मे चीनी का उत्पादन करना।

हाल ही में खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारणों को बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

चीनी के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं—

1. गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी होने और उत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा होने और बाढ़ें आने तथा दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में सूखे से गन्ने की फसल को क्षति पहुंचने के कारण चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आने की प्रत्याशा में मूल्य बढ़ गए।

2. गुड़ और खण्डसारी के मूल्यों में वृद्धि का सहानुभूतिक प्रभाव।

3. फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का अपेक्षाकृत ऊंचा मूल्य देने और अन्य तत्वों के परिणामस्वरूप चीनी की उत्पादन लागत में वृद्धि।

4. पर्याप्त वृद्धि के बारे में अटकलें जिससे टैरिफ के वास्तविक मूल्य को, उत्पादन शुल्क, जोकि मूल्यानुसार 30 प्रतिशत है, लगाने के लिए पहली फरवरी को 150 रुपये प्रति क्विटल से बढ़ाकर 165 रुपये प्रति क्विटल और पहली मार्च, 1972 को 165 रुपये से बढ़ाकर 190 रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया है।

5. हाल ही के 1972–73 के बजट में चीनी पर उत्पादन शुल्क की दर में वृद्धि करने के बारे में अटकलें।

शिक्षकों को रोजगार देने की योजना

*235. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 12 फरवरी, 1972 को 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार ने वर्ष 1972-73 में 45 हजार शिक्षकों को रोजगार देने सम्बन्धी एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना में कितनी धन राशि व्यय होगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, भारत सरकार द्वारा 1971-72 में बनाई गई योजना चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में भी चालू रहेगी। उक्त योजना के अधीन 30,000 प्राथमिक स्कूल-अध्यापकों, 240 सहायक स्कूल निरीक्षकों, "कार्य अनुभव" के 1,000 अनुदेशकों को नियुक्त करने, लगभग 9 लाख बच्चों को निशुल्क लेखन-सामग्री तथा पाठ्यपुस्तकें बांटने तथा लगभग 8.6 लाख अतिरिक्त बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने के लिये राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है। 1971-72 के दौरान 4 महीनों की अवधि के लिए इस योजना के लिये 4.416 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

उपर्युक्त योजना 1972-73 के दौरान भी चालू रहेगी, तथा पूरे वर्ष के लिए अनुमानित परिव्यय 12 करोड़ रुपए है। 1972-73 में 18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त विनिधान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विनिधान के अधीन कार्यान्विति की जाने वाली योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

गूंगों और बहरों के लिए स्कूल

***237. श्री एम० एम० जोजफ** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गूंगों और बहरों के लिए देश में और अधिक स्कूल खोलने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे कहाँ-कहाँ खोले जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा शिक्षा में संशोधन

***238. श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा

शिक्षा उन्नयन संगठन ने वर्तमान चिकित्सा शिक्षा में संशोधन करने की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) : भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रगति संघ के हाल में हुए 11वें सम्मेलन का मुख्य विषय था "चिकित्सा शिक्षा में स्वास्थ्य दल की संकल्पना" (दि कन्सेप्ट आव हेल्थ टीम इन मेडिकल एजुकेशन)। इस सम्मेलन के सुझावों की मुख्य-मुख्य बातों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) इस संघ से कोई औपचारिक संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी, इन सुझावों पर विचार किया जायेगा।

विवरण

भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रगति संघ के 11वें सम्मेलन में दिये गये सुझावों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) गुण और मात्रा दोनों दृष्टियों से अपेक्षित चिकित्सा कार्मिक तैयार करने (जिनमें चिकित्सक, नर्स, तकनीशियन, हेल्थ विजिटर सफाई कर्मचारी, सहायक नर्स-धात्री तथा इसी प्रकार के अन्य वर्ग के तकनीकी तथा परा चिकित्सा कार्मिक सम्मिलित हैं) के लिए चिकित्सा शिक्षा में समाज तथा सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना पड़ेगा।

(2) स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा अन्य पराचिकित्सा कार्मिकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सामाजिक उद्देश्य क्या हैं, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये चिकित्सा शिक्षा के लक्ष्य क्या हों, चिकित्सा शिक्षा में इसके लिये पाठ्यचर्या कैसी हो, शिक्षण की विधियाँ क्या हों, इसका निर्धारण एवं मूल्यांकन इन सारी बातों में पारस्परिक सम्बन्ध होना चाहिये जिससे इस शिक्षा के जो परिणाम निकलें वे इन उद्देश्यों से मेल खाएं।

(3) इस शिक्षा और पढ़ाई से प्राप्त होने वाला ज्ञान यथार्थ-वादी हो तथा वह लोगों की आवश्यकतानुसार हो।

(4) समाज के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य कार्मिकों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थाओं के बीच घनिष्ट सहयोग रहे।

(5) चिकित्सा परिचर्या. जन स्वास्थ्य प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं का एकीकरण कर दिया जाय ताकि लोगों को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या की शिक्षा मिल सके।

(6) वर्तमान शिक्षकों को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या तथा शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान

देना तथा आवश्यकता पर आधारित नयी चिकित्सा शिक्षा के लिए भावी शिक्षकों को प्राशक्षित करना ।

(7) सभी कार्मिकों के लिए सामयिक अभिनवन पाठ्यक्रम ।

फसल के आने से पूर्व खाद्यान्नों के मूल्यों को बढ़ाने से रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई कार्यवाही

*239. **श्री रामकंवर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल के आने से पूर्व खाद्यान्नों के मूल्यों को बढ़ जाने से रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुछ कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम की कार्यवाही से उत्पादकों को किस हद तक लाभ होने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्यों में बढ़ोतरी प्रवृत्ति रोकने और उनके मूल्यों को नीचे लाने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में गेहूं और मोटे अनाजों की बिक्री कर रहा है । खुले बाजार में इस बिक्री के परिणामस्वरूप उत्पादकों को कोई सीधा फायदा नहीं होता है तथापि सरकार द्वारा मूल्य साहाय्य नीति का अनुसरण करने के कारण उत्पादकों को उनकी पैदावार का उचित लाभ मिलता है ।

काजू अनुसंधान संस्था की स्थापना

1607. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काजू अनुसंधान संस्था स्थापित करने के बारे में केरल काजू विकास निगम द्वारा तैयार की गई योजना सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेश व्यापार मंत्रालय में, केरल में केवल काजू के लिए एक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिये एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । उन्होंने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है । परन्तु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस फसल के बारे में अनुसंधान कार्यक्रम को सबल बनाने के लिए कदम उठाये हैं ।

जन स्वास्थ्य से संबंधित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

1608. **श्री वयालार रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या जन स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नई दिल्ली के आय-कर कार्यालय के निकट पुल का उपयोग

1609. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री 30 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6382 और 15 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर कार्यालय, नई दिल्ली के निकट के पुल पर भारी परिवहन मोटर-गाड़ियों के चलने पर लगाया गया प्रतिबन्ध 31 दिसम्बर, 1971 को हटा लिया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उस मार्ग से अब तक पुनः चलाई गई दिल्ली परिवहन निगम की बसों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में आय कर कार्यालय के निकट यमुना पुल के पूर्वी पहुंच मार्ग का एक भाग, जोकि उसे पटपड़ गंज सड़क से मिलाता है, भूमि अर्जन और 4 मकानों के निर्मित संरचनाओं को खाली कराने संबंधी न्यायालय निषेधाज्ञा के कारण हुई देरी से अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इस लुप्त कड़ी पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और उक्त शेष चार मकानों के संबंध में निषेधाज्ञा खारिज किये जाने के बाद और उनका पूरा कब्जा प्राप्त कर लेने पर, उपर्युक्त लुप्त कड़ी का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा श्यमशान घाट और रेल एवं सड़क पुल के बीच के भाग में उक्त पुल के पूर्वी पहुंच मार्ग और पुराने रेल एवं सड़क यमुना पुल के बीच बांध के साथ साथ जाती हुई सड़क की लंबाई के भाग को भी सशक्त किया जाना है और कार्य के इस वर्ष के लगभग मध्य तक पूरे हो जाने की संभावना है। बांध के सशक्त करने का कार्य पूरा हो जाने पर बसें आयकर कार्यालय और इस सड़क के निकट पुल के उपयोग करने के लिए अनुमति दिये जाने की संभावना है, और इस संबंध में कुछ यातायात नियामक आवश्यक प्रतिबंध लागू किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त पटपड़गंज से मिलाने वाली पुल को जाने वाले पूर्वी पहुंच मार्ग की शेष लुप्त कड़ी के निर्माण पर इसी तरह कुछ आवश्यक यातायात नियामक प्रतिबंधों को लागू करते हुए इस पर सभी प्रक र की भारी परिवहन गाड़ियों के आने जाने की अनुमति दिये जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डेरा इस्माइल खां गृह निर्माण समिति, दिल्ली को आबंटित भूमि का विकास

1610. **श्रीमती गंगा देवी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरा इस्माइलखां गृह निर्माण समिति के विरोधी गुटों के प्रबन्धकों की गतिविधियों को देखते हुए सरकार अंशधारियों के हितों के लिये क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) भूमि के विकास का कार्य अब किस स्थिति में है और समिति को किस समय तक भूमि का विकास कर अंशधारियों को प्लाट देने को कहा गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) समिति की महासभा ने 19-9-71 को प्रबन्धक समिति का निर्वाचन किया था, अतः प्रतिद्वन्दी दलों द्वारा कार्य के संचालन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) भूमि को समतल कर दिया गया है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 80 फीट चौड़ी जोनल रोड का निर्माण कर दिया है। शेष कार्य के लिये, समिति ठेकेदार से बातचीत कर रही है। प्रारम्भ में, समिति को 13 मार्च, 1970 तक भूमि का विकास करना अपेक्षित था। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 21-4-1971 को ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया। परिणामस्वरूप दिल्ली प्रशासन तारीख को तब तक बढ़ा देगा, जब तक समिति द्वारा भूमि का विकास किया जाना है।

मध्य प्रदेश के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में मध्य प्रदेश से प्रतिवेदन

1611. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर रीवा क्षेत्र के अभावग्रस्त भागों के सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। 1969-70 और 1970-71 में राज्य सरकार ने राज्य के कुछ भागों में सूखे के कारण कमी की स्थिति जारी रहने की सूचना दी है।

(ख) केन्द्रीय दलों ने स्थिति और वित्तीय सहायता की जरूरतों का जायजा लेने के लिए राज्य का मई, 1969 और अगस्त, 1970 में दौरा किया। 1969-70 और 1970-71 के दौरान राज्य सरकार को राज्य में सूखा सहायता सम्बन्धी खर्चों के प्रति ऋण के रूप में 117 लाख रुपये की राशि दी गयी थी।

भारत सरकार ने राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि आदानों के लिए 1387·88 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण भी दिया था।

मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में अभाव की स्थिति

1612. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या कृषि मन्त्री मध्य प्रदेश की रीवा क्षेत्र में अभाव तथा दुर्भिक्ष की स्थिति के बारे में 5 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7019 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : **(क) तथा (ख)** : जानकारी एकत्र करली गई है और उसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

1 अभाव की परिस्थितियां सामान्यरूप से मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र के सिद्धी तथा शाहडोल जिलों में मौजूद हैं, परन्तु रीवा जिले में भी कभी 2 अभाव की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है।

2. अभाव की परिस्थितियों को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में राज्य सरकार ने कई समन्वित परियोजनाओं को तैयार करके कार्य शुरू कर दिया है। चौथी योजना के दौरान इस योजना को हल करने के उद्देश्य से चौथी योजनावधि में भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त राज्य योजना तथा ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम द्वारा आरम्भ की जाने वाली लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 10,800 हैक्टार क्षेत्र में मृदा तथा संरक्षण और 32,000 हैक्टार क्षेत्र में सिंचाई कार्य करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त शाहडोल जिले में 4000 हैक्टार क्षेत्र और सिधी जिले मे 34,000 हैक्टार क्षेत्र में बन-सागर परियोजना नामक एक प्रमुख परियोजना (जो विचाराधीन है) के पूरा होने पर सिंचाई की जा सकेगी।

3. रीवा जिले में उन्नत शुष्क फार्मिग पद्धतियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में एक मार्गदर्शी परियोजना स्वीकृत की गई है।

संसद भवन में खानपान की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे दूध की शुद्धता को उचित स्तर तक लाने के लिये कार्यवाही

1613. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्लियामेंट हाऊस में खानपान की व्यवस्था करने वाली विभिन्न संस्थानों अर्थात रेलवे रिफ्रेशमेंट रूम, चाय और काफी बोर्ड बुके द्वारा प्राप्त दूध की शुद्धता के स्तर की कोई जाँच पड़ताल की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी अवधि में यह जाँच की जाती है और वह किस एजेंसी द्वारा की जाती है;

(ग) इस प्रकार की जाँच पड़ताल के दौरान यदि कोई कमियाँ पाई गई हैं तो वे क्या हैं; और

(घ) दूध की शुद्धता को उचित स्तर तक लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : **(क) और (ख)** : सरकार द्वारा नियुक्त खाद्य निरीक्षक समय-समय पर इन संस्थाओं का दौरा करते हैं।

(ग) मिलावट का कोई उदाहरण उनके ध्यान में नहीं आया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरांवाला हाऊस बिल्डिंग कोओपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली द्वारा राशि का वसूल किया जाना

1614. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरांवाला हाऊस बिल्डिंग कोओपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली ने अपने सदस्यों से पूरी राशि वसूल कर ली थी और उनमें से बहुत से सदस्यों को प्लाट नहीं दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सदस्यों से पूरी राशि वसूल किये जाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार द्वारा स्वीकृत नक्शे में उनके लिये प्लाटों की कोई व्यवस्था नहीं थी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन सदस्यों से पूरी राशि वसूल नहीं की गई है, जिन्हें अभी प्लाट आवंटित नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरांवाला हाऊस बिल्डिंग को आपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली द्वारा काटे गये प्लाट

1615. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरांवाला हाऊस बिल्डिंग कोअपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली द्वारा काटे गये कितने प्लाट सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये थे और सोसाइटी की पहली मूल योजना में प्लाटों की संख्या कितनी थी और उनका माप कितना था ;

(ख) मूल योजना में संशोधन करने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या वर्ष 1957-59 की अवधि में सोसाइटी के पंजीकृत सभी सदस्यों को प्लाट दिये गये थे और जो बाद में पंजीकृत किये गये थे, उन्हें छोटे प्लाट देने की पेशकश की गई थी अथवा आबंटन के लिये उनके मामलों पर विचार ही नहीं किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) (i) 620 प्लाट ।

(ii) प्रारम्भ में समिति ने 598 प्लाट काटने का सुझाव दिया था ।

प्लाटों का आकार तथा संख्या निम्न प्रकार थी :—

प्लाटों का आकार	प्लाट का क्षेत्रफल वर्ग गजों में	प्लाटों की संख्या
भाग (क)		
(क) 30'×90'	390,00	100

(ख) 29′×75′	241.67	88
(ग) 25′×60′	166 67	203
(घ) 39′×75′	325.00	5
		306
भाग (ख)		
(क) 25′×60′	166.67	186
(ख) 29′×75′	241.67	10
(ग) 33′×81′	297 00	6
	कुल जोड़ ?98	202

(ख) अधिक से अधिक सदस्यों को स्थान देने के लिये तथा बृहत योजना की आवश्यकताओं के अनुसार जनसंख्या के घनत्व की प्राप्ति हेतु।

(ग) जैसा कि समिति द्वारा सूचित किया गया है 1959 तक पंजीकृत सदस्यों को प्लाट दिये गये थे, सिवाये पांच सदस्यों के, जिन्होंने अपेक्षाकृत छोटे प्लाटों के आवंटन के लिये विकल्प नहीं दिया तथा उस अतिरिक्त भूमि में से बड़े आकार के प्लाटों के आवंटन के लिये प्रतीक्षा करना पसन्द किया जो समिति को आवंटित किये जाने की संभावना है। 1959 के उपरान्त पंजीकृत किए गये पात्र सदस्यों को उपलब्ध आकार के प्लाटों की पेशकश की गई, और जो छोटे प्लाटों के लिये राजी हुए उन्हें वे प्लाट आवंटित कर दिये गये।

नई दिल्ली में डी० आई० जेड० एरिया, के सैक्टर 'डी' में गैरेजों का दुरुपयोग

1616. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में डी० आई० जेड० एरिया के सैक्टर डी के टाइप II और III के क्वार्टर के आलाटियों में कुछ आलाटी अपने गैरेजों का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के अन्तर्गत सिटरस 'डाई बैंक' का उप-केन्द्र

1617. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "सिटरस डाइ बैंक" जैसे गम्भीर रोग के निदान के लिये अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के अन्तर्गत एक उप-केन्द्र की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहले से ही अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना चला रही है, जिसके अन्तर्गत गोनिकोप्पल (मैसूर राज्य), श्री रामपुर (महाराष्ट्र) तथा भटिंडा में साइट्रस डाई बैंक की गम्भीर समस्या के हल के लिए जांच पड़ताल प्रारम्भ की गई है।

नींबू जातीय फलों के ह्रास के सम्बन्ध में एक पृथक अनुसंधान परियोजना भी विचाराधीन है।

केरल में दाल अनुसंधान

1618. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में दालों सम्बन्धी अनुसंधान को बल देने में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : अखिल भारतीय समन्वित दाल सुधार परियोजना के अधीन केरल राज्य में कोई केन्द्र नहीं है। बंगलौर स्थित केन्द्र ही केरल राज्य की जरूरतों को पूरा करता है।

केरल सरकार से केरल में दालों पर अनुसंधान कार्यों को बढ़ाने के लिये एक योजना, जिसकी कर-राशि से वित्त व्यवस्था की जायेगी, हाल में ही प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

केरल में दुग्ध संरक्षण संयंत्र

1619. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में दूध के उत्पादन को स्थिर करने और बढ़ाने के लिए संरक्षण संयंत्र की स्थापना का कार्य किस स्थिति में है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : यह राज्य योजना में शामिल नहीं है। इस परियोजना की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधनों की सम्भाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है।

पालोद (केरल) में खजूर तेल अनुसन्धान केन्द्र

1620. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पालोद (केरल) अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना का कार्य इस समय किस स्थिति में है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : योजना आयोग ने केसर गोद में केन्द्रीय बागान फसल अनुसन्धान संस्थान को सुदृढ़ करने के लिए एक योजना को स्वीकृत कर दिया है और अब वित्त मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। इस योजना पर लगभग 40·00 लाख रुपये व्यय होंगे तथा इसके अन्तर्गत पलोड में ताड़ के तेल पर अनुसन्धान कार्य भी किया जायेगा।

केरल में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान को आवटित की गई भूमि

1621. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच के अनुसार केरल में केन्द्रीय अनुसंधान सस्थान चालू करने के लिये 157·14 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समय यह मामला किस अवस्था पर है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) केरल में अलग मसाला अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। कालीकट में एक मसाला अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव, को केन्द्रीय पौद-रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कसरागोड से सम्बद्ध होगा, स्वीकृत किया गया है उसके विषय में और अधिक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

नई दिल्ली में जूनियर इंजीनियरों द्वारा प्रदर्शन

1622. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले जूनियर इंजीनियरों ने उनके निवास स्थान के सामने 19 मार्च, 1972 को प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी माँगों का ब्यौरा क्या है और इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले जूनियर इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है और उसमें से लगभग कितने इंजीनियरों ने प्रदर्शन में भाग लिया था ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रदर्शनकारियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य कर रहे स्नातक तथा गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियर दोनों सम्मिलित । स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की मांग थी कि सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में 50% पद पात्र स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिएं जैसे कि इससे हले होता था; और जब तक यह न मान लिया जाय, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जो कि 20–3–1972 को होनी-निश्चित हुई थी, नहीं होनी चाहिए। गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की मांग थी कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के ग्रेड की नियुक्ति के कोटे का सही ढंग से निर्धारण नहीं किया गया था ध्यान में रखते हुए पदोन्नति पूर्णतया योग्यता तथा वरीयता के आधार पर की जानी चाहिए और कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नियत किये गये समय पर होनी चाहिए।

यह निर्णय किया गया कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक निश्चित समय के अनुसार बुलाई जाये परन्तु स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों द्वारा उठाई गई मदों पर भी शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य कर रहे कनिष्ठ इंजीनियरों (सिविल) की कुल

संख्या 2755 है । इन में से, प्रदर्शन में भाग लेने वालों की लगभग संख्या मोटे तौर पर 75 से 100 के बीच रही होगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण बिभाग में जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति

1623. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ए० एम० आई० ई० और उनके समान अर्हताओं वाले कितने अंशकालिक स्नातक हैं जो पदोन्नति के पात्र हैं; और

(ख) जूनियर इंजीनियरों की, जिनके पास नियमानुसार इंजीनियरी में डिप्लोमा, डिग्री और अंशकालिक डिग्री हैं जो प्रमाणित अथवा अप्रमाणित है, पदोन्नति के लिये पात्र होने की अब तक कितनी अवधि निर्धारित थी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 135 कनिष्ठ इंजीनियर ।

(ख) 1961 से ए० एम० आई० ई० कनिष्ठ इंजीनियरों समेत स्नातकों तथा गैर-स्नातकों के बारे में अपनाये गये पात्रता के मानदण्ड का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति के लिये पात्रता का मानदण्ड ।

(क) सनातक, जिनमें ए० एम० आई० ई० शामिल हैं ।

(क) 1961-64

ए० एम० आई० ई० कनिष्ठ इंजीनियर हों तथा ग्रेड में 3 वर्ष की मेवा हो, पात्रता की अवधि ए० एम० आई० ई० पास करने की अवधि से या 100-8-140-10-300 के वेतनमान में 160/– रुपये पर या 180-10-290-15-380 रुपये के पुनरीक्षित वेतनमान में 240/– रुपये पर पहुंचने की तारीख से इसमें से जो भी अधिक लाभकारी था मानी जाती थी ।

(ख) 1965-66

ग्रेड में, 3 वर्ष की सेवा ए० एम० आई० ई० कनिष्ठ इंजीनियर, यह अवधि ए० एम० आई० ई० पास करने की तिथि से या ग्रेड में छः वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से, इसमें जो भी अधिक लाभकारी हो गिनी जाती थी ।

(ग) 1967

ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा । ए० एम० आई० ई० कनिष्ठ इंजीनियर के लिए यह अवधि ए० एम० आई० ई० पास करने की तिथि से या ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से, इसमें से जो भी अधिक लाभकारी हो, गिनी जाती थी ।

(घ) **1968-70**

सीधी भर्ती से आये स्नातकों के लिये, ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा, तथा ए० एम० आई० ई० पास करने की तिथि से 5 वर्ष की सेवा या ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा, उन के लिये जिन्होंने सेवा में रह कर ए० एम० आई० ई० पास की इसमें से जो भी अधिक लाभकारी थी।

(ङ) **वर्तमान**

ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा। ए० एम० आई० ई० कनिष्ठ इंजीनियर यह अवधि ए० एम० आई० ई० पास करने की तिथि से या ग्रेड में छः वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से इसमें से जो भी अधिक लाभकारी हो, गिनते हैं।

(ख) स्थाई डिप्लोमा होल्डर

(क) **1961-66**

ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा।

(ख) **1967 तथा उससे ऊपर**

ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा।

(ग) स्थायी अनर्ह

(क) **1961-66**

ग्रेड में 12 वर्ष की सेवा।

(ख) **1967 तथा उससे ऊपर**

ग्रेड में 15 वर्ष की सेवा।

आन्ध्र प्रदेश में एकाधिकार क्रेताओं द्वारा तम्बाकू के मूल्य में कमी

1624. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खरीद के मामले में चार कम्पनियों का एकाधिकार है;

(ख) क्या इन चार कम्पनियों ने हाल में आपस में समझौता करके तम्बाकू के मूल्य को 500 रुपये से घटा कर 250 रु० प्रति क्विंटल कर दिया है;

(ग) क्या इस कार्यवाही के कारण आन्ध्र प्रदेश के तीन जिलों में तम्बाकू उत्पादकों की हड़ताल हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश में बड़ी मात्रा में तम्बाकू पाँच फर्मों द्वारा खरीदा जाता है।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है ।

(ग) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार एक या दो केन्द्रों पर कृषकों द्वारा कुछ गड़बड़ी की गई थी जिसके फलस्वरूप तम्बाकू भारी मात्रा में छोड़ दिया गया ।

(घ) राज्य व्यापार निगम ने आन्ध्र प्रदेश उत्पादकों से तम्बाकू खरीदना शुरू कर दिया है और अब मूल्यों में कुछ बेहतरी हो गई है ।

नगरीय क्षेत्रों में बच्चों और युवकों के लिये समेकित सेवाओं का कार्यक्रम

1625. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय क्षेत्रों में बच्चों और युवकों के लिये समेकित सेवाओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़ौदा को छोड़ अन्य नगरों की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि द्वारा दी जाने वाली 100,000 की सहायता का उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर यह राशि खर्च की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) बम्बई, बड़ौदा और लखनऊ के चुने हुए शहरी क्षेत्रों में बच्चों के लिए समेकित सेवाओं के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्टों के मसौदे जन प्रशासन के भारतीय संस्था के नगर पालिका प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान सम्बन्धी केन्द्र द्वारा तैयार किये गये हैं और उन्हें समाज कल्याण विभाग को पेश कर दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) : जी, हाँ । 1970-71 के लिए यूनिसेफ की 100,000 डालर की सहायता अध्ययन करने तथा इन परियोजना रिपोर्टों का तैयार करने के लिए हैं ।

कृषकों की अधिकतम आय

1626. **श्री बी० वी० नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में कृषक को कितनी अधिकतम आय हुई; और

(ख) उन कृषकों के नाम क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) ; (क) तथा (ख) : राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी। इस प्रकार की जानकारी संभवत: राज्य सरकारों के पास भी आसानी से उपलब्ध नहीं होगी ।

उड़ीसा सरकार द्वारा परादीप पत्तन न्यास में नियुक्तियाँ

1627. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप पत्तन न्यास से परामर्श किये बिना उड़ीसा सरकार ने 15 नवम्बर,

1971 की अपनी अधिसूचना के द्वारा सहायक सचिव और सम्पदा अधिकारी के पद पर दो राजस्व अधिकारियों की सीधी नियुक्ति की थी,

(ख) क्या परादीप पत्तन न्यास ने इन पदों पर कार्य करने के लिए दो अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए उड़ीसा सरकार से प्रार्थना की थी, और

(ग) क्या पहले से उस पद पर काम कर रहे सहायक सचिव की पत्तन श्रमिक कांग्रेस (उड़ीसा की उत्कल कांग्रेस के नेतृत्व में के सदस्यों ने पीटा था क्योंकि परादीप पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा उसे तत्सम्बन्धी आदेश न दिए जाने के कारण वह नव नियुक्त सहायक सचिव को कार्यभार नहीं सौंप सका था ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां किन्तु उन्होंने बाद में सहायक सचिव से सम्बन्धित आदेश को रद्द कर दिया ।

(ख) चूंकि उस समय सहायक सचिव के पद धारक की अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली थी, अतएव उस पद पर प्रतिनियुक्ति पर, नियुक्ति के लिये चुनावार्थ उपयुक्त अधिकारियों के नामों का पेनल भेजने के लिये उड़ीसा सरकार से प्रार्थना की गई थी। राज्य सरकार से सम्पदा अधिकारी के पद धारक की प्रतिनियुक्ति की अवधि दो वर्ष की और बढ़ाने के लिये भी निवेदन किया गया था ।

(ग) नहीं ।

परादीप पत्तन न्यास में उप-सहायक इंजीनियर को खपाना

1628. **श्री देवेन्द्र सत्पथी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जून, 1971 को हुई अपनी बैठक में परादीप पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा उप-सहायक इंजीनियरों को उड़ीसा सरकार को वापिस भेजने का स्पष्ट निर्णय लिए जाने के बावजूद परादीप पत्तन न्यास उन्हें पत्तन न्यास की सेवाओं में खपाने को सहमत हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो पत्तन न्यास बोर्ड के निर्णय का अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) (क) और (ख) : यद्यपि उड़ीसा सरकार से परादीप पत्तन न्यास में प्रति नियुक्त दो उप-सहायक इंजीनियरों को पत्तन न्यास बोर्ड ने अपनी 21 जून, 1971 को हुई अपनी बैठक में प्रत्यावर्तित करने का निश्चय किया था, तथापि बोर्ड ने 17 मार्च, 1972 को हुई बैठक में इस मामले पर पुनः विचार किया। इन प्रति नियुक्त व्यक्तियों ने खपाने संबंधी सामान्य प्रश्न पर गौर करने के लिए बोर्ड ने एक उप-समिति स्थापित की और उसकी सिफारिशों की प्राप्ति होने पर बोर्ड उन पर विचार करेगा। तत्पश्चात पत्तन न्यास बोर्ड के अध्यक्ष योग्यता के आधार पर उक्त प्रतिनियुक्तों के व्यक्तिगत मामलों का फैसला करेंगे, अतः दो उप-सहायक इंजीनियरों के मामले पर तदनुसार निर्णय किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की आपाती बिक्री (डिस्ट्रैस सेल)

1629. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों को तम्बाकू की बाध्य होकर आपाती बिक्री करनी पड़ रही है और इस समय मूल्य इतने कम हो गए हैं कि इससे पूर्व इतने कम कभी नहीं हुए, और

(ख) क्या मूल्य के उतार-चढ़ाव पर निगाह रखने के लिए सरकार का विचार कोई स्थायी व्यवस्था करने तथा उपयुक्त उपचारी उपाय करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) इस वर्ष तम्बाकू के मूल्यों में अधिक उत्पादन और उनकी घटिया कोटि से आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति रही है। इसके उपचार के रूप में राज्य व्यापार निगम ने इसका व्यापार आरम्भ किया है और प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अब मूल्यों में सुधार हो गया है।

(ख) भारत सरकार एक तम्बाकू विपणन बोर्ड स्थापित करने के विषय में विचार कर रही है जो वर्जिनिया फ्ल्यू क्योरड तम्बाकू का व्यापार करेगा।

प्रतिनिधिमंडल भेजने की बजाये अकेले अधिकारी का अमरीका का दौरा

1630. **श्री सतपाल कपूर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष सरकार और अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के बीच हुए करार के अनुसार उनके मन्त्रालय के प्रतिनिधिमंडल की बजाये केवल एक ही अधिकारी ने अमरीका का दौरा किया था ;

(ख) क्या अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने भारतीय अधिकारी के बर्ताव के संबंध में असन्तोष व्यक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यू० एस० एड कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ वाई 71 और उससे पूर्व के वर्षों में अल्पावधि निरीक्षण एवं अध्ययन दौरों और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अध्ययन दल और विशिष्ट प्रशिक्षणार्थियों को अमरीका भेजा गया था। अध्ययन दलों के कार्यक्रम अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा दल के विशिष्ट सदस्यों की विशेष आवश्यकताओं और दिलचस्पी के क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किए जाते हैं। विशिष्ट सदस्यों के अलग-अलग दौरे पर जाने के एक से अधिक उदाहरण मौजूद हैं। अतः यह पता नहीं है कि माननीय सदस्य किस मामले के विषय में पूछ रहे हैं।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका जाने वाले अधिकारियों के बारे में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने न तो कोई रिपोर्टें भेजी हैं और न ही इस विषय में सरकार के पास कोई अलग जानकारी मौजूद है।

(ग) सरकार ऐसे प्रतिनिधि-मण्डल के उम्मीदवारों के चयन में काफी सावधानी से काम लेती है और निरीक्षण दौरों या प्रशिक्षण के लिए केवल बहुत उच्च कोटि के अधिकारियों को

चयन किया जाता है । किसी और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

कोचीन की तेलगोदी के स्थान का परिवर्तन करने से मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट पर पड़ने वाला प्रभाव

1631. **श्री एम० के कृष्णन** : क्या नौवहन **और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में प्रस्तावित गोदी के स्थान में परिवर्तन करने से मैरीन ड्राइव प्रोजक्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं । कोचीन नगर आयोजन न्यास ने, जो कि मैरिन ड्राईव प्रोजेक्ट का प्रभारी है (जिस एर्नाकुलम फोर-शोर रिक्लेमेशन स्कीम भी कहते हैं) अब परियोजना को तेल गोदी परियोजना से अलग ही कार्यान्वित करने का निर्णय किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कमी वाले क्षेत्रों में पेय जल योजना के लिये निधि का उपयोग न किया जाना

1632. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमी वाले क्षेत्रों में वर्ष भर पेय जल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये नियत की गई 125 करोड़ रुपये की राशि के बड़े भाग का उपयोग इस लिये नहीं किया जा सका कि सरकार उसको वितरित करने के लिए कोई ब्यौरे-वार योजना बनाने में असफल रही थी; और

(ख) यदि हां, तो इतनी घोर लापरवाही की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) चौथी पंच-वर्षीय योजना में ग्राम जल पूर्ति के लिए 123·5 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं । यह रकम विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए किये गये प्रावधान का कुल योग है । 1969-70 तथा 1970-71 में ग्राम जल पूर्ति पर क्रमशः 18·27 रुपये तथा 18·19 करोड़ रुपये का वास्तविक खर्च हुआ । 1971-72 में लगभग 29 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है । 1972-73 के लिए 37·6 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है तथा इस योजना के अन्तिम वर्ष में 40 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है । इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है जो इस योजना के प्रावधान से काफी अधिक है । योजना-निधि के अतिरिक्त, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल जैसे कुछेक राज्यों ने अपनी ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध किया है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन में तेलगोदी के लिए वैकल्पिक स्थान

1633. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना, को कोचीन में प्रस्तावित तेल-गोदी के लिए एक वैकल्पिक स्थान की सम्भावना का आदर्श अध्ययन करने को कहा गया है, और

(ख) यह आदर्श अध्ययन कब तक पूरा हो जायेगा।

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और परीक्षाधीन है।

जूट के उत्पादन में गिरावट

1634. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट का उत्पादन वार्षिक योजना के लक्ष्य से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : जूट उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि जूट का 90 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर होता है और वर्षा के उतार चढ़ाव से एकड़ और उपज में गम्भीर घटा-बढ़ी होती रहती है।

चतुर्थ योजना में 372 लाख रुपये के परिव्यय के साथ जूट का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें प्रारम्भ की गई हैं।

1. जूट और मैस्ता पर विशेष पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत, सुधरे बीजों, पंक्ति में बोना, यूरिया के पर्णीय प्रयोग और वनस्पति संरक्षण उपायों सहित पैकेज की प्रणालियों का अपनाना।

2. राजसहाय्य दरों पर सुधरे बीजों का वितरण; और

3. जो क्षेत्र निम्नलिखित के अन्दर नहीं आते उनमें यूरिया का हवाई छिड़काव।

चतुर्थ योजना की मध्यावधि जांच के दौरान उत्पादन में कमी होने के कारण स्थिति पर पुनर्विचार किया गया और यह निर्णय किया गया है कि सन् 1972-73 से 5·95 करोड़ रुपये के कुछ परिव्यय के साथ एक नई योजना आरम्भ की जाये। यह योजना सघन जूट जिला कार्यक्रम के नाम से जानी जाती है तथा यह चुने हुये जिलों के सकेन्द्रित क्षेत्रों में उपागम अपनाने के लिये देश में जूट रेशे का उत्पादन बढ़ाने में शीघ्र फल प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त के लिये निम्नलिखित नीति अपनायी जायेगी :

1. अधिकतम उत्पादन की सम्भावना के बारे में उत्पादकों को समझाने के लिये

पूर्ण पैकेज प्रणालियों के आधार पर जूट और मेस्ता के प्रदर्शन आरम्भ किये जायेंगे।

2. सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत जूट उगाने को लोकप्रिय करने के लिये, चुने हुए जिलों में सिंचित जूट पर प्रदर्शन परिचालित किये जायेंगे।

3. आदानों के लिये सिफारिश की गई मात्रा और यदि भविष्य में किसी नई तकनीक का विकास हो जाये उसके सहित सुधरी हुई कृषि सम्बन्धी प्रणालियों को अपनाने के लिये, समस्त क्षेत्रों में प्रेरणात्मक अभियान आरम्भ किया जायेगा और इस कार्यक्रम में संकटमय आदानों को राजसहायता दी जायेगी।

4. विभिन्न संस्थागत एजेंसियों, विशेषकर सहकारी समितियों से उत्पादकों को आदान के लिये सिफारिश की गई मात्रा को प्रयोग करने के लिये, ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहन दिया जायेगा। जिलों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सबल बनाया जायेगा।

5. जूट-धान शस्त्रोत्पादन श्रृंखला के अपनाने से जूट के जो क्षेत्र धान की खेती के लिये उपयुक्त कर लिये गये, उनको पुनः प्रान्त करने के लिये, एक कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा।

अन्तरिम जूट-उत्पादन योजना

1635. **श्री बी० के० दास० चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में किसी अन्तरिम जूट-उत्पादन योजना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार द्वारा एक सघन जूट जिला कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो वर्ष 1972-73 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाना है।

(ख) सम्बन्धित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मुर्शिदाबाद, नादिया, कूच-बिहार, पूर्णिया, कटक, नाछगांव तथा श्रीकाकुलम के चुने हुये जिलों में, जहां कि देश की कुल जूट की फसल का लगभग 47 प्रतिशत भाग पैदा होता है, सकेन्द्रित क्षेत्र उपागम अपनाकर देश में जूट के रेशों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिये सघन जूट जिला कार्यक्रम तैयार किया गया है। अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित नीति अपनाई जायेगी :—

(1) जूट तथा मेस्ता की अधिकतम उत्पादन क्षमता के सम्बन्ध में उत्पादकों को विश्वास दिलाना व पूर्ण पैकेज प्रणालियों का प्रदर्शन करना।

(2) सिंचित परिस्थितियों में जूट के उत्पादन को लोकप्रिय बनाना तथा चुने हुये ब्लाकों में सिंचित जूट का प्रदर्शन करना।

(3) सिफारिश किये गये आदानों की मात्रा से सारे क्षेत्र को संतृप्त करने के लिये प्रोत्साहनात्मक अभियान प्रारम्भ करना और कोई नई तकनौलोजी (जिसका भविष्य में विकास किया जा सके) सहित उन्नत खेती की प्रणालियों को अपनाना और इस उद्देश्य के लिये अप्राप्य आदानों पर राज-सहायता प्रदान करना।

(4) उत्पादकों को सिफारिश की गई आदानों की मात्रा का उपयोग करने के लिये विभिन्न संस्थागत एजेन्सियों, विशेषकर सहकारी संस्थाओं के विषय में ऋण सुविधाओं में सुधार करना। इस उद्देश्य के लिये इन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करना।

(5) जूट-धान के फसल चक्र के अपनाने के फल-स्वरूप कुछ समय पूर्व धान की खेती के अन्तर्गत खोये हुये जूट के क्षेत्र को पुन; प्राप्त करने के सम्बन्ध में अभियान चलाना।

इस योजना पर 5·95 लाख रुपये व्यय होगा। इस परियोजना से वर्ष 1972-73 में 3·8 लाख गांठ रेशों तथा वर्ष 1973-74 में 8·80 लाख गांठों का अतिरिक्त उत्पादन होने की सम्भावना है।

ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने के पश्चात् आदिवासियों को दी गई सुविधाएं

1636. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने के बाद आदिवासियों को दी गई सुविधाओं के बारे में तीव्र रोष है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) ईसाई धर्म को मानने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को दी जा रही सुविधाओं पर कुछ संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों ने कड़ी आपत्ति की।

(ख) उन्होंने इसके ये कारण बताए हैं कि ईसाई धर्म को मानने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे हैं और उन्हें अनुचित रूप से सुविधाओं का अधिक भाग मिल सकता है, जबकि अन्य लोगों को हानि पहुंचेगी।

सरकार ने इन विचारों पर ध्यान दिया है और विधेयक को फिर से पेश करते समय सरकार की प्रतिक्रियाओं का संकेत किया जायेगा।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन राजस्थान में समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा एकत्रित भू-जल विज्ञान सम्बन्धी आँकड़े

1637. **डा० कर्णी सिंह :**

श्रीमती कृष्णा कुमारी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र विकास (सामाजिक निधि) कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में विधिवत भू-जल विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा राजस्थान में कितने समन्वेषी कुएं खोदे गये थे और उन्हें कितने स्थानों पर सफलता मिली थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हाँ।

सन् 1967-71 के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) सहायता प्राप्त परियोजना के अधीन कन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल द्वारा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विधिवत भू-जल विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये गये हैं।

अप्रैल, 1971 से नागौर, बीकानेर, चुरु, झुनझुनू तथा सिकार जिलों में एक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) सहायता प्राप्त परियोजना शुरू की गई हैं और आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य जारी है।

(ख) यह कार्यक्रम जालौर, जैसलमेर आँशिकरूप से बारमेर तथा जोधपुर के जिलों के 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लागू है। समस्त क्षेत्र में सामान्य प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया और तत्पश्चात विस्तृत अध्ययन करने के लिये चार आदर्श क्षेत्र चुने गये हैं। क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

(1) जैलोर क्षेत्र

(2) बरुन्दा क्षेत्र

(3) जैसलमेर (लाठी) क्षेत्र

(4) डौली झनवर पाल उप क्षेत्र।

(ग) मार्च, 1971 के अन्त तक, केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल ने राजस्थान में 192 समन्वेषी छिद्रण किये जिनमें से 44 सफल सिद्ध हुए। 192 में से 98 छिद्रण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) परियोजना के अधीन 94 और छिद्रण सामान्य समन्वेषण के अधीन किये गये।

Symposium on Rural Fmployment Scheme

1638. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a symposium on rural employment scheme was held in Delhi during February, 1972 ;

(b) if so, the main recommendations thereof ; and

(c) the steps taken by Government to implement them ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir. A Seminar-cum-Worship on Crash Scheme for Rural Employment was held at New Delhi from 17th to 19th February, 1972.

(b) The main conclusions and observations of the Seminar-cum-Worship are laid on the Table of the House.

(Placed in the Library. See No. L. T.—1612/72)

The guidelines for the Crash Scheme for Rural Employment for the year 1972-73 have been suitably revised in the light of the observations and conclusions of the Seminar-cum-Workshop.

केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के बिजली के बिलों का भुगतान

1639. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अपने मंत्रियों के बंगलों की बिजली के बिलों की कुल कितनी राशि का भुगतान किया है; और

(ख) प्रत्येक मन्त्री पर अलग-अलग कितनी राशि खर्च की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 1971-72 के लिये, जनवरी, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि में जहाँ तक बिजली के बिल प्राप्त हुए हैं, केन्द्रीय मन्त्रियों के बंगलों के रिहायशी भागों के बारे में सरकार द्वारा अदा की गई बिजली के बिलों की कुल राशि 87,922·16 रुपये है।

मंत्रियों ने अपने निवास स्थानों के निजी भाग में पानी तथा बिजली की मुफ्त सप्लाई के लिये 2400/– रुपये प्रति वर्ष की उपरी वित्तीय सीमा को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। इस उपरी सीमा से यदि अधिक व्यय हो तो वे सरकार को अदा कर देते हैं। 2400/– रुपये प्रति वर्ष की उपरी सीमा. 1, अप्रैल से आरंभ होकर उससे अगले 31, मार्च तक के वित्तीय वर्ष के लिये लागू है और सम्बन्धित मंत्रियों से वसूल किये जाने वाली राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बिल में दर्ज कर दी जाती है।

(ख) 1971-72 वर्ष के लिये, जनवरी, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये. जब तक कि बिल प्राप्त हो चुके हैं, प्रत्येक मंत्री के निवास स्थान पर पृथक-पृथक बिजली के बिलों पर खर्च हुई राशि का एक विवरण सभा पटल पर रखा है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1613/72]**

Identification of Small and Marginal Farmers

1640. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have been able to identify the small and marginal farmers for the purpose of implementing development schemes ;

(b) if so, by what time the schemes in respect of small and marginal farmers are going to be implemented ; and

(c) the broad outlines of the schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) Upto the end of 31st January, 1972, 12.13 lakh small farmers and 6.15 lakh marginal farmers and agricultural labourers have been identified.

(b) The schemes are already under implementation.

(c) The brouchures on SFDA and MFAL giving the guidelines have already been placed on the Table of the Sabha.

उर्वरक के रूप में यूरिया का महत्व

1641. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने वाले देश के लिए फसलों का बारी-बारी से लगाना और कार्बनिक खाद को रासायनिक उर्वरकों के साथ मिलाना आवश्यक होता है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि हमारे उर्वरक की योजना तैयार करने वालों ने ऐसा रूख अपनाया है जिससे यूरिया उर्वरक, जो कि अपने कार्बनिक गुण के कारण कार्बनिक खाद जैसा ही होता है, का महत्व कम होता है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के लिये जैव खाद या फसलों का हेर फेर अनिवार्य नहीं है। तथापि जैव खाद के प्रयोग और फसलों के हेर फेर को अपनाने से भूमि की उर्वरता और भौतिक तत्वों में सुधार हो सकता है भूमि के इस प्रकार के सुधार से उर्वरकों का प्रभाव बढ़ सकता है। उर्वरक के उचित प्रयोग से बड़ी फसलें उगाने से बचे हुये तत्वों से भूमि में जैव तत्व बढ़ जाते हैं।

(ख) जी नहीं। जो भी नाइट्रोजनियस उर्वरक संयंत्र लगाने के लिये मंजूर किये हैं वे यूरिया तैयार करेंगे।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

रासायनिक उर्वरकों का भूमि की उर्वरता पर प्रभाव

1642. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग पर आधारित गहन खेती के परिणामस्वरूप भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यदि उर्वरकों का सावधानी से प्रयोग किया जाए तो गहन खेती से भूमि को कोई क्षति होने की सम्भावना नहीं है। ब्रिटेन में रोथामस्टेड नामक स्थान पर जिस भूमि में पिछले 100 वर्षों से उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। वह अब भी काफी अच्छी हालत में है और इस भूमि से अधिक उपज प्राप्त की जा रही है। 1908 30 की अवधि के दौरान पूसा (बिहार) में स्थायी उर्वरीकरण परीक्षणों से यह पता चला है कि पूर्ण उर्वरक उपचार से उतनी ही उपज प्राप्त हुई है जितनी की खेत की खाद या हरी खाद के प्रयोग से प्राप्त होती थी। कोयम्बेटूर में किए गए स्थायी उर्वरीकरण परीक्षणों के परिणामों से भी यह स्पष्ट हो गया है कि निरन्तर रूप से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) **प्रश्न** ही नहीं होता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों की भर्ती और पदोन्नति के नियम

1643. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1935 से लेकर आज तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों की भर्ती और पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई प्रमाणीकृत नियमित नियम नहीं है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या भर्ती के पुराने नियमों का बिना किसी परिवर्तन के पालन किया जाता रहेगा; और

(ग) क्या कनिष्ठ इंजीनियरों के सम्बन्ध में पदोन्नति नीति में परिवर्तन किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं। कनिष्ठ इंजीनियरों के भर्ती नियम फरवरी 1958 में अधिसूचित किए ग ये ये नियम अब संशोधित हो चुके हैं तथा संशोधित नियम फरवरी, 1972 में अधिसूचित किए जा चुके हैं। सहायक इंजीनियरों के भर्ती नियम, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कनिष्ठ इंजीनियरों की सहायक इंजीनियरों के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था करते हैं, मई 1954 में अधिसूचित किए गये थे।

(ख) जी, नहीं। कनिष्ठ इंजीनियरों के स्तर पर भर्ती, जो इससे पहले रोजगार कार्यालयों के माध्यम से होती थी फरवरी 1972 में अधिसूचित किए गए संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार इसके बाद अखिल भारतीय प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर होगी।

(ग) जी, हाँ। कनिष्ठ इन्जीनियरों की पदोन्नति विषयक नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ सहायक इंजीनियरों द्वारा की गई रिट पिटीशन पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों तथा विभाग में कार्य कर रहे विभिन्न श्रेणियों के कनिष्ठ इंजीनियरों की मांगों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान नीति में कतिपय परिवर्तन अपेक्षित हैं।

राज्यों में गहरे नलकूप खोदने के लिए मास्टर प्लान

1644. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वयं अथवा राज्य सरकारों के सहयोग से सभी राज्यों में गहरे नलकूप खोदने का मास्टर प्लान बनाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्लान के अन्तर्गत औसतन कितनी परती भूमि की सिंचाई होगी तथा उस पर कितना खर्च आयेगा और क्या इसे वर्तमान पंचवर्षीय योजना में लागू कर दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

Appointment of a Committee to go into Administration of WAQF Properties

1645. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have appointed a Committee to go into all the aspects of administration of Waqf properties in the country ;

(b) if so, the names of members thereof and its terms of reference ; and

(c) whether the Committee has presented its report and if so, the main recommendations made by it ?

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes.

(b) The names of the Members of the Committee are :

(1) Shri Syed Ahmed, Member, Rajya Sabha. ......Chairman

(2) Shri Ishaq Sambhali, Member, Lok Sabha, ...Member

(3) Shri Sulfiquar Ali Khan, Member, Lok Sabha ......Member

A copy of the terms of reference of the Committee is enclosed (Annexure I).

[Placed in the library. See No. L.T.—1614/72]

(c) The Wakf Inquiry Committee has not made any recommendations so far. Its report is awaited.

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का जहाजों पर लदान से पहले वजन करना और उन्हें मापना

1646. **श्री प्रियरंजन दास मुंसी** : क्या नौवहन और परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों पर लदान से पहले निर्यात किये जाने वाली सभी वस्तुओं का वजन करना और मापना अनिवार्य है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह प्रणाली कलकत्ता के पत्तन पर सख्ती से लागू की जा रही है, और

(ग) यदि नहीं, तो निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं का अनिवार्य रूप से वजन करना और मापना और अन्य वस्तुओं को इसकी छूट दिये जाने के क्या कारण हैं।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पत्तन प्रभारों के निर्धारण के लिए वजन और माप का ब्यौरा देना केवल उन मामलों में आवश्यक है जहां प्रभारों का आधार वजन और माप हो, न कि इकाई जैसे प्रति गांठ, प्रति बोरा, प्रति पेटी आदि।

वनस्पति कारखानों द्वारा उत्पादन कम किया जाना

1648. **श्री पम्पन गोड़ा : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वनस्पति कारखानों ने अपने उत्पादन में कमी कर दी है जिसका बाजार में वनस्पति के उपलब्ध होने पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इस कारण नियंत्रित दर की अपेक्षा अधिक दर पर अनधिकृत बिक्री को प्रोत्साहन मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) व्यक्तिगत कारखानों या समूचे वनस्पति उद्योग में वनस्पति के उत्पादन में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आयी है । वस्तुत- 1972 में 22 मार्च तक कुल प्रगामी उत्पादन 1971 की उसी अवधि से मामूली अधिक है । और देश भर में वनस्पति नियन्त्रित मूल्यों या कम मूल्यों पर बराबर मिलती रही ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दन्डकारण्य में बसे पूर्व बंगाल के शरणार्थियों में "नामशूद्र" जाति

1650. **श्री रण बहादुर सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दन्डकारण्य में बसे पूर्व बंगाल के शरणार्थियों में "नामशूद्र" नाम की जाति के लोग हैं जो कि अनुसूचित जन-जातियों में से हैं; और

(ख) इस जाति को उचित मान्यता और सम्बन्धित सुविधाएं देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) : गण प्रजातंत्री बंगलादेश के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से विस्थापित लोगों की काफी संख्या नामशूद्र जाति जैसी जातियों से सम्बन्धित हैं जो पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों के रूप में उल्लिखित हैं । इस प्रश्न पर कि क्या इन जातियों के लोगों को उन राज्यों में जहां वे बसे हुए है (दंडकारण्य भी शामिल) अनसूचित जातियों के लोग समझा जाए, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जाएगा ।

आई० जी० एस० एन० कम्पनी के कर्मचारी

165 . **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की आई० जी० एस० एन० कंपनी सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी परन्तु इसके सभी कर्मचारियों की सेवा में नहीं लिया गया, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सभी कर्मचारियों को सेवा में लेने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) : आई० जी० एस० एन० कंपनी, कलकत्ता नाम की कोई कंपनी नहीं थी । शायद यह संकेत

इंडियन जनरल नैवीगेशन एण्ड रेलवे कंपनी लिमिटेड की ओर है जिसका विलय, 1962 में, रिजर्व स्टीम नैवीगेश कंपनी, लिमिटेड में हो गया था। भारत सरकार ने फरवरी, 1965 में रि० स्टी० नैवी० की इक्विटी पूंजी में नियंत्रण हित प्राप्त कर लिया। परन्तु सितम्बर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाने पर कलकत्ता आसाम नदी सेवा बंद कर दी गई थी और इसके फलस्वरूप इस कंपनी का मुख्य कार्य बंद कर दिया गया। मई 1967 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के एक उपक्रम-सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड ने इस कंपनी की सभी परिसम्पत्तियां और। कुछ देवताओं का अधिग्रहण कर लिया। प्रबन्ध योजना के अनुसार सी० आई० डब्लू टी सी ने दि० स्टी० नैवी० कंपनी के कुछ ऐसे कर्मचारियों को खपा लिया जोकि इसके खण्डित व्यापार के लिए आवश्यक और उचित था सी आई डब्लू टी सी में जब भी कोई रोजगार का अवसर पैदा होता है तो दूसरी बातों के सामान रूप से रहते हुए दि० स्टी० नैवी० कंपनी के शेष कर्मचारियों को अधिमान दिया जाता है।

ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम को वर्ष 1972/73 की योजना में सम्मिलित करना

1652. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम को वर्ष 1972—73 में केन्द्रीय योजना के रूप में चलाने के लिए योजना में सम्मिलित करने का निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह) : जी हां।

फसल बीमे के लिये निगम की स्थापना

1653. **श्री विभूति मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसलों के बीमे के लिये एक निगम स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(ग) आरम्भ में कौन-कौन सी फसलों का बीमा किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

Delay in Supply of Seeds to Madhya Pradesh

1654. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Seeds Corporation of India did not supply seeds to Madhya Pradesh in time, despite repeated requests made by the State Government in this regard during 1971-72 ;

(b) the quantum of supply of seeds to Madhya Pradesh during the last one year ; and

(c) the quantity of seeds in tonnes with the varieties thereof supplied to the Government of Madhya Pradesh last month ?

The Minister of State in the Ministry of Agriultcure (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) No, Sir. The State Governmen have reported that they have no complaint regarding supply of seed by the National Seeds Corporation.

(b) 80 quintals of bajra seed were supplied against the only firm demand received from the State Government. The Corporation also made arrangements for direct sale of seeds through its dealers in the State.

(c) No seed was required by the State Government and hence no supply was made by the National Seeds Corporation in February, 1972.

बाल विकास समिति को प्लाटों का आवंटन

1655. **श्री सूरज पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल विकास समिति को अपने क्रिया कलापों के लिये जनपथ होटल, नई दिल्ली के पीछे अशोक रोड पर एक प्लाट का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां होटल का, जिसके लिये प्लाट आरक्षित किया गया था, निर्माण करने सम्बन्धी योजना त्याग दी है; और

(ग) किन शर्तों पर बाल विकास को अपने क्रियाकलाप चलाने की अनुमति दी गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां, अस्थायी रूप से ।

(ख) तथा (ग) : बाल विकास को 15—5—1971 से उनके ग्रीष्मावकाश प्रोजेक्ट के संचालन के लिये प्लाट का केवल एक भाग 41·67 रुपये प्रति एकड़ प्रतिमास के भूमि किराये पर आवंटित किया गया था। अब भूमि का आवंटन इण्डियन एयर-लाइन्ज़ कार्पोरेशन को उनके सिटी टर्मिनल कार्यालय के लिये किया जा चुका है, तथा बाल विकास प्राधिकारियों ने, लगभग 3396 वर्ग गज क्षेत्र को छोड़कर, भूमि का बहुत सा भाग खाली कर दिया है। बाल विकास द्वारा किये जा रहे लाभदायक कार्य को तथा अव्यापारिक प्रकृति की गतिविधियों को देखते हुए संस्था को अपना कार्य उक्त भूमि पर कुछ और समय तक जारी रखने की अनुमति दे दी गई है।

कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक की सहायता

1656. **श्री सरजू पांडे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने खाद्य उत्पादन की किस्म में सुधार करने और इसकी मात्रा बढ़ाने हेतु कृषि अनुसंधान कार्यक्रम के लिये अनुदान देना मंजूर किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और अनुदान की राशि क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक) ने भारत में अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबन्धों के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय सस्य अनुसन्धान की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने का वचन दिया है।

(ख) भारत में संस्थान की स्वायत्त, अन्तर्राष्ट्रीय, लोक हितैषी, अलाभ, अनुसन्धान, शैक्षिक और प्रशिक्षण संगठनों के संघ में स्थापना की जायेगी।

संस्थान निम्न प्रकार से अपनी सेवायें प्रदान करेगा—(क) ज्वार, मोटे अनाज, बंगाली चना (चना) और लाल चना (अरहर) के सुधार के लिए एक विश्व केन्द्र के रूप में; (ख) सुधरे हुये फसल प्रतिमानों और खेती की पद्धतियों के विकास और प्रदर्शन को उन्नत करने के केन्द्र के रूप में, जो कम वर्षा, असिंचित, मौसमी सूखा और अर्ध-शुष्क उष्णकटिबन्धों में मानवीय और प्राकृतिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देगा। इसके लिये एक प्रबन्धक मण्डल की व्यवस्था होगी जो उपरोक्त लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, संस्थान के कार्यक्रम को चलाने के लिये उत्तरदायी होगा। संस्थान के दिन-प्रति-दिन प्रशासन की जिम्मेदारी निदेशक की होगी, जो प्रबन्धक मण्डल के प्रति जवाबदेह होगा।

संस्थान की स्थापना के लिये आरम्भिक अनुमानित व्यय 5 लाख डालर होगा, जिसमें से विश्व बैंक ने इस समय एक लाख डालर देने का वचन दिया है।

जनकपुरी, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का धंसना

1657. **श्री सरजू पांडे** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ फ्लैट नीचे धंस रहे हैं;

(ख) क्या फ्लैटों के मालिकों ने इस बारे में सम्बद्ध अधिकारियों से शिकायतें की हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या यह कालोनी पानी के तालाब के ऊपर बनाई गई थी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) : इस प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जाँच करने पर यह मालूम हुआ कि शिकायतें मुख्यतया फर्शों के धंसने के बारे में थीं। इन सभी मामलों में फर्श पुनः बना दिये गये।

(घ) जी, नहीं।

मद्यनिषेध नीति

1658. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कई राज्य सरकारें मद्यनिषेध नियमों को शिथिल करने के पक्ष में हैं क्योंकि वर्तमान नीति सफल सिद्ध नहीं हो रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखा है और वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में वर्तमान मद्यनिषेध नियमों को शिथिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो यह किस पद्धति पर आधारित होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क)

से (ग) : समाज कल्याण द्वारा गठित केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने दिसम्बर, 1970 में हुई अपनी बैठक में स्थिति पर पुनर्विचार किया था। यह देखा गया कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ राज्यों ने मद्यनिषेध के विषय में अपनाये गये उपायों में कुछ ढील की है। आजकल केवल गुजरात में ही पूरी नशाबन्दी है।

भारत सरकार मद्यनिषेध के पक्ष में है और वह नहीं चाहती कि विषय में कुछ ढील की जाये। तब भी मद्यनिषेध एक राज्य विषय है और मद्यनिषेध सम्बन्धी नियम तैयार करना राज्य सरकारों के हाथ में है।

बड़े नगरों में जल-दूषण की रोकथाम

1659. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री जल-दूषण को रोकने के बारे में 24 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बड़े नगरों में जल-दूषण को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : **(क) और (ख)** : दिसम्बर, 1969 में राज्यसभा में प्रस्तुत जल-दूषण निवारण विधेयक 1969 पर संसद् की दोनों प्रवर समितियां अभी विचार कर रही हैं। उक्त विधेयक के कानून बन जाने के बाद केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को देश में जल स्रोतों पर होने वाले दूषण को रोकने के लिये अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों ने पहले ही "जल-दूषण नियंत्रण अधिनियम" बना लिये हैं। गुजरात सरकार ने राज्य में जल दूषण नियंत्रण सम्बन्धित उपाय सुझाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर ली है।

राष्ट्रीय राजपथ घोषित किये गये मार्ग

1660. **श्री बी० के० दास चौधरी :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में किन-किन मार्गों को राजपथ घोषित किया है तथा किन-किन का सुधार करने का निर्णय किया है, और

(ख) इन राजपथों पर वर्ष 1972-73 में अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1971-72 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई सड़कों के नामों की सूची संलग्न है।

(ख) इन सड़कों पर राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर की इकहरीगली के विकास कार्य करने के लिये 1972-73 के दौरान खर्च के लिए 150,00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध होने की संभावना है।

विवरण

1971-72 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित सड़कों की सूची

1. बेलगाम, अनमोद, मोंडा तथा पानाजी को जोड़ने वाला राजमार्ग।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के साथ हरिदासपुर के निकट अपने जंकशन से शुरू होकर पारादीप पत्तन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के साथ चण्डीगढ़ के निकट अपने जंकशन से शुरू होकर रोपड़, विलासपुर, मंडी कुल्लु और मनाली को मिलाने वाला राजमार्ग।
4. नौगाँग दमाका तथा दीमापुर (मनीपुर रोड) को मिलाने वाला राजमार्ग।
5. शिलांग, पस्सी, बदरपुर तथा अगरतला को मिलाने वाला राजमार्ग।
6. तूतीकोरिन पत्तन के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर पल्लयम कोटई को जोड़ने वाला राजमार्ग।
7. सभा खियाली (निकट कांडला) के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 क के साथ अपने जंकशन को पठानकोट-अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बारमेर से मिलाने वाला राजमार्ग।
8. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर पनवेल को माहद, पानाजी, कारवाड़, मंगलौर, कन्यानोर, कालीकट (कोजहीकोड) और त्रिचुर के साथ मिलाने वाला राजमार्ग।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के साथ कोतीलिम के निकट अपने जंकशन से शुरू होकर मोरमुगाव पत्तन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
10. चास, राँची, रूरकेला, तालचेर को मिलाने वाला और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या **42 पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
11. बंगलौर, हसन और मंगलौर को मिलाने वाला राजमार्ग।

पूर्व जर्मनी से ट्रैक्टरों के आयात के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1661. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व जर्मनी से ट्रैक्टरों के आयात सम्बन्धी मामले की जाँच इस बीच पूरी करली है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यह नहीं मालूम कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने अपनी जाँच पूरी कर ली है या नहीं। उन्होंने अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) **और** (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

गन्ना उपलब्ध न होने के कारण चीनी के कारखानों का बन्द होना

1662. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में गन्ना उपलब्ध न होने के कारण हाल ही में अनेक चीनी के कारखाने बन्द हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो बन्द हुए इन कारखानों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ग) देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) **और** (ख) : जी हां। चीनी कारखानों से 30 मार्च, 1972 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 136 चीनी कारखानों ने जिनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है, 1971-72 मौसम के लिए पिराई का कार्य बन्द कर दिया है।

(ग) विभिन्न चीनी उत्पादक राज्यों जिनमें चीनी कारखानों के आस-पास गन्ने के सघन क्षेत्र आते हैं, में गन्ना विकास की योजनाएं चालू करने के अलावा, उपज में वृद्धि करने और गन्ने की किस्म सुधारने के उद्देश्य से स्वस्थ बीजों का संग्रह और वितरण आदानों की व्यवस्था, लघु सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, वनस्पति रक्षण उपाय आदि करने तथा इस वर्ष चीनी कारखानों द्वारा गन्ने के अधिक मूल्य देने से यह आशा की जाती है कि देश में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि होगी।

विवरण

1971-72 के मौसम के दौरान उन कारखानों की संख्या जिन्होंने पिराई कार्य बन्द कर दिया है, 30 मार्च को स्थिति।

राज्य	1971-72 के दौरान बन्द हो गए कारखानों की संख्या
उत्तर प्रदेश	61
बिहार	23
प० बंगाल	1
असम	—
हरियाणा	1
पंजाब	6

राजस्थान	3
मध्य प्रदेश	5
उड़ीसा	1
आन्ध्र प्रदेश	11
गुजरात	2
महाराष्ट्र	12
मैसूर	6
केरल	3
तमिलनाडु	1
पांडिचेरी	—
सकल योग	136

उत्तर प्रदेश के शहरों में पीने के पानी की कमी

1663. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 8 मार्च, 1972 को 'दि इण्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में पीने के पानी की कमी है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने जल का अकाल दूर करने में सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में जल के अकाल से लोगों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ शहरों के सामान्य विकास के लिए राज्य सरकार से आयोजन के अतिरिक्त धन राशि नियतन करने के बारे में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जलपूर्ति कार्यक्रम राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के लिए सामूहिक ऋणों और सामूहिक अनुदानों के रूप में क्रमश 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। योजनाओं का चयन करना, उनके लिए धनराशि का विनियोजन करना और उनको कार्यान्वित करना सारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

पीने के पानी की कमी सारे देश की एक सामान्य समस्या है और विशेषकर गांवों के

अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में जल की सप्लाई में सुधार करने के कार्य में राज्य सरकारों की मदद करने की दृष्टि से केन्द्रीय/केन्द्रीय पुरोनिधानित क्षेत्र में निम्नलिखित योजनायें चलाई गई हैं :—

(1) तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए जन स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(2) यूनिसेफ से सहायता प्राप्त ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत राज्यों को तेज ड्रिलिंग रिग्ज दिये जा रहे हैं जिससे चट्टानी/पथरीली भूमि वाले क्षेत्रों की समस्या हल हो सके।

(3) जल की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों का पता लगाने और ऐसे क्षेत्रों के लिये जल की सप्लाई का स्रोत निर्धारित करने के लिए विशेष अन्वेषण प्रभाग।

(4) ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्रों के वास्ते जल पूर्ति योजनाओं की विस्तृत परियोजनाएं तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के हेतु आयोजन और डिजाइन एकक खोलना।

भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक करार

1664. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या संस्कृति विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस सांस्कृतिक समिति ने वर्ष 1972-74 के लिये दो देशों के अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है, और

(ख) यदि हां, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सारांश क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) 1972-74 के लिए अन्तिम रूप से स्वीकृत किये गये कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला, सिनेमा, रेडियो और टेलिविजन तथा प्रेस, स्वास्थ्य और खेलकूद के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सहयोग पर ध्यान रखा गया है। इसमें नृत्य तथा संगीत मंडलियों, कलाकृतियों, प्रदर्शनियों, पुस्तकों, रेडियो और टेलिविजन प्रसारणों तथा फिल्मों आदि के आदान-प्रदान के अलावा वैज्ञानिकों, शिक्षाशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों कलाकारों और खिलाड़ियों के विनिमय की भी व्यवस्था है।

कार्यक्रम में अध्यापकों और विद्वानों के दीर्घ कालीन भ्रमणों के अतिरिक्त दोनों तरफ से 350 से अधिक व्यक्तियों के भ्रमण के लिये भी व्यवस्था है।

Requirement of Milk Powder in M.P.

16*6. **Shri Arvind Netam :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the requirement of milk powder in Madhya Pradesh and when intimation in this effect was received in the Ministry ;

(b) the extent to which the said requirement has been met and if the requirement has not been met fully, the reasons therefor ; and

(c) the time by which remaining requirement is likely to be met ?

The Minister of State In the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) A demand for allotment of 155.145 tonnes of imported skim milk powder during 1971-72 was received from the Directorate of Veterinary Services, Madhya Pradesh in November, 1970.

(b) This demand was subsequently reduced by the Directorate of Veterinary Services, Madhya Pradesh to 120 tonnes. 100 tonnes of imported skim milk powder has already been supplied.

(c) The balance quantity of 20 tonnes is to be supplied from an incoming shipment by the end of March, 1972.

मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खण्डों के लिए निधियों का उपयोग

1667. **श्री अरविन्द नेताम :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खण्डों में वर्ष 1957-58 से 1969-70 की अवधि में कम धन का नियतन किया गया था और 381 लाख रुपये का पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया गया था;

(ख) क्या मन्त्रालय ने इस निधि को इन खण्डों में खर्च करने के लिए आगे बढ़ाने से इन्कार कर दिया है और यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार की जनजातीय लोगों की तरफ विशेष जिम्मेदारी को देखते हुये सामुदायिक विकास खण्डों के मामले में धन राशि को पहले आगे ले जाने की अनुमति दी गई है; और

(ग) क्या भारत सरकार चतुर्थ योजनावधि में की गई कमी के बराबर अब निधियों का आवंटन करने के लिए कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) ये राशियां आदिवासी विकास खण्डों के लिए मध्य प्रदेश सरकार को हर साल दी गई। किन्तु दो वर्षों, 1967-68 और 1968-69, में वास्तविक नियतन योजना नियतन, 152·10 लाख रुपये, से कम था क्योंकि देश में वित्तीय संयमों के कारण सब क्षेत्रों में कटौती की गई थी। इन कमियों को किन्हीं भी ऐसी योजनाओं में राज्य सरकारों के लिए फिर से पूरा नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : आदिवासी विकास खण्डों में व्यय नहीं की गई राशियों को राज्य सरकारें उपयोग में ला सकें इस हेतु आदिवासी विकास खण्डों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था तथा यह बढ़ाई हुई अवधि वर्ष 1970 तक थी। योजना सीमाओं तथा वित्तीय संयमों को देखते हुए दोबारा विचार हुआ तथा जनवरी, 1971 में निर्णय लिया गया कि प्रचालन अवधि को अब इस प्रकार न बढ़ाया जाय।

वन्य जीवों का नियंत्रित शिकार करने के लाभ

1668 **श्री निहार लास्कर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय है कि उचित नियंत्रणों के अन्तर्गत किया गया शिकार कुछ जातियों के जंगली जीवों के लिए जिनमें हाथी भी शामिल हैं सब मिलाकर लाभकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

ग) क्या भारत में भी शिकार की वही पद्धति लागू की गयी हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां। यह वन्य प्राणी प्रबन्ध का एक स्वीकृत सिद्धान्त है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार वन्य प्राणियों के इस वैज्ञानिक शोषण के इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है। फिर भी इस छटनी को तभी कार्यान्वित किया जा सकता है यदि यह प्रतीत होता हो कि वन्य प्राणी निवास स्थान के सम्बन्ध में अधिशेष हैं और उनके निवास स्थान स्वयं सक्षम और सुरक्षित हैं। भारत में वन्य प्राणी अधिशेष नहीं हैं, अतः यह पद्धति लागू नहीं की जाती है। फिर भी, जहां आवश्यक मालूम होता है वहां हाथियों को फंसा कर या किसी स्थिति में उनका शिकार करके नियंत्रित किया जाता है।

कानून की शिक्षा

1669. **श्री निहार लास्कर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान परिस्थितियों में कानून की शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने के लिए और संवैधानिक आदर्शों के अनुसार उसे राष्ट्रीय विकास का कारगर साधन बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) कानून की शिक्षा का रूप बदलने के लिए क्या तरीके अपनाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कानून के अध्यापन तथा अनुसंधान के विकास के विषय में आयोग को सलाह देने के लिए कानून की शिक्षा तथा अनुसंधान के संबंध में एक समिति स्थापित की थी। समिति द्वारा पूर्ण कालिक अध्यापकों की योग्यताओं उनके वेतनमानों में सुधार विधि विभागों की स्वतंत्र संस्थानों में परिणति पढ़ाये जाने वाले विषयों की संख्या अध्यापन में अदालती केस पद्धति पर जोर देने, छात्र-अध्यापक अनुपात पुस्तकालय सुविधाओं की व्यवस्था तथा अतः विद्या अभिगम इत्यादि से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गयी थीं। इन सिफारिशों को विश्वविद्यालयों के दृष्टिकोणों को जानने के लिए उनके पास भेजा गया है। इस दौरान में पुस्तकालयों को सम्पन्न बनाने के लिए कानूनी पुस्तकों/पत्रिकाओं की संबंध संस्थानों के नामांकन के आधार पर विधि कालेजों को (10 000/=रु० से 20,000/=रु० तक

तथा विश्वविद्यालयों को (20 000/=रु० से 50,000/=रु० तक) अनुदान देने के लिये आयोग सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। वेतन मानों के संशोधन से सम्बन्धित सिफारिश को भी कार्यान्वित किया गया है।

2. समिति की सिफारिश पर आयोग ने पूना विश्वविद्यालय द्वारा कानून की शिक्षा पर आयोजित एक अखिल भारतीय सेमीनार को प्रोत्साहन प्रदान किया। सेमिनार की सिफारिशें समिति और आयोग के समक्ष विचार के हेतु रखी जायेंगी।

3. कानूनी शिक्षा का एक नया प्रतिमान अपनाने के प्रश्न पर ताकि छात्रों की आवश्यकताए' पूरी की जा सकें और कानूनी शिक्षा को यथा संभव नया रूप प्रदान करने के विषय में बारकांडसिल आफ इंडिया और उसकी विधि शिक्षा समिति ने भी ध्यान दिया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विधि पाठ्यक्रमों के विषयों का निर्धारण किया जा चुका है।। और इस संबंध में जो छात्र कानून पाठ्यक्रम लेना चाहे और इस व्यवसाय को अपनाना चाहे इसके लिए आवश्यक और उपयोगी कानून पाठ्यक्रम के सुझाव विश्वविद्यालयों को दिये जा चुके हैं।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए धनराशि

1670. **श्री निहार लास्कर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एशिया साउथ पैसिफिक सैमिनार में "प्रौढ़ शिक्षा का प्रशिक्षण" पर श्री सी० डी० देशमुख द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो 6 मार्च, 1972 के समाचार पत्र "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में"' मोर फन्डस सीट फार अडल्ट एजूकेशन" शीर्षक से प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) शिक्षा मंत्रालय इस मामले से पहले ही से अवगत है। राज्य सरकारें जो मुख्यतः इससे संबंधित हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को पर्याप्त प्राथमिकता दें। आयोजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया है कि वे प्रौढ़ शिक्षा के लिये और अधिक निधि आबंटित करें। समय योजनागत बजट में शिक्षा मंत्रालय भी राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये निधि की व्यवस्था कर रहा है।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के लिए दंड देना

1671. **श्री निहार लास्कर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिये दंड में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधी विधेयक शीघ्र ही सभा में पेश किये जाने वाला है।

'समाज कल्याण में अनुसंधान प्रशिक्षण तथा प्रशासन कार्यक्रम' के अन्तर्गत किया गया कार्य

1672. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण अनुसंधान संबंधी स्थायी समिति और सामाजिक कार्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी स्थायी परमर्श समिति द्वारा की गई सिफारिश के परिणामस्वरूप 'समाज कल्याण में अनुसंधान प्रशिक्षण तथा प्रशासन कार्यक्रम' के अन्तर्गत वर्ष 1969 से लेकर कार्य कितना किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : समाज कल्याण विभाग ने जुलाई, 1970 में समाज कल्याण अनुसंधान सम्बन्धी स्थाई सलाहकार समिति गठित की थी। समिति ने समाज कल्याण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित प्राथमिकताओं तथा प्रक्रियाओं की विस्तृत जांच की है। इस विषय पर प्राथमिकताओं की एक सूची बनाई गई है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण में निर्देश भी तैयार किए गए हैं। यह पहला समय था जब 1971—72 में इस विभाग के बजट में समाज कल्याण अनुसंधान के कार्यक्रम के लिए :·50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। पर, व्यय वित्त समिति द्वारा समाज कल्याण अनुसंधान से सम्बद्ध ज्ञापन पर अब तक विचार न किये जाने के कारण, इस कार्यक्रम को शुरू नहीं किया जा सका।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समाज कल्याण, शिक्षा और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में स्थाई सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। समिति द्वारा किए गए काम की प्रगति के सम्बन्ध में रिपोर्ट की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रतीक्षा की जा रही है।

चतुर्थ योजनावधि के दौरान जनजातीय विकास खण्डों में सहकारी समितियों को सहायता

1673. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातीय विकास खण्डों में मार्केटिंग कोआपेरेटिव, फोरेस्ट सर्विस कोआपरेटिवस, प्राईमरी लेबर कोआपरेटिवस, और लेबर कन्टरेक्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन-कोआपरेटिवस को दी गई सहायता के रूप में चतुर्थ योजना अवधि के दौरान अब तक कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ख) प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत अब तक ऐसी कितनी समितियां स्थापित की गई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा

(ख) : यह जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रम में प्रगति

1674. **श्री सुबोध : हंसदा** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य-वार, कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(ख) वर्ष 1971 – 72 में राज्यों के लिए नियत की गई राशि में से अब तक, राज्य-वार, वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) राज्य सरकारों ने ग्राम निर्माण कार्यक्रम (जिसे अब सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कहा जाता है) के अधीन चालू की गई योजनाओं के अन्तर्गत सृजित होने वाले रोजगारों के विषय में पूरी-पूरी जानकारी नहीं दी है। फिर भी, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की क्रियान्विति से उत्पन्न होने वाले रोजगारों को प्रदर्शित करने वाला विवरण I संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1615/72]**

(ख) वर्ष 1971–72 की अवधि में राज्यों को 18·50 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

राज्यवार ब्यौरा तथा प्रत्येक राज्य द्वारा अभी तक सूचित किये गये समय व्यय को विवरण II में दर्शाया गया है। इस तथ्य को दृष्टि में रखा जाये कि व्यय के आंकड़े विविध अवधियों के सम्बन्ध में हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1615/72]**

पठानकोट-कांडला पत्तन राजपथ पर कार्य

1675. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट-कांडला पत्तन राजपथ पर कार्य आरम्भ हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : इस राजमार्ग पर, जिसे अभी अभी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है किसी हद तक दो उपमार्गों सहित तारकोल बिछी हुई है। सम्पूर्ण सड़क को हर दृष्टि से एक पथ राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक लाने के लिए अपूर्ण खंडों के सुधारने का कार्य, परियोजनाओं के तैयार होने तथा मंजूर होने पर शीघ्र ही शुरू किया जायेगा। कार्य के पांचवी पंचवर्षीय योजना में समाप्त होने की संभावना है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर सिगरेटों के विज्ञापन

1676. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धूम्र-पान के अभावों की जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम अपनी बसों पर सिगरेट के विज्ञापनों की अनुमति क्यों दे रही है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार को धूम्रपान के बुरे प्रभाव विदित हैं और इस सम्बन्ध में जनता को अपने सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्य कलाप के भाग के रूप में शिक्षित करती रही है।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम को वाणिज्यिक आधार पर चलाया जा रहा है। विज्ञापन जिसमें सिगरेट के विज्ञापन भी शामिल हैं, को निगम के राजस्व की वृद्धि के लिये, बसों में प्रदर्शन के लिये स्वीकार किये जा रहे हैं।

वर्ष 1971 में अनाज की क्षति

1677. **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री बेकारिया :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से, राज्यवार, अनाज की कितनी क्षति हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या निरोधात्मक उपाय किये गये हैं; और

(ग) कितना क्षतिग्रस्त अनाज बेच दिया गया है और उसे किस प्रकार बेचा गया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क) से (ग)** : राज्य सरकारों और खाद्यान्नों की अन्य अधिप्राप्ति तथा भण्डारक एजेंसियों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और पूरी सूचना प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

New Schemes Regarding Agricultural Programme by Indian Council of Agricultural Research

167$. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the institutes of the Indian Council of Agricultural Research have formulated any new scheme regarding agricultural programme ;

(b) the crops covered under the said scheme ; and

(c) the broad outlines of the scheme and the progress made in this regard so far ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Crops covered under the new schemes will be Mango and Spices.

(c) (i) **Mango :**

The Scheme is to investigate major problems concerning mango such as mango malformation, irregular bearing, long pre-bearing period, problems limiting export, etc.

An additional gross pl n allocation of Rs. 45 lakhs for Institute of Horticultural Research, Bangalore, has been approved by the Planning Commission with a view to intensify research work on mango also.

(ii) **Spices :**

The Spices crops have a number of problems such as cardamom mosaic, pepper wilt, ginger soft rot low crop yields, etc. These problems are proposed to be investigated in the light of the export and indigenous requirements.

The planning Commission have recently approved the strengthening of Central Plantation Crops Research Institute with an outlay of Rs. 40 lakhs in order to undertake research work on spices. A research station on spices is to be developed as an affiliate of Central Plantation Crops Research Institute.

The above schemes are now being processed further for getting clearance from the Ministry of Finance.

गांवों में पेय-जल की सुविधा

1679. **श्री राम रतन शर्मा :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गाँवों में पीने के जल की सुविधाओं की कब तक व्यवस्था की जायेगी जिनमें ये सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किये गये मूल्यांकन के अनुसार 1969 के शुरू में देश के करीब 90,000 ग्रामों में पीने का पानी 50 फीट की गहराई अथवा एक मील की दूरी तक उपलब्ध नहीं था और 62,000 गांव विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त थे। इन सभी गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये व्यापक संसाधनों का होना जरूरी है जिनमें धन और सामग्री दोनों आ जाते हैं। तथा देश के सभी गाँवों में कब तक पीने के पानी की व्यवस्था हो जायेगी इस बारे में कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) : चौथी पंचवर्षीय योजना में जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के लिए 404·5

करोड़ रुपये के आवंटन में से 123·5 करोड़ रुपये का आवंटन ग्रामीण जल पूर्ति योजना के लिए रखा गया है। जलपूर्ति योजनाएं राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं और योजनाओं का चयन करना, उनके लिये धन राशि का विनियोजन करना और उनको कार्यान्वित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जलपूर्ति योजना के लिये सामूहिक ऋणों और सामूहिक अनुदानों के रूप में क्रमश: 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम की गति को तेज करने के लिये केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय और केन्द्रीय पुरोनिधानित क्षेत्रों में निम्नलिखित योजनाओं को चला रही है जिससे कि राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने में शीघ्र सफलता की प्राप्ति में मदद मिल सके :–

(1) तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिये जन स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(2) यूनिसेफ से सहायता प्राप्त ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत राज्यों को तेज ड्रिलिंग रिग्ज दिये जा रहे हैं जिससे चट्टानी/पथरीली भूमि वाले क्षेत्रों की समस्या हल हो सके।

(3) जल की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों का पता लगाने और ऐसे क्षेत्रों के लिये जल की सप्लाई का स्रोत निर्धारित करने के लिये विशेष अन्वेषण प्रभाग।

(4) ऐसे अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के वास्ते जलपूर्ति योजनाओं की विस्तृत परियोजनाएं तैयार करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आयोजन और डिजाइन एकक खोलना।

Pay Scales of Primary School Teachers

1680. **Shri R. R. Sharma :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the pay-scale and other facilities provided to the primary school teachers in Union Territories ;

(b) whether some changes therein are under consideration ; and

(c) whether there is any scheme to provide uniform pay-scales and facilities to the primary school teachers throughout the country ; and if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) A statement showing the pay scales of primary school teachers in the Union Territories is attached. Information regarding other facilities will be collected and placed on the table of the Sabha as early as possible.

(b) The pay scales of primary teachers in Union Territories and Organisations on Central scales of pay were revised only in September, 1971 and there is no proposal at present for any further revision.

(c) No, Sir. It is not possible to provide uniform pay and other facilities throughout the country as they depend on various factors such as :

(i) availability of personnel ;

(ii) pay scales and service conditions of corresponding posts in State Services ; and above all

(iii) the financial resources of the State.

Statement showing the Pay scales of Primary School Teachers

	Name of Territory	Pay Scales
1.	Delhi	Rs. 165-10-215-15-275-EB-15-3:0.
2.	Pondicherry	—do—
3.	Goa, Daman and Diu	—do—
4.	A & N Islands	—do—
5.	L. M. & A. Islands	—do—
6.	Chandigarh	Rs. 125-5-250-EB-10-300.
7.	Dadra & Nagar Haveli	Rs. 118-4-150-5-160-8-200-EB-8-240-10-270.
8.	Arunachal Pradesh	Rs. 140-6-170-EB-7-205-EB-7-275.
9.	Mizoram	Rs. 125-4-145-EB-4-165-EB-5-200.

Organisations for Small Farmers and Agricultural Labourers

1681. **Shri R. R. Sharma :**
Shri Prabhudas Patel :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the National Commission on Agriculture have recommended the Constitution of a big Organisation for meeting all the requirements of small farmers and agricultural labourers including of loans and marketing of their produce ;

(b) if so, the reaction of Government there to and the action taken in this regard ; and

(c) the other recommendations contained in the Interim Report of the Commission and action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The National Commission on Agriculture, in their Interim Report on credit services for small and marginal farmers and agricultural labourers has suggested the setting up of a new registered cooperative body of Farmers Service Societies to provide integrated agricultural credit services to small/marginal farmers and agricultural labourers ;

(b) & (c) : The setting up of unions of such societies at the district level and functional district organisations for specific commodities at the district level has also been recommended by the Commission The Lead Bank of the district is to have the overall responsibility for integrating provision of farm credit with supplies of inputs and services. These recommendations of the Commission are under examination of the Government.

गुजरात के किसानों की स्थिति सुधारने के उपायों के बारे में अमरीकी विशेषज्ञों के विचार

1682. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के किसानों ने अधिक उपज देने वाली अनाज की किस्मों को अपना

लिया है और वे उर्वरकों के प्रयोग के विरुद्ध नहीं हैं जैसा कि अमरीकी सहायता दल के नेता डा० डोनाल्ड आर० कारनेलियस ने कहा है जिन्होंने अप्रैल 1971 में गुजरात का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कुछ उपाय भी बताये हैं जो कि गुजरात के किसानों को अपनी स्थिति सुधारने के लिये अपनाने चाहियें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गुजरात राज्य में, उच्च-उपज देने वाली खाद्य फसलों और उर्वरकों के उपभोग का क्षेत्र वर्षानुवर्ष बढ़ता जा रहा है। अप्रैल, 1971 में अमेरिकन सहायता दल के नेता ने गुजरात का जो दौरा किया था, उसकी रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

गुजरात आवास बोर्ड को ऋण

1683. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आवास तथा नगरीय विकास निगम ने गुजरात आवास बोर्ड को दो करोड़ रुपये का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा गुजरात आवास बोर्ड को अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है;

(ग) गुजरात आवास बोर्ड ने इस ऋण को किन योजनाओं के लिये प्रयुक्त किया है; और

(घ) बोर्ड द्वारा कौनसी योजनायें आरम्भ की जायेंगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां। ऋण की राशि 2·5 करोड़ रुपये है।

(ख) आवास तथा नगर विकास निगम से उपर्युक्त ऋण के अतिरिक्त, इस बोर्ड को जीवन बीमा निगम से भी 1·5 करोड़ रुपये के एक ऋण का नियतन किया गया है।

(ग) इस 2·5 करोड़ रुपये के ऋण का उपयोग गुजरात आवास बोर्ड द्वारा उनके बदाज-अहमदाबाद भूमि अधिग्रहण तथा विकास योजना में किया जा रहा है। योजना के भूमि के अर्जन तथा विकास और फ्लैटों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग की श्रेणियों के 7625 मकानों के निर्माण तथा 1152 प्लाटों के विकास का प्रस्ताव है।

(घ) बोर्ड द्वारा आरम्भ की जाने वाली अन्य योजनाओं का ब्यौरा सरकार को मालूम नहीं है।

कन्डक्टरों की भर्ती तथा उनके प्रशिक्षण में भ्रष्टाचार

1684. **श्री भोला मांझी** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के बस कन्डक्टरों के प्रशिक्षण और उनको भर्ती करने में भ्रष्टाचार होता है, और

(ख) क्या भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : दिल्ली परिवहन उपक्रम (अब दिल्ली परिवहन निगम) को अगस्त 1971 के पहले सप्ताह में एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह कहा गया था कि उपक्रम के कर्मचारियों के एक दल ने परिवहन उपक्रम के प्रबन्ध में परिवर्तन से पहले 9–5–1971 को हुई संवाहकों के पद की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यार्थियों से रिश्वत ली थी। मामले की जांच की गई। जांच के फलस्वरूप यह प्रकट हुआ कि कथन में कुछ सच्चाई है। परन्तु चूंकि संग्रहीत साक्ष्य यथेष्ट नहीं था और मामले की पूर्ण छानबीन की आवश्यकता थी मामला जांच के लिये दिल्ली पुलिस को भेजा गया। बाद में मामला दिल्ली प्रशासन के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को अन्तरित कर दिया गया जो अब मामले की जांच कर रहा है।

गर्भवती स्त्रियों और बच्चों के लिये नई दिल्ली नगरपालिका की स्वास्थ्य योजना

16 5. **श्री भोला मांझी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने गर्भवती स्त्रियों और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक स्वास्थ्य योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) (1) सभी माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्धी संघटित सुविधाएं प्रदान करने का विचार है।

(2) इसके अलावा 1 से 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध किया जायेगा। गोलमार्केट के पास एक मार्ग-दर्शी परियोजना आरम्भ की जायेगी जहां पर कुल आवश्यकता सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

खाद्य निगम में कार्मिक संघ

1687. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में कुल कितने कार्मिक संघ हैं; और

(ख) उनमें से कितने मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 25 संघ/एसोसिएशनें निगम में कार्य कर रही हैं।

(ख) केवल परिवहन गोदी कर्मचारी संघ, बम्बई, जो विभागीय तथा अन्य मजदूरों, जिनकी संघ शर्तें, भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों और संघ के बीच हुए करार के ज्ञापन के अन्तर्गत आती हैं, का प्रतिनिधित्व करता है, को कानून मान्यता दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, चार अन्य संघों/एसोसिएशनों को सेवा मामलों के बारे में बातचीत के लिये वस्तुतः मान्यता दे दी गई है।

गहरे नलकूपों और कृषि कार्यों के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

1689. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गहरे नलकूप लगाने, सिंचाई तथा कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए उड़ीसा के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को वर्ष 1971 के दौरान कितनी राशि दी गयी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : वर्ष 1971-72 के दौरान बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए विशेषकर गहरे नलकूप खोदने हेतु उड़ीसा सरकार को कोई अग्रिम राशि नहीं दी गई है। फिर भी, मंत्रालय ने उड़ीसा के तूफानग्रस्त क्षेत्रों में डिपोजिट कार्य आधार पर नलकूपों के निर्माण के लिए 6 गहरे बोरों का ड्रिलिंग किया है। इनमें से 4 सफल बोरों को नलकूपों के रूप में पूर्णतया विकसित किया जा चुका है, शेष 2 बोर असफल होने के कारण छोड़ दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार और अधिक ड्रिलिंग करने के लिए काफी गुंजाइश है और अब ड्रिलिंग का कार्य पूरी तेजी से चल रहा है।

राज्य सरकार ने निम्नलिखित अल्प कालीन ऋण स्वीकार किए हैं :—

उर्वरक विपणन के लिए	182.02 लाख रुपये
उर्वरक तकानी के लिए	280.66 ,, ,,
बीजों के लिए	25.00 ,, ,,
	487.68 ,, ,,

इसमें से 300 लाख रुपये विशेषतः बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए स्वीकृति किया गया था।

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय द्वारा 700 लाख रुपये के ऋण अन्य सहायता कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए थे।

गन्ने से चीनी की वसूली

1690. **श्री हरिकिशोर सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और मैसूर में उगाये जाने वाले गन्ने की अपेक्षा उत्तर प्रदेश और बिहार में उगाये जाने वाले गन्ने में चीनी का तत्व बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) अखिल भारतीय गन्ना सुधार समन्वित परियोजना केवल गन्ने का उत्पादन स्तर सुधारने के लिए ही नहीं, बल्कि उससे प्राप्त होने वाली चीनी की प्रतिशतता में वृद्धि लाने की दृष्टि से भी अपने प्रयासों को तीव्र कर रही है। फिर भी, कृषकों को व्यवस्था प्रणालियां अपनाने

के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अदायगी पद्धति में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। इससे चीनी की वसूली में वृद्धि होगी।

बिहार में जल संसाधनों की खोज के लिए जल आयोग की स्थापना

1691. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जल संसाधनों के अन्वेषण और विकास के लिए एक स्थायी जल आयोग स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति के विरुद्ध आरोप

1692. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति के विरुद्ध आरोपों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या आरोप लगाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने आरोपों की जांच करने के लिए आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो आयोग के निदेश-पद क्या हैं और यह कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। यह मामला पूरी तरह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के अपने मकान

1693. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनके अपने मकान हैं, सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं ;

(ख) क्या उन्हें मकान का किराया मिलता है; और

(ग) यदि हां, क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 31-7-1971 को, दिल्ली में 2,938 में से 539 सरकारी कर्मचारी जिनके अपने मकान हैं, सामान्य पूल में सरकारी वास के दखल में थे ।

(ख) वे सरकारी कर्मचारी, जो सरकार द्वारा उपलब्ध किये गये वास के दखल में हैं, मकान सम्बन्धी किराया भत्ता लेने के पात्र नहीं हैं । परन्तु अन्य (कर्मचारी) भत्ता लेते हैं चाहे उनके अपने मकान हों ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पूना में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विचार गोष्ठी

1694. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विचार गोष्ठी फरवरी, 1972 के तीसरे सप्ताह में पूना में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विचार गोष्ठी में नाम लिखा था, और

(ग) इस विचार गोष्ठी में किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और सरकार को क्या सिफारिशें की गई हैं ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से कानूनी शिक्षा पर फरवरी, 1972 के तीसरे सप्ताह में पूना विश्वविद्यालय द्वारा एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी ।

(ख) भाग लेने वालों की सूची संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० —1615-72]

(ग) इस विचार गोष्ठी में कानूनी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया । पूर्व सत्र में स्वीकृत अंतिम सिफारिशों की आयोग द्वारा अभी भी प्रतीक्षा है ।

कृषि, औषधि, प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध आदि में अंशकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम

1695. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 फरवरी, 1972 के समाचार-पत्र 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री डी० एस० कोठारी ने कहा है कि कृषि, औधषि, प्रौद्योगिकी प्रबन्ध और विश्वविद्यालय प्रशासन के सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अंशकालिक, डिग्री पाठ्यक्रम चलाने की आव-

श्यकता है जिसके लिए किसी भी विधिक्वत् प्रवेश अर्हता के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिए और

(ख) क्या सरकार ने इस बीच इस सुझाव की जांच कर ली है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) हैदराबाद में 28 फरवरी 1972 की सेवारत प्रशिक्षण तथा अंशकालिक शिक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा "शिक्षा के कुछ पक्ष" नामक विषय पर दिए गए मोतीलाल नेहरू स्मृति भाषण के कुछ उद्धरण नीचे उद्धृत किए जाते हैं –

एक सुसंगठित तथा उदारतापूर्वक प्रोत्साहित सेवारत शिक्षा तथा प्रशिक्षण कीं योजना से बढ़कर संभवतः और कोई चीज विकास के कार्य में सहायता नहीं कर सकती । स्कूल तथा कालेजों के अध्यापकों के प्रशिक्षण का इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान होगा किन्तु इसको विस्तार व्यवसायों के सम्पूर्ण क्षेत्र में होना चाहिये-कृषि, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा प्रबंध तथा विश्वविद्यालय प्रशासन । जिस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये वह यह है कि सेवारत प्रशिक्षण समय-समय पर (अर्थात प्रत्येक 5 से 10 वर्ष) व्यावसायिक कार्य तथा रोजगार के एक अभिन्न अंग के रूप में दिया जाना चाहिये ।

"अंशकालिक शिक्षा के लिये सुविधायें अक्सर बहुत ही कम रही हैं । वास्तव में यह साधनों का अधिक उत्पादनकारी उपयोग होगा यदि पूर्णकालिक शिक्षा की अपेक्षा अंशकालिक शिक्षा के हेतु अधिक नामांकन किया जाए । अंशकालिक विद्यार्थी अक्सर अधिक प्रौढ़ तथा समझदार होते हैं । पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में दाखिला चयनात्मक होना जरूरी है और होना भी चाहिए । परन्तु अंशकालिक शिक्षा उन सभी व्यक्तियों के लिये सुलभ हो सकती है, जो भी चाहें बशर्ते वे लाभपूर्ण ढंग से रोजगार युक्त हों तथा जिन्होंने कम से कम कुछ वर्षों की नौकरी पूरी कर ली हो । अंशकालिक शिक्षा में विविध साधन तथा प्रणालियों का उपयोग विभिन्न अभिरुचियों और कार्य की परिस्थितियों और उपस्कर के अनुकूल किया जाना चाहिए । कुछ अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम भी होने चाहिये जिसके लिए किसी भी औपचारिक प्रवेश अर्हता के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिये । उत्पादनकारी उच्च शिक्षा के अवसर उन व्यक्तियों को उपलब्ध किए जाने चाहियें जो किसी कारण से प्रारम्भिक वर्षों में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके । यह वाँच्छनीय होगा कि कम से कम कुछ पूर्णकालिक डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिये 2 या 3 वर्ष का 'उत्पादनकारी कार्य" का अनुभव होना, प्रवेश योग्यता की शर्त बनाई जाए ।"

(ख) जहां तक इनका सम्बन्ध इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य प्रबन्ध से है सरकार साधारणतः डा० कोठारी द्वारा दिये गये सुझावों से सहमत है । चिकित्सा शिक्षा तथा कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में दिए गए सुझाव, भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों को उनके विचारार्थ भेज दिये जायेंगे ।

फरवरी, 1792 में मद्रास में आयोजित महानगरों में यातायात प्रवर्तन तथा पर्यावरण पर विचार गोष्ठी

1696. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के महानगरों में यातायात प्रवर्तन तथा पर्यावरण पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी फरवरी, 1972 के अन्तिम सप्ताह में मद्रास में आयोजित हुई थी,

(ख) इस विचार गोष्ठी में क्या सुझाव दिये गये थे, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। **स्कूल आफ** प्लैनिंग एंड आर्चिटेक्चर, नई दिल्ली और योजना आयोग के महा नगरीय परिवहन दल की सहायता तथा सहयोग से कालेज आफ इंजीनियरिंग, गिंडी ने एक विचार गोष्ठी का **आयोजन** किया था।

(ख) एक विवरण जिसमें विचार गोष्ठी की सिफारिशें दी गई हैं संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1617/72]

(ग) विचार गोष्ठी प्राधिकरण ने औपचारिक रूप से सरकार का अपनी सिफारिशें अभी तक नहीं भेजी हैं। इस दृष्टि से इस समय विचार गोष्ठी की सिफारिशों पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में फालतू डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग

1697. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अनेक डाक्टर फालतू हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इन डाक्टरों की सेवाओं का देश के अन्य भागों में लाभ उठाया जाये तथा उनकी सेवाओं की पेशकश बंगला देश सरकार को की जाये; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी हां।

(ख) देश के अन्य भागों के साथ साथ बंगला देश में इस राज्य के फालतू डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग करने सम्बन्धी कोई अनुरोध राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कुछेक डाक्टरों से प्रार्थना पत्र सीधे प्राप्त हुए थे; और

(ग) केन्द्रीय चयन समिति द्वारा भुवनेश्वर में इन अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा ली गई थी तथा उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को देश में ही नियुक्त कर लिया गया था। बंगला देश सरकार ने इस देश से डाक्टरों की सेवा उपलब्ध कराने के लिये नहीं कहा है।

खाई जाने वाली गोलियों के कुप्रभाव

1698. **श्री ई० आर० कृष्णन्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरम्भ में जिन लोगों ने गोलियां खाना शुरू किया था उनमें से बाद में इनको छोड़ देने वालों की प्रतिशतता बढ़ गई है इस बात को देखते हुए राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्था द्वारा खाई जाने वाली गोलियों के कुप्रभाव पर किये गये मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) लखनऊ ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कुछ अन्य गोलियों को लोकप्रिय बनाने के प्रयास करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि 73·1 प्रतिशत ग्राहियों ने 18 मास के अन्त में गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करना बन्द कर दिया। इनमें से 40·51 प्रतिशत ने चिकित्सीय कारणों से और 32·56 प्रतिशत ने व्यक्तिगत कारणों से इनका उपयोग बन्द किया। रिपोर्ट का सारांश संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०-टी०-1618/72**]

(ख) केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्थान लखनऊ द्वारा तैयार की गई नई औषधि की अभी जांच की जा रही है और इसे लोकप्रिय बनाने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों में प्रयोग किये जाने वाले रंगों में मिलावट

1699. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खाद्य पदार्थों में प्रयोग किये जाने वाले रंगों में बहुत अधिक मिलावट की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को समाप्त करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : **(क) और (ख)** : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोचीन बन्दरगाह के विकास के लिये अपर्याप्त धनराशि

1700. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने कोचीन बन्दरगाह के विकास के लिये अपर्याप्त धन आबंटित किया है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या सरकार का ध्यान एनीकुला जिला विकास परिषद द्वारा स्वीकृति उस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है जिसमें इस मामले में असहयोगपूर्ण रवैये के लिये केन्द्र पर दोषारोपण किया गया है, और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। जनवरी, 1972 में किये गये मध्यावधि योजना मूल्य निर्धारण के फलस्वरूप, चतुर्थ योजना कार्यक्रमों के निर्माण के साथ पूर्वानुमोदित 17·89 करोड़ रुपये की तुलना में सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कोचीन पत्तन के विकास के लिये 18 करोड़ रुपये की राशि नियत की है। सरकार को साधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। अतएव पत्तन विकास परियोजनाओं के विपुल साधनों की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को करनी होगी। अतः कोचीन पत्तन सहित पत्तनों की संशोधित आवश्यकताओं की सूक्ष्म संवीक्षा करना आवश्यक समझा गया है। तेल गोदी की स्थिति के पुनर्विचार करने पर आवश्यक समझी गई तेल गोदी के सम्बन्ध में ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन में देरी को देखते हुये और इस तथ्य के कारण कि चतुर्थ योजना के प्रथम दो वर्षों में केवल 2·35 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। कोचीन पत्तन के विकास के लिये 18 करोड़ रुपये का सशोधित योजना कार्यक्रम निश्चित किया गया था। जो प्रायः मूल चतुर्थ योजना दस्तावेज के समान ही है। फिर भी यदि तेल गोदी के प्रश्न पर कोई शीघ्र फैसला करना संभव हो तो आवश्यक हद तक सीमा को बढ़ा देने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मन्त्रियों और संसद सदस्यों के निवास स्थानों में सफेदी करने के लिये ठेके

1701. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के मकानों की वार्षिक सफेदी के लिये ठेके किन शर्तों पर दिये जाते हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को सामान सप्लाई किया जाता है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) : मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के निवास-स्थानों की वार्षिक सफेदी का ठेका सामान्यतया या तो मदन्दर के आधार पर अथवा प्रतिशतता-दर के आधार पर दिया जाता है। दोनों स्थितियों में, मरम्मत के छोटे 2 कार्यों के लिये अपेक्षित सीमेन्ट केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दी जाती है तथा इसकी कीमत ठेकेदारों से निर्धारित दरों पर वसूल की जाती है।

नई दिल्ली में सरकारी भवनों के लिये केयरटेकर

1702. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या निर्माण भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन, रेल भवन आदि जैसे नई दिल्ली स्थित सरकारी भवनों की देख-रेख करने के लिये केयरटेकर हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक भवन के लिये कितने व्यक्ति हैं और उनकी श्रेणी क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक भवन में व्यक्तियों की संख्या तथा उनके ग्रेडों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रत्येक भवन में नियुक्त केयरटेकरों की संख्या तथा उनके ग्रेडों का विवरण।

क्रम० सं०	भवन का नाम	केयरटेकरों की सं०	ग्रेड
1.	नार्थ एवं साऊथ ब्लाक	1	रुपये 150–10–250–ई० बी०–10–290–15–335–15–380
2.	निर्माण भवन	1	वही
3.	उद्योग भवन	1	रुपये 370–15–475 (सम्पदा सर्वेक्षक)
4.	कृषि भवन	3	(i) रुपये 210–425 अर्दली आफिसर (ii) रुपये 210–530 अनुरक्षण अधिकारी (iii) रुपये 168–8–256–ई० बी०–8–280–10–300 केयरटेकर
5.	शास्त्री भवन	1	रुपये 130–300
6.	रेल भवन	1	रुपये 370–475 (सम्पदा सर्वेक्षक)
7.	ट्रांसपोर्ट भवन	1	रुपये 210–10–290–15–320-ई० बी०-15-425 (अर्दली आफिसर)
8.	योजना भवन	1	रुपये 250–10–290–15–380
9.	सरदार पटेल भवन	1	रुपये 130–280
10.	श्रम शक्ति भवन	2	रुपये 210–10–290–15–320-ई० बी०-15–425

दिल्ली में त्यौहारों पर राशन कार्ड-होल्डरों को अतिरिक्त चीनी देना

1703. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले विभिन्न त्यौहारों पर दिल्ली में राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त चीनी दी जाती थी;

(ख) यदि हां तो क्या इस वर्ष फरवरी में होली और मुहर्रम पर राशन कार्ड रखने वालों को अतिरिक्त चीनी नहीं दी गई थी; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में सभी त्यौहारों पर अतिरिक्त चीनी देने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। उचित मूल्य की चीनी की सीमित उपलब्धता की दृष्टि में दिल्ली प्रशासन ने इस बात पर विचार करना आवश्यक समझा कि राशन कार्डधारियों को त्यौहारों के लिये अतिरिक्त चीनी देने का निर्णय लेने से पूर्व कुछ समय के लिये चीनी सप्लाई और निकासी की स्थिति पर निगरानी रखी जाये।

(ग) फिलहाल सरकार के सम्मुख ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों में ग्रामीण आवास योजना में प्रगति

1704. **डा० सरदीश राय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण आवास योजना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस योजना के प्रति प्रत्येक राज्य की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) तथा (ख) : ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास-स्थल की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में एक नई योजना अक्टूबर 1971 में प्रारम्भ की गई थी। योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों से कुछ परियोजनाएं अनुमोदनार्थ प्राप्त हुई है तथा उनकी जांच हो रही है।

यू० एन० डी० पी० हार्बर प्री-इन्वेस्टमेंट सर्वे प्रोजेक्ट द्वारा गुजरात तट का सर्वेक्षण

1705. **श्री बेकारिया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एन० डी० पी० हार्बर प्री-इन्वेस्टमेंट सर्वे प्रोजेक्ट द्वारा गुजरात में किसी स्थान का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : अम्बेरगांव, उमेरसादी और कोलाक पर मीन वंदरगाहों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण किये जा चुके हैं।

एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता

1706. **श्री बेकारिया** : क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता जो पहले दिसम्बर 1971 में नियत की गई थी परन्तु भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण नहीं हो सकी थी आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतियोगिता को कब और कहां करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) इस वर्ष एशियाई प्रतियोगिता करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेमी-एरिड-ट्रापिक्स के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था को विश्व बैंक की सहायता

1707. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के अर्द्ध शुल्क क्षेत्रों (सेमी-एरिड-ट्रापिक्स) के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था के लिए 7·23 लाख रुपये देने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग सिंचाई से वंचित क्षेत्रों में किसानों के काम के लिए खेती की प्रणाली करने में यह संस्था कहां तक सहायक होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । वास्तविकता यह है कि फिलहाल विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक) भारत में अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय शस्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना हेतु 1 लाख डालर (7·2 9 लाख रुपये) प्रदान करने का वचन दिया है ।

(ख) संस्थान निम्न प्रकार से अपनी सेवायें प्रदान करेगा—(क) ज्वार, मोटे अनाज, बंगाली चना (चना) और लाल चना (अरहार) के सुधार के लिये एक विश्व केन्द्र के रूप में; (ख) सुधरे हुए फसल प्रतिमानों और खेती को पद्धतियों के विकास और प्रदर्शन को उन्नत करने के लिये केन्द्र के रूप में, जो कम वर्षा, असिंचित, मौसमी सूखा और अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबन्धों में मानवीय और प्राकृतिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देगा;

(ग) संस्थान अपने कार्यक्रम के विस्तार को आगे बढ़ाते हुये क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय अनुसन्धान तथा विश्व के अन्य भागों में ऐसी ही परिस्थिति तथा ऐसे ही फसल वाले क्षेत्रों में इन फसलों एवं खेती की पद्धत्तियों के कार्यवाही कार्यक्रमों के साथ समीपस्थ सम्पर्क तथा सहयोग रखेगा ।

यह संस्थान बारानी खेती के राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करेगा और असिंचित क्षत्रों में उन्नत बीजों, फसल प्रतिमानों, खेती की प्रणालियों तथा मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर कृषि-उत्पादन बढ़ायेगा ।

अनाज रखने के लिये धातु के धान्यकोष्ठ

1709. **श्री एम० एम० जोजेफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राज्यों ने अनाज रखने के लिये धातु के धान्यकोष्ठ बनाने के लिए कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में किसानों को क्या सुविधाएं दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी। तथापि, एक केन्द्रीय योजना के अधीन पांच राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के किसानों को बिनों की निम्नलिखित सप्लाई करने के लिए 40 लाख रुपये की राशि दी जानी है—

1. प्रत्येक 1 4 मी० टन क्षमता के 400 बिन ।
2. प्रत्येक 2.5 मी० टन क्षमता के 400 बिन ।
3. प्रत्येक 5·5 मी० टन क्षमता के 200 बिन ।

इस प्रयोजन के लिए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत उन्हें बिन खरीदते समय बिन की लागत का 40 प्रतिशत और शेष 60 प्रतिशत तीन समान वार्षिक किस्तों में देना होगा।

संबंधित राज्य सरकारों को 20 लाख रुपये दे दिए गये हैं और शेष 20 लाख रुपये अगले वित्तीय वर्ष के दौरान दिये जाने का विचार है। अन्य राज्यों को भी यह सुविधा पहुंचाने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सरकारी अस्पतालों में औषधियों की चोरी

1710. **श्री अमरनाथ चावला :**
श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'ड्रग पिलफ्स इन हॉसपीटल्स' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने यह बताया है कि कुछ सरकारी अस्पतालों के अधिकारी औषध सप्लाई करने वालों से मिले हुए हैं और रिकार्ड तथा लेखों में गड़बड़ी करके स्टाक के कुछ भाग को वित्तीय हितों के लिये सप्लायरों को वापस दे देते हैं अथवा कैमिस्टों को बहुत कम मूल्य पर बेच देते हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकारी अस्पतालों से औषधियों की चोरी को रोकने के लिये क्या कदम उठाए जांय इस बात पर विचार करने के लिये अनौपचारिक औषधि समिति द्वारा नियुक्त उप-समिति ने इस ढंग की टिप्पणी की है।

(ग) सरकारी अस्पतालों से औषधियों की चोरी को रोकने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमावलि (नियम 65 (18)) में ऐसा उपबन्ध कर दिया गया है जिसके अनुसार औषधि विक्रेताओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना, सरकारी चिकित्सा स्टोर डिपो, सशस्त्र सेना चिकित्सा स्टोर अथवा अन्य सरकारी संस्थाओं के उपयोग वाली औषधियों का जिन पर कोई पहिचान चिन्ह अथवा औषधि के ऊपर कोई इस प्रकार शब्द या उसके डिब्बे पर कोई ऐसा लेबिल लगा हो, स्टाक रखने की मनाही है। इस नियम का उल्लंघन औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18 (क) (VI) के अधीन दण्डनीय है।

दिल्ली के डी० आई० जैड० क्षेत्र के सैक्टर "डी" में पेय जल की सप्लाई

1711. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जैड० क्षेत्र में नवनिर्मित सैक्टर 'डी' के निवासियों को केवल कुछ समय के लि ही पेय जल सप्लाई किया जाता है, यदि हाँ, तो उनको कितने समय तक पेय जल सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या बहुत से अवसरों पर इस थोड़े से समय में भी कमी कर दी जाती है और वहां के निवासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ग) उपर्युक्त क्षेत्र के निवासियों को पेय जल की 24 घन्टे नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रकार की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां। नई दिल्ली नगर पालिका के जल के मुख्य पाइपों से उपलब्ध होने पर पेय जल लगभग 9 घन्टे प्रति दिन सप्लाई किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा पानी की सप्लाई सीमित है, और इसलिये 24 घन्टे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना संभव नहीं है। तथापि, पानी की वर्तमान सप्लाई को सुधारने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं।

Central Vasectomy Scheme

1712. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a Central Vasectomy Scheme has been introduced in the country ; and

(b) if so, the names of the States where it has been implemented and the number of persons sterilized so far, State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) : Sterlization as one of the methods for limiting the size of the family has been propagated as a part of the official Family Planning Programme since 1956. This includes both vasectomy and tubectomy. The sterilization programme has been implemented in all the States and Union Territories. A statement is enclosed giving the State-wise figures of males and females who have undergone sterilisation since 1956 till February, 1972. **[Placed in the Library. See. No. L.T.—1619/72]**

Inadequate Milk Supply by D.M.S.

1713. **Dr. Sankata Prasad:** will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Milk Scheme is unable to meet the requirement of milk of Delhi citizens ; and

(b) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government to meet the shortage of milk ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) :

(a) As against the total estimated requirements of 7,00,000 litres of miles a day in Delhi, the Delhi Milk Scheme is supplying between 2,80,000 to 2,90,000 litres a day.

(b) The handling capacity of the dairy plant is about 3,00,000 litres of milk per day at present. Arrangements are in hand to raise the handling capacity to 3,75,000 litres of milk per day. This is expected to be accomplished before the close of the current calander year 1972, It is also proposed to establish a second plant to handle about 4,00,000 litres of milk per day. When these expansion programmes are completed, it would be possible for the Delhi Milk Scheme to adequately meet the requirements of the citizens of Delhi.

कमी वाले क्षेत्रों में पेय जल सम्बन्धी योजनाओं तथा तत्सम्बन्धी प्राक्कलनों के लिये राज्यों को सहायता

1714. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को पीने के पानी की कमी वाले तथा कठिनाई से मिलने वाले क्षेत्रों में पेय जल सम्बन्धी योजनाओं तथा तत्सम्बन्धी प्राक्कलनों के लिये शत प्रतिशत सहायता की पेशकश की है; यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) किन राज्यों ने योजना के अन्तर्गत योजनायें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम की गति को तेज करने और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1971 में ग्रामीण जल पूर्ति के लिये आयोजन एवं डिजाइन एककों की एक नई योजना की मंजूरी दी है जिसके अन्तर्गत उन दुर्गम और अभावग्रस्त क्षेत्रों में, जिनका ग्रामीण जलपूर्ति विशेष अन्वेषण प्रभागों द्वारा पता लगाया

गया है, नल जल सप्लाई की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये विस्तृत प्राक्कलन और आयोजन तैयार करने के कार्य में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :–

(1) जिन ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं को चौथे आयोजन की शेष अवधि में और पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा करने के लिये आरम्भ किया जा सकता है, उनकी विस्तृत परियोजनाएं एककों को तैयार करनी होंगी। इन एककों की दो श्रेणियां होंगी—क और ख। श्रेणी क' एकक में एक कार्यकारी इंजीनियर, एक वैयक्तिक सहायक, चार सहायक इंजीनियर, 16 ओवरसियर/संगणक/अनुभाग अधिकारी, चार नक्शानवीस, चार अनुरेखक तथा कलर्कों, जीप ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 14 और पद होंगे। श्रेणी 'ख' एकक में एक कार्यकारी इंजीनियर दो सहायक इंजीनियर, आठ ओवरसियर/संगणक/अनुभाग अधिकारी, दो नक्शानवीस, दो अनुरेखक तथा कलर्कों, जीप ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 8 और पद होंगे।

(2) इन एककों द्वारा बनाई जाने वाली प्रादेशिक नल जल सप्लाई की योजनाओं के सहित अनेक विशेष योजनाओं की संख्या लगभग 1100 होंगी जिनके अन्तर्गत चौथे आयोजन में करीब 14000 गांव होंगे।

(3) इस योजना में 407 इंजीनियरों और 420 अन्य वर्गों के शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सर्जित करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) : राज्यों के इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्लान नहीं भेजने होते। विभिन्न राज्यों में इन एककों द्वारा किए गए कार्यों की अभी तक राज्यों ने सूचना नहीं भेजी है।

प्रयोगशाला सेवाओं सम्बन्धी सम्मेलन

1715. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री वयालार रवि :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रयोगशालाओं में काम कर रहे डाक्टरों और तकनीशनों के वेतन की वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया है जैसा कि नई दिल्ली में हाल में हुए प्रयोगशाला सेवाओं सम्बन्धी सम्मेलन में सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सम्मेलन द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सरकार को अभी तक औपचारिक तौर पर कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। समझा जाता है कि इस सम्मेलन की सेमिनार समिति सिफारिशों का मसौदा बनाने में लगी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

बड़े शहरों में आवास समस्या

1716. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े शहरों में आवास समस्या सुलझाने के किसी उपाय पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) : इस मंत्रालय ने छः सामाजिक आवास योजनाओं को, जिनका मुख्य उद्देश्य बड़े शहरों सहित नगरीय क्षेत्रों में आवास की कमी में राहत पहुंचाना है, 1952 से प्रारंभ की तथा राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की ।

दिल्ली में, जो कि संघ-क्षेत्र में है, दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना 1957 में हुई थी तथा मकानों के लिये भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन तथा विकास एवं आम लोगों के लिये मकानों के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये की आवर्तन निधि उपलब्ध की गई थी इसी प्रकार कलकत्ता महानगर क्षेत्र में विभिन्न नगरीय विकास तथा आवास कार्यक्रमों को आरंभ करने हेतु 1970 में कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है । केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता में इन कार्यक्रमों के निष्पादन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ।

पुनः देश में विभिन्न आवास और नगरीय विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिये अप्रैल, 1970 में आवास तथा नगर विकास निगम के नाम से एक केन्द्रीय सरकार उपक्रम की स्थापना की गई थी । निगम की साम्या पूंजी में अंश दान हेतु चौथी योजना में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

सरकार ने महानगरों में गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु राज्य सरकारों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने के लिये 1972-73 में केन्द्रीय क्षेत्र में एक नई योजना आरम्भ करने का निर्णय भी किया है ।

मल निस्सारण

1717. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय इस समय गन्दे नालों द्वारा नदियों में डाले जा रहे मल के निस्सारण के वैकल्पिक तरीकों की सम्भावनाओं की खोज कर रहा है; और

(ख) यदि हां तो क्या उनके मंत्रालय ने कृषि आयोग से मल को उर्वरक में परिवर्तित करने की सम्भावना का अध्ययन करने के लिए कहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) शहर के कूड़ा-करकट तथा मल के निस्तारण की समस्या के अध्ययनार्थ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय ने श्री बी० शिवरमण, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि आयोग, के अधीन एक समिति गठित करने का निश्चय किया है।

(ख) जी नहीं।

खाद्यान्नों का अतिरिक्त फालतू भण्डार

1718. **श्री राम कंवर** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों के फालतू भण्डार बढ़ाने की योजना बना रही है;

ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अतिरिक्त धन की व्यवस्था कहां से की जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बफर स्टाक के लक्ष्य को बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

खुले बाजार में चीनी की बिक्री

1719. **श्री राम कंवर** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी उत्पादन का कुल कितना प्रतिशत खुले बाजार में बिक्री के लिए आने दिया जाता है और क्या सरकार इस मात्रा को भी सरकार की अनुमति से बेची जाने वाली चीनी की श्रेणी में लाने के लिए पहल कर रही है;

(ख) क्या चीनी उपयोग ने इस प्रस्ताव का तीव्रता से विरोध किया है; और

(ग) क्या भारत सरकार का ध्यान इस संबंध में 15 जनवरी, 1972 के 'दि इकनामिक्स टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : **(क) और (ख)** : चीनी के मूल्य या वितरण पर कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है। तथापि, ज्वाइंट स्टाक तथा सहकारी क्षेत्रों के चीनी कारखाने औपचारिक आधार पर इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि वे आपातिक जरूरतें पूरी करने और उचित मूल्य की दुकानों से घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए प्रत्येक मास निर्मुक्त चीनी का 60 प्रतिशत निर्धारित मूल्य पर देंगे। वे उसी मूल्य पर निर्यात के लिए कोटे का 3·5 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए भी सहमत हो गए हैं। उनके पास खुले बाजार में बिक्री के लिए मासिक निर्मुक्त कोटे की 36·5 प्रतिशत चीनी बचती है। जनवरी, 1972 के शुरू में जब तक मुक्त कोटे भी चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई तब

सरकार ने उद्योग को यह सुझाव दिया कि खुली बिक्री की चीनी का निकासी मूल्य उपयुक्त सीमा से ऊपर नहीं जाना चाहिये। उद्योग ने उत्तर दिया कि उनके लिए यह सम्भव नहीं कि वे देश के विभिन्न भागों में चीनी के उत्पादन की हालत में अन्तर होने के कारण भारत भर में खुले बाजार की चीनी के लिए समान उच्चतम मूल्य के बारे में आपस में किसी निष्कर्ष पर पहुंच पायें।

(ख) सरकार ने 'दि इक्नामिक टाइम्स' में 15 जनवरी, 197? को प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। इसके बाद खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति आयी है। तथापि, मार्च, 1972 के शुरू से मूल्यों में फिर बढ़ोतरी की प्रवृत्ति आयी है। यह मामला फिर विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये प्रशिक्षण तथा निर्देशन केन्द्र

1720. **श्री वी० मायावन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की सहायतार्थ प्रशिक्षण तथा निर्देशन केन्द्रों का सर्वेक्षण वर्ष 971—72 के अन्त तक, जैसा कि अनुमान लगाया गया था पूरा हो गया है: और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को निर्देशन और प्रशिक्षण दिया गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) : प्रशिक्षण तथा निर्देशन केन्द्रों के सम्बन्ध में कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

अलबत्ता श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों और उनके विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित स्थानों की नीति की जांच के लिये एक सर्वेक्षण किया गया था जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ न भरे जाने वाले स्थानों के कारणों का पता लगाने और सभी आरक्षित पदों को भरे जाने के लिए उपाय करना था।

सर्वेक्षण कार्य हाल में पूरा हो चुका है और रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पारादीप पत्तन न्यास क्षेत्र में अमान्य श्रमिक संघों के लिये कार्यालय आवास

1721 **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद कि अमान्य श्रमिक संघों को कार्यालय आवास नहीं दिया जायेगा, पारादीप पत्तन न्यास के अध्यक्ष के पारादीप पत्तन न्यास बोर्ड की कुछ अमान्य श्रमिक संघों को पारादीप पत्तन क्षेत्र में कार्यालय आवास देने की सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो पारादीप पत्तन न्यास को ऐसी असंगत सिफारिशों के करने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : **(क) और (ख) :** सरकार ने इस आशय के कोई विशेष आदेश जारी नहीं किये हैं कि उन श्रमिक संघों को जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है पत्तन न्यास क्षेत्र में कार्यालय के लिये स्थान आबंटित न किये जायें। पारादीप पत्तन श्रमिक संघ जो पारादीप पत्तन में कार्य करने वाला एक मात्र मान्यता प्राप्त संघ है की पहले ही स्थान की व्यवस्था कर दी गई है। परन्तु पारादीप में उपयुक्त किराय पर लिये गये स्थान की अनुपलब्धयता की दृष्टि से पत्तन प्रशासन श्रमिक संघों को स्थान के आबंटन के बारे में स्थिति की समीक्षा कर रहा है और बोर्ड के निर्णय के अनुसार अब मामला सरकार की राय के लिये भेजा गया है जो विचाराधीन है।

मेडिकल कालेज, कालीकट में स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम

1722. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या केरल सरकार ने मेडिकल कालेज, कालीकट में कुछ विषयों में स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार इन पाठ्यक्रमों को इस वर्ष से अगले वर्षों में चालू करने की मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : भारतीय चिकित्सा परिषद् ने कालीकट विश्वविद्यालय की चिकित्सा कालेज, कालीकट में निम्नांकित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने की आवश्यक अनुमति दे दी है।

1. एम० एस० सी० (जीवरसायन)
2. त्वचाविज्ञान तथा रतिरोग विज्ञान में डिप्लोमा।
3. शिशु स्वास्थ्य का डिप्लोमा।
4. नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा।
5. एम० डी० (न्याय सम्बन्धी चिकित्सा)
6. एम० एस० (सूचना)
7. एम० डी० (भेषजगुण विज्ञान)

चिकित्सा कालेज, कालीकट में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से पूछा था। उन्होंने राज्य सरकार को सूचित कर दिया है कि चिकित्सा कालेज कालीकट में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अनुमोदित स्तानकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ

करने के सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं बशर्ते केन्द्र सरकार से कोई खर्च न मांगा जाये ।

केरल के अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना के बारे में भेजे गये प्राक्कलन

1723. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना के बारे में विस्तृत प्राक्कलन भेजे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृति दे दी गई है, और

(ग यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, केरल सरकार से प्राप्त विस्तृत प्राक्कलनों की स्वीकृति भेज दी गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट के परिणामस्वरूप केरल की अर्थ व्यवस्था में संकट

1724. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक फसलों सहित कृषि उत्पादों जैसे काली मिर्च और रबड़, जिसके मूल्यों में अत्यधिक गिरावट के परिणामस्वरूप केरल की अर्थ व्यवस्था में संकट के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) : केरल में विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्य में ह्रास के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है । विभिन्न उत्पादों के मूल्यो के उतार-चढ़ाव पर ध्यान रखा जा रहा है । नारियल तथा इसके उत्पाद के मूल्यों और सम्बन्धित मामलों के अध्ययन के लिए अधिकारियों का एक दल राज्य में भेज दिया गया है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे ।

प्रादेशिक कैंसर केन्द्रों की स्थापना

1725. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रादेशिक कैंसर केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय)

(क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार द्वारा 1965 में गठित की गई कैंसर समिति के मुख्य सुझावों में से एक सुझाव देश में प्रादेशिक कैंसर केन्द्रों की स्थापना करना था । समिति के अनुसार प्रादेशिक कैंसर केन्द्रों के कार्य निम्नलिखित होने चाहिए—

1. कैंसर रोगियों के निदान उपचार और बाद की देख-रेख करने के लिये केन्द्रों के रूप में कार्य करना;
2. विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले व्यवसायियों को कैंसर सम्बन्धी अध्ययन और प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रों के रूप में कार्य करना;
3. प्रदेश में कैंसर सम्बन्धी अनुसंधान कार्यों को चलाना;
4. प्रदेश के लिए कैंसर रजिस्ट्री केन्द्रों के रूप में कार्य करना जहां कैंसर सम्बन्धी सभी रिकार्ड एकत्र किये जाते हैं; और
5. अपने सीमावर्ती कैंसर क्लिनिकों, कैंसर नियंत्रण और शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में कैंसर के विरुद्ध संघर्ष को चलाना और उसमें ताल-मेल बैठाना ।

देश में कुछ मौजूदा कैंसर संस्थानों को प्रादेशिक कैंसर केन्द्रों के रूप में विकसित करने का विचार है । इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार ने 15 दिसम्बर, 1971 को एक उप-समिति का गठन किया है ताकि वह इन संस्थानों में स्टाक और उपकरण आदि से सम्बन्धित जरूरतों का पता लगाने के लिये सारे देश का दौरा करें ।

खाद्यान्नों के भण्डारण के बारे में सरकार के विचार

1726. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष खाद्यान्नों के भरपूर उत्पादन की संभावना के कारण भण्डारण के सम्बन्ध में अपनी शंकायें व्यक्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों के उत्पादन और अधिप्राप्ति में विशेषतया रबी अनाजों की दृष्टि से अत्यधिक अधिशेष राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वृद्धि होने से भण्डारण क्षमता के अत्यधिक विस्तार करने की आवश्यकता पैदा हो गई है । भण्डारण क्षमता की महत्ता पर विचार करते हुए सरकार ने उपलब्ध सारी भण्डारण क्षमता का उपयोग किया है और गोदाम बनवाने का एक क्राश कार्यक्रम शुरू किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध किए हैं कि अतिरिक्त गोदाम किराये पर लेकर बड़े पैमाने पर 'कवर तथा प्लिंथ' गोदाम बनवा कर, गोदाम बनवाने के नियमित कार्यक्रमों को शीघ्रता से पूरा कर और उक्त राज्यों से संचलन में वृद्धि कर अधिप्राप्त स्टाक की पर्याप्त सुरक्षा की जाय ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्र से सहायता प्राप्त अस्पतालों के कार्यकरण की जांच के लिए समिति

1727. **श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने **की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र से सहायता प्राप्त अस्पतालों के कार्यकरण की जाँच करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्ति की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की कौन सी शिफारिशें सरकार ने मंजूर की हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) सफदरजंग तथा विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के प्रशासनिक और इन्जीनियरी ढाँचे का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यकारी दल का गठन किया था ।

(ख) कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में दी है । दोनों स्नातकोत्तर संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे इस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का अध्ययन करें तथा अपने संकुचित निकायों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उस पर आवश्यक कार्यवाई करें । दो केन्द्रीय अस्पतालों के बारे में इन्जीनियरी ढांचे तथा अस्पतालों के रख-रखाव से सम्बन्वित रिपोर्ट के पहले भाग का अध्ययन किया जा रहा है । प्रशासनिक ढांचे से सम्बन्धित रिपोर्ट के दूसरे भाग की जो सिफारिशें मान ली गई हैं उनकी स्थिति का एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1620/72**]

हरिजनों और आदिवासियों को मकान बनाने के लिए निःशुल्क स्थान

1728. **श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम क्षेत्रों में हरिजनों और आदिवासियों को मकान बनाने के लिए निःशुल्क स्थान वितरित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों और आदिवासियों को मकानों के लिए जमीनें मुफ्त बाँटने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी निर्माण और आवास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कामगारों के परिवारों को मुफ्त गृह-स्थलों की व्यवस्था के लिए हाल में एक योजना बनाई है ।

(ख) योजना के मुख्य लक्ष्य विवरण में दिये जाते हैं ।

विवरण

यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन होगी और इसकी क्रियान्विति के लिये उनकी योजना सीमाओं से बाहर राज्य सरकारों आदि को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध की जायेगी।

(ख) योजना के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं :—

(1) इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता केवल राज्य को स्वीकार्य होगी यदि इसने—

(1) स्थानीय नसबन्दी योजना सम्बन्धी ओथीजहवितोल में भूमिहीन कामगारों के मकानों/झोंपड़ियां बनी हुई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उन के वासभूमि अधिकारों को देने के लिए एक उपयुक्त कानून बनावाती है ; और

(2 ऊपर (1) के अधीन कार्यवाही में न आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कामगारों के परिवारों को मुफ्त गृह स्थलों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों या ग्राम सभा (इस योजना के अधीन लिये जाने वाले जिले में) द्वारा ली गई उपलब्ध भूमि का प्रयोग किया है। (ऐसी भूमि के विकास और मूल्य के लिए कोई भी वित्तीय सहायता स्वीकार्य नहीं होगी)।

(2) सारे प्रशासनिक खर्चे राज्य सरकारों द्वारा अपने साधनों से ही वहन किये जायेंगे।

(3) इस योजना के लाभ केवल ऐसे परिवारों को स्वीकार्य होंगे जो योजना के पैरा 2 (ख) में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करेंगे।

(4) गृह-स्थलों का क्षेत्र 100 वर्ग गज से अधिक नहीं होगा और विकास के लिए (जैसा कि इस योजना के पैरा 4 (घ) में उल्लिखित है) प्रति गृह स्थल का औसत मूल्य 150 रुपये से अधिक नहीं होगा।

(5) इस योजना के क्रियान्वयन में उन जिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां भूमिहीन ग्रामीण कामगार काफी संख्या हों, विशेषकर जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति के लोग हो।

(6) कोई भी परियोजना क्रियान्विति के लिए तब तक प्रारम्भ नहीं करनी चाहिए जब तक कि इस मन्त्रालय से अन्तिम स्वीकृति न मिल जाये।

इस योजना की क्रियान्विति प्रत्येक राज्य एक जिले से दूसरे जिले में, करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने एक समय में एक ही जिला चुन कर विशेष परियोजनाएं चालू करनी चाही हैं और सभी सम्बन्धित जानकारी देते हुए उनको इस मन्त्रालय को अनुमोदन और पूर्व छानबीन के लिए संलग्न प्रपत्र में (तीन प्रतिलिपियों में) भेजनी चाहिए।

गृह-स्थलों की आबंटित करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के

परिवारों का पृथक्करण नहीं होना चाहिए । ऐसे परिवारों को आस पास के गांव में या आबंटित किए गए गृह स्थलों में दूसरे परिवारों के साथ उपयुक्त ढंग से विकीर्ण होना चाहिए ।

ग्राही को गृह-स्थलों के हस्तान्तरण करने के करारनामे/विलेखों के साथ 2 एक विशेष धारा होनी चाहिए जो तीसरी पार्टी को प्लाट के अपने अधिकारों को रहन, बेचने या अन्यथा हस्तान्तरण करने से ग्राही को रोक सके ।

नई दिल्ली के आराम बाग क्षेत्र के निवासियों से पानी के नये मीटर लगाने के शुल्क की वसूली

729. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि नई दिल्ली के आराम-बाग क्षेत्र के सरकारी क्वार्टरों में जहाँ पानी के मीटर चोरी हो गए थे, पानी के नए मीटर निःशुल्क लगाए जायेंगे और कि मीटर वहां क्वार्टरों के अन्दर लगाए जायेंगे ।

(ख) क्या अब इन क्वार्टरों में रहने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस दिए गये हैं कि नोटिस मिलने के तीन दिन के अन्दर अन्दर यदि उन्होंने 80 रुपये जमा न कराए तो उनके पानी के कनक्शन काट दिए जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) नई दिल्ली में आराम बाग के सरकारी मकानों में चोरी हुए पानी के मीटरों को बदलने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार किरायेदार को चोरी हुए मीटरों की कीमत पहले दिल्ली नगर निगम में जमा करानी पड़ती है और तदनन्तर उसकी वापसी के लिये केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखना पड़ता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा उन किरायेदारों को कनक्शन काटने के लिये नोटिस जारी कर दिये गये थे जिन्होंने चुराये गये मीटरों को बदलने की कीमत अदा नहीं की थी ।

Functioning of Students Union in Universities

1730. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether any Commission has been constituted to evolve and suggest ways and means to improve the composition, functions and financial control of Students Unions in Universities ; and

(b) if so, its composition ; scope and function ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare and in the

Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b) : The question of composition, functioning, etc. of students Unions in the Universities has been considered by the Education Commission (1964—66); Conference of Student Representatives convened by the Ministry of Education and University Grants Commission in May 1969, and the U.G.C. Committee on 'Governances of Universities and Colleges.' Copies of their reports have been circulated to the State Governments and Universities. Copies have also been placed in the Parliament Library.

केरल में नर्सों को प्रशिक्षण देने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1731. **श्री एम० के० कृष्णन्** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को नर्सों को प्रशिक्षण देने वाली ऐच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी कोई योजना प्रेषित की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) केरल सरकार ने किसी नई योजना की सिफारिश नहीं की है परन्तु उन्होंने स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा नर्सों के प्रशिक्षण के लिये उन्हें केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में आर्थिक सहायता देते रहने का अनुरोध किया है।

(ख) नर्सों के प्रशिक्षण के लिये दूसरी और तीसरी योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई थी। चौथी योजना की अवधि में इस प्रतिमान को बदल दिया गया। इस संशोधित प्रतिमान के अनुसार पैरा मेडिकल कर्मचारियों की जिनमें नर्सें भी सम्मिलित हैं। प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध किया जायेगा। यदि राज्य सरकारें चाहें तो अपने यहां स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को शत प्रतिशत सहायता दे सकती हैं।

केरल राज्य प्रशिक्षित नर्सों के मामले में आत्म-निर्भर है। उन्होंने सुझाव दिया है कि देश में प्रशिक्षित नर्सों की कमी को दूर करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नर्सों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना को केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना बना दिया जाए। जैसे कि ऊपर बता दिया गया है नर्सों सहित पैरा चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण के खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा संघ सरकार दे रही है और राज्य सरकारों पर केवल 10 प्रतिशत तक ही भार पड़ेगा। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि सहायता के वर्तमान स्वरूप को बदलना सम्भव नहीं है।

कृत्रिम हृदय का तैयार किया जाना

1732. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ पश्चिम जर्मनी और अमरीका के सर्जन अणुशक्ति लघरूपीय कृत्रिम हृदय, जो आकार में छोटा होगा और मानव की छाती में लगाया जा सकेगा, के सम्बन्ध में सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, और

(ख) क्या देश में हृदय रोगों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अपने प्रतिनिधि के माध्यम से देश में ही कृत्रिम हृदय तैयार करने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए तत्पर है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी हां। समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में खबरें छपी हैं।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुशक्तीय कृत्रिम हृदय के विकास के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी भेजने का अनुरोध किया गया है। चूंकि यह प्रयोगात्मक अवस्था है इसलिये यह सोचा गया है कि इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने से पूर्व आगे और परिणामों की प्रतीक्षा कर ली जाये।

बारानी खेती वाले क्षेत्रों का विकास

1733. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों मे 1971 के दौरान बारानी खेती वाले क्षेत्रों के विकास की योजना को कार्य रूप देने में अब तक जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : समग्र बारानी खेती विकास के लिए केन्द्रीय आयोजित योजना की मुख्य बातें हैं कि 12 राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 24 अनुसंधान केन्द्रों के आस पास 24 आदर्श परियोजनायें स्थापित की जायेंगी। प्रत्येक के अन्तर्गत लगभग 8 000 एकड़ भूमि आयेगी। नई टैकनौलोजी में मुद्रा संरक्षण, भूमि विकास, भूमि निरूपण, जल उपयोग, फसल की लघ अवधि सूखा निरोधी सुधरी किस्मों का प्रयोग, प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहित फालियर सहित उवर्कें, वनस्पति रक्षण के नये तकनीकों को अपनाना और आवश्यक अभिस्थापनायें बनाना शामिल हैं। कार्य के प्रत्येक मद के अधीन उपलब्ध परिणाम का परीक्षण स्वीकृत तरीके में आदर्श परियोजनाओं में हो रहा है। स्थानीय स्थितियों के अनुसार कार्यक्रम प्रत्येक परियोजना में भिन्न होगा। यह कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वित समितियों ने सम्बन्धित असुसंधान केन्द्रों के मुख्य वैज्ञानिकों की सलाह के साथ तैयार किये हैं।

23 आदर्श परियोजनायें चल रही हैं। अभी तक किसी महत्वपूर्ण परिणाम की आशा करना असंगत होगा।

राज्यों में भूमि सुधार के कार्यों में प्रगति

1734. **श्री बी० वी० नायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भूमि सुधार उपायों को लागू करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) प्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री समय समय पर मुख्य मन्त्रियों को नीति और विधान तथा विधि और उनकी क्रियान्विति के बीच के अन्तर को हटाने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधारों को उच्च प्राथमिकता दिलाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा अपनाये गये भूमि सुधार के उपायों में बिचौलिए पट्टों की समाप्ति, पट्टेदारी प्रणाली में सुधार करना, उचित किराये का निर्धारण करना, पट्टेदार कृषक, उप-पट्टेदारों और फसल-भागीदारों के पट्टों की सुरक्षा करना, और स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार देना तथा भूमि की अधिकतम सीमा को निर्धारण करना शामिल है । गत 20 वर्षों के दौरान भूमि सुधारों की क्रियान्विति में पर्याप्त प्रगति हुई है । भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के 40 प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्र में विद्यमान जमीन्दारी, जागीरों और इनामों जैसे बिचौलिए पट्टेदारों का व्यावहारिक तौर पर देशभर में उन्मूलन कर दिया गया है । बिचौलिए पट्टेदारों के उन्मूलन से लगभग 200 लाख पट्टेदारों का राज्य के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया है और उन्हें स्वामित्व के अधिकार मिल गये हैं ।

गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्यों और पांडिचेरी के माहे क्षेत्र ने पट्टे की सुरक्षा और किराये के विनियमन की व्यवस्था अपनाई है और पट्टेदारों को राज्यों के सीधे सम्पर्क में लाने और उन्हें स्वामित्व के अधिकार देने के लिये कदम उठाए हैं । अधिकाँश राज्यों में साँविधिक किराया कुल उपज के $\frac{1}{4}$ या $\frac{1}{5}$ भाग से अधिक नहीं होगा ।

हरियाणा और पंजाब को छोड़कर, जिनमें स्वामित्व पर कोई सीमा नहीं है परन्तु एक व्यक्ति के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने पर राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि उस भूमि पर पट्टेदार बसा दे । यह रिपोर्ट मिली है कि सीमा निर्धारण के उपरान्त 20 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि को अब तक फालतू घोषित किया जा चुका है और लगभग आधे क्षेत्र को शरणार्थी पट्टेदारों, अनार्थिक भूमिधारियों और भूमिहीन कृषकों में बांट दिया गया है ।

क्रियान्विति में कभी भी कमियाँ नहीं रही हैं और अनेक राज्यों में प्रगति धीमी रही है । उद्देश्यों और विधान में और विधि तथा उनकी क्रियान्विति में काफी अन्तर रहा है । कुछ लघु बिचौलिए पट्टेदारों के उन्मूलन के लिए अभी कानूनी व्यवस्था की जानी है । पट्टेदारी सुधार के विषय में आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र, बिहार, तमिलनाडु, पांडिचेरी और दादरा तथा नगर हवेली में पट्टेदारों और बटाईदारों की स्थिति असुरक्षित है । हरियाणा और पंजाब में भूस्वामी द्वारा अधिकार को जारी रखते हुए पट्टेदारों की सुरक्षा हैं । आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र

हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर ($12\frac{1}{2}$ एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले पट्टेदार के सम्बन्ध में) और तमिलनाडु में देय उचित किराया सबसे अधिक है। हरियाणा और पंजाब में अधिकतम किराया कुल उपज का तीसरा भाग है। आन्ध्र प्रदेश में सिंचाईगत भूमि के लिए उपज का 50 प्रतिशत और शुष्क भूमि के लिए 45 प्रतिशत है। सिंचाईगत भूमि के मामले में किराया कम करके 30 प्रतिशत करने और अन्य भूमि के मामले में 25 प्रतिशत करने के लिये एक विधेयक पास किया गया है। जम्मू और कश्मीर में यह 25 से 50 प्रतिशत और तमिलनाडु में $33\frac{1}{3}$ से 40 प्रतिशत तक है। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, गोआ और पाँडिचेरी में अभी तक पट्टेदारों को स्वामित्व के अधिकार नहीं दिये गये हैं।

उड़ीसा में रोक आदेश के कारण सीमा से सम्बन्धित कानून अभी लागू नहीं हुआ है। पंजाब भूतपूर्व पंजाब के क्षेत्रों और हरियाणा में स्वामित्व पर कोई सीमा नहीं है। राज्य भू-स्वामी के स्वामित्व में रहने वाले फालतू क्षेत्र में केवल पट्टेदारों को बसा सकता है।

मैसूर में गहरे समुद्र में मत्स्य-उद्योग का विकास

1735. **श्री वी० वी० नायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास की कोई योजना है और यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उसे कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने, मैसूर में विश्व बैंक की सहायता से समुद्र तट से दूर और गहरे समुद्र में मत्स्यहरण के विकास के लिये एक सुझाव भेजा है। इस योजना पर 3 वर्ष की अवधि में 15·52 करोड़ रुपये की रकम व्यय होगी। इस परियोजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) माल्पे में एक मत्स्यहरण बन्दरगाह का निर्माण करना और होनावर में उतारने और चढ़ाने की सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(2) 380 छोटी मत्स्यहरण नावों का निर्माण और पूर्ति करना।

(3) 20 मध्यम और बड़े आकार के जलयानों का प्रबन्ध करना।

(4) तट से दूरी पर परिसंस्करण संयंत्रों आदि का निर्माण करना।

(ख) 13 मार्च, 1972 को सुझाव प्राप्त हुआ था और यह विचाराधीन है।

कृषि विश्वविद्यालय और पी० एल०–480 निधि

1736. **श्री वी० वी० नायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चल रहे अधिकाँश कृषि विश्वविद्यालयों को अमरीकी पी० एल० 480 सहायता से धन मिलता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इन विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को कितनी सहायता दी गई थी;

(ग) अमरीकी सहायता, पी० एल० 480 सहित, के बन्द होने से इन विश्वविद्यालयों के कार्य संचालन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों को अमरीकी सहायता से मुक्त कराने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ। भारत में कृषि विश्वविद्यालयों को भारत सरकार से अनुदान द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। परन्तु इसके साथ-साथ पी० एल० 480 के अधीन इन्हें आवधिक अनुसन्धान परियोजनाओं के लिये अनुदान भी दिये जाते हैं। कृषि विश्वविद्यालयों के लिये (अमरीकन विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण के अधीन छोटी प्रयोगशाला एककों के प्रदर्शन या विकास के लिये) संस्वीकृत ट्रस्ट फंड रूपी प्रोजेक्ट को भी पी० एल०–480 राशि से वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत सरकार द्वारा ऐसी सब परियोजनाओं की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और स्वीकृति दी जाती है।

(ख) वर्ष 1969-0 से 1971-72 की अवधि के दौरान संलग्न विवरण के अनुसार, 9 कृषि विश्वविद्यालयों को 88·25 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1621/72]**

(ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई आपात योजना

1737 **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान ने हाल ही में एक आपात योजना कृषि मन्त्रालय को प्रस्तुत की है और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूप रेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) : दिसम्बर, 1971 के शुरू में युद्ध छिड़ने के तुरन्त बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में फसल उत्पादन में हुई हानि की क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए रबी मौसम के दौरान गेहूं, जौ, चना तथा सरसों के उत्पादन को और बढ़ाने के लिये शीघ्र आवश्यकता पर बल दिया। चूंकि इन फसलों की बुवाई अधिकांशत, हो चुकी है, अतः बुवाई पश्चात की पद्धतियों में सुधार करके ही उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता था। अत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजनाओं के अधीनस्थ अन्य अनुसंधान केन्द्रों में उपलब्ध आँकडों के आधार पर कार्य योजना प्रदर्शित करने वाला एक नोट तैयार किया गया और क्रियान्विति के लिये उसे कृषि मन्त्रालय के पास भेज दिया गया। उसकी मुख्य बातें संक्षिप्त रूप से फसलवार नीचे दी गई हैं :—

1 — गेहूं

(क) उर्वरक प्रयोग तथा तृजक और कीट नियंत्रण द्वारा समय पर बोये गए तथा सिंचित गेहूं की उपज में सुधार,

(ख) इस प्रयोजन के लिये विकसित की गई विशेष पैकेज पद्धतियों को अपना कर

दिसम्बर, या जनवरी के शुरू में उन बड़े क्षेत्रों में गेहूं की बुवाई करना जिनमें आजकल आलू तथा गन्ना बोया जाता है ।

(ग) उर्वरक प्रयोग तथा कीट नियंत्रण द्वारा बारानी गेहूं की उपज में सुधार करना ।

2—जौ

उत्पादन बढ़ाने के लिए लाही का नियंत्रण ।

3—बंगाल चना

पर्याप्त मात्रा में उत्पादन बढ़ाने के लिये ग्राम कैंटरपिलर या पौड बोरर, कटवार्म तथा प्लाट्स का नियंत्रण ।

4—सरसों

हानि कम करने और उससे उपज बढ़ाने के लिये लाही का नियंत्रण ।

राज्यों में ग्रामीण आवास वित्त निगम की स्थापना

1738. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष प्रत्येक राज्य में ग्रामीण आवास वित्त निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रेटर कैलाश-11, नई दिल्ली में प्लाटों का पंजीकरण और मकानों का निर्माण

1739. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री 20 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 645 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लाटधारी ग्रेटर केलाश पार्ट ।।, नई दिल्ली में प्लाटों का पंजीकरण अब करा सकते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें क्या औपचारिकताएं निभानी पड़ेंगी, और प्लाटधारी कब तक निर्माण कार्य आरम्भ कर सकते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम अलग अलग प्लाट होल्डरों से इस शर्त पर भवनों के नक्शे स्वीकार करेगा कि उन्होंने प्लाट अपने नाम पंजीकृत करवा लिये हों तथा निगम द्वारा भवन के नक्शे अनुमोदित होने के बाद, प्लाट, होल्डर निर्माण कार्य आरंभ कर सकते हैं ।

दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया को सरकारी नियंत्रण में लेना

1740. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों और कुछ अध्यापकों ने सरकार से इस संस्था को अपने नियंत्रण में ले लेने की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग पर विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

1741. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का अन्य शहरों में विस्तार होने पर, सम्पूर्ण देश के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को, इस योजना से लाभ पहुंचेगा; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : **(क) और (ख)** : केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना इस समय दिल्ली/नई दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद और मेरठ में कार्य कर रही है। शीघ्र ही इसे कानपुर और कलकत्ता तक बढ़ाया जा रहा है। 1972–73 के दौरान इसे मद्रास और नागपुर तक भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

इस योजना को अन्य नगरों तक बढ़ाना वहाँ पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या बढ़ने तथा धन उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

दिल्ली स्कूलों के अध्यापकों की स्थायित्वता

1742. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न स्कूलों में काम कर रहे उच्चतर माध्यमिक और प्राथमिक अध्यापकों को स्थायित्वता नहीं दी गई,

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी 1972 तक तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अध्यापकों की कुल संख्या क्या है और इन में से कितने अध्यापकों को स्थायित्वता दी गई है, और

(ग) अन्य मामलों में स्थायिवत्ता में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं, बहुत बड़ी संख्या में पात्र अध्यापकों को पहले से ही स्थायिवत्ता स्वीकृत की जा चुकी है ।

(ख) और (ग) : एक जनवरी, 1972 को 7648 अध्यापकों ने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इनमें से 4559 अध्यापकों को स्थायिवत्ता दे दी गई है । बाकी मामलों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है । विलम्ब का प्रमुख कारण प्रक्रियात्मक है ।

बेकन फैक्टरियों का आयात और उनका कार्यकरण

1743. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयात की गई बेकन फैक्टरियों की संख्या कितनी है और उन में से कितनी फैक्टरियां पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार काम कर रही हैं;

(ख) क्या रांची स्थित बेकन फैक्टरी एक महीने में 10 सूअर काटती है जब कि उस की एक दिन की पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता 50 से 100 सूअर काटने की है ;

(ग) क्या इन फैक्टरियों को कृषि उद्योग निगम को भी देने पर विचार किया गया था लेकिन निगम ने कोई भी फैक्टरी इस आधार पर लेने से अस्वीकार कर दिया था कि उन के पास काटने के लिए पर्याप्त सूअर नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में जांच कराने और उत्तरदायित्व नियत करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (घ) : सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दुग्ध संयंत्रों के अतिरिक्त पुर्जों का आयात

17·4. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार विदेशों से कितनी-कितनी राशि के दुग्ध संयन्त्रों के अतिरिक्त पुर्जे आयात किये गये;

(ख) क्या देश में तरल दूध की कमी के बावजूद भी प्रतिवर्ष और अधिक संयंत्रों का आयात किया जा रहा है; यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है; और

(ग) यदि अब दूध पाउडर के आयात को बन्द कर दिया जाता है तो देश में पहले से ही आयात किये गये और लगाये गये 107 दुग्ध संयंत्रों में से कितने संयंत्र अपनी पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता पर कार्य कर सकेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के दुग्ध संयंत्रों के

लिये पिछले तीन वर्षों में अतिरिक्त कल-पुर्जों और उपकरणों के आयात के लिये निम्नलिखित प्रकार से 12,66,883 रुपये की कुल राशि के आयात लाइसेन्स दिये गये हैं :—

		रुपये
1.	1969-70	1,16,607
2.	1970-71	6,193
3.	1971-72	11,44,083

(ख) जी नहीं। दूध संयंत्र दूध के लिये बाजार ढूंढने में सहायता करते हैं। बने बनाये किसी दूध संयंत्र का आयात नहीं किया जा रहा है। अब लगभग सारे डेरी उपकरण और मशीनें देश में ही बनाये जाते हैं। तथापि कुछ विशेष प्रकार की मशीनें, जो इस समय देश में नहीं बनाई जाती हैं और जो मुख्य संयंत्रों की पूरक हैं, आयात की जाती हैं। यहां तक कि यह भी देशीय उत्पादन की दृष्टि से तकनीकी विकास की महानिदेशालय से पूर्व मंजूरी लेकर किया जाता है।

(ग) देश में लगाये गये सब दूध संयंत्र आयातित नहीं हैं। इसी प्रकार सब संयंत्र आयातित चर्ण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कई डेरियां बिना दूध चूर्ण के चल रही हैं। यह उत्पादन केवल 18 चुनिन्दा छोटे और बड़े आकार के तरल दूध संयंत्रों को नियत किया जाता है ताकि दुध उत्पादन में कमी बढ़ती को देखते हुए वे बड़े शहरों में सारा साल दूध वितरण बनाये रखें। भारत सरकार की नीति आयातित स्किम दूध चूर्ण सप्लाई को रोकना है और उन दूध योजनाओं को इस के प्रयोग से निरूत्साहित करना है जिन्हें यह इस समय सप्लाई नहीं किया जा रहा है। यदि आयातित स्किम दूध चूर्ण की सप्लाई बन्द कर दी ाये, तो जिन परियोजनाओं को यह इस समय सप्लाई किया जा रहा है वे मौसमी कमी बढ़ती के कारण, अपनी लगी हुई पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर सकेंगे।

दिल्ली दुग्ध योजना के भूतपूर्व अध्यक्ष की सम्पत्ति के बारे में जाँच

1745. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के भूतपूर्व अध्यक्ष की सम्पत्ति के बारे में कोई जांच की गई थी; और

(ख) उनके विरुद्ध कौन से आरोप थे और उनके विरुद्ध हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उनके द्वारा आय केज्ञात स्रोतों से उनके पास अधिक सम्पत्ति होने के सन्देह के सम्बन्ध में सम्भवतः जांच की जा रही है।

ट्रैक्टरों की खरीद पर लगाये गये कर का पंजाब के किसानों पर प्रभाव

1746. **श्री पी० वेंटकासुब्बया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य करों के लाने के परिणामस्वरूप पंजाब के किसान

विश्व बैंक की 8,000 ट्रैक्टरों के आयात की बहुप्रचारित परियोजना के अधीन ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए निरुत्साहित हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 4,0C0 ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए जो विज्ञापन दिया गया था, उसके प्रत्युवत्तर के रूप में 6200 आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। फिर भी आवेदकों द्वारा पेशगी रकम जमा कराई जाने के पश्चात ही निश्चित मांग का पता लग सकेगा। अतः अभी यह कहना कठिन है कि किसानों की वास्तविक प्रतिक्रिया क्या होगी।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना

1747. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड गठित करने के बारे में सरकार को कई अभ्यावेदन, जिनमें से एकआंध्र प्रदेश सरकार से है, प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और तम्बाकू के विकास, उत्पादन और मूल्य निर्धारित करने के कार्य हेतु तम्बाकू बोर्ड गठित करने के बारे में सरकार के समक्ष यदि कोई बाधाएं हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) तम्बाकू के सांविध्कि बोर्ड की स्थापना के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है और प्रमुख तम्बाकू उत्पादक राज्यों में इसका कार्य क्षेत्र होगा। किन्तु यह निर्णय किया गया कि रबड़, काफी, चाय आदि जैसी अन्य फसलों के लिये स्थापित सांविधिक बोड़ों के समान एजेन्सी, तम्बाकू के विकास के लिये उपयुक्त नहीं होगी। भारत सरकार ने निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर यह निर्णय किया है—

1. तम्बाकू की कृषि देश में छोटे कृषकों की बहुत बड़ी संख्या द्वारा बड़े विस्तृत क्षेत्र में अन्य फसलों के साथ अदल बदल कर ली जाती है।

2. अनुसंधान कार्य अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं और इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दायित्व में ही रहने देना चाहिये।

3. राज्यों के कृषि विभागों तथा उनकी विस्तार एजेन्सियों को तम्बाकू विकास कार्यक्रम में पूर्णतः सम्मिलित किया जाना चाहिये।

4. केन्द्रीय सरकार का कृषि विभाग राज्य सरकारों के कृषि विभागों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मध्य निकट सम्पर्क बनाये रखने में प्रस्तावित बोर्ड की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी स्थिति में है ।

5. भारत सरकार कृषकों के मार्ग में तम्बाकू को लाभकारी मूल्यों पर बेचने के सम्बन्ध में कृषकों के मार्ग में आने वाली समस्याओं से अवगत है । एक तम्बाकू विपणन बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जोकि केवल वर्जीनिया फ्ल्यू क्यूर्ड तम्बाकू विषयक कार्य करेगा । सरकार इस पर विचार कर रही है ।

तम्बाकू के मूल्य में गिरावट

1748. **श्री सतपाल कपूर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के मूल्य, के गत वर्ष फरवरी में 500 रुपये से 600 रुपये के बीच से गिर कर फरवरी, 1972 में 250 रुपये से 00 रुपये तक रह जाने के परिणामस्वरूप अनेक तम्बाकू उत्पादकों को काफी हानि उठानी पड़ी है;

(ख) इस वर्ष तम्बाकू के मूल्य में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) तम्बाकू उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने में, उनके हितों की रक्षा करने में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिक उत्पादन के कारण इस वर्ष तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट हुई है और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में घटिया कोटि का तम्बाकू पैदा हुआ है । जिससे तम्बाकू उत्पादकों की आय पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने उत्पादकों से तम्बाकू खरीद लिया है और इससे मूल्यों में कुछ सुधार हुआ है ।

Proposal for Conversio of Lease-Hold Residental Accommodation into Free Hold in Delhi

1749. **Shri Jaggannathrao Joshi** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state ;

(a) whether the Delhi Administration had submitted a proposal to the Central Government for conversion of lease-hold residential accommodation into free-hold accommodation ;

(b) if so, when; and

(c) the action taken so far in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral)

(a) Yes, Sir.

(b) 11th June, 1970.

(c) The proposal was not accepted.

आदिवासियों की खेती सम्बन्धी स्थिति

1750 **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ऐ) हमारे कृषि वैज्ञानिकों के पास इस समय उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी की दृष्टि से उन आदिवासियों को खेती सम्बन्धी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिन के पास केवल बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त बारानी भूमि है,

(ख) क्या बाजरे की ऐसी नई किस्मों का विकास किया गया है जिन पर सूखे का असर न होता हो और जो अधिक उपज वाली हों, और

(ग) क्या ऐसी भूमि में बाजरे की फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के आर्थिक पहलुओं पर विचार किया गया है, ताकि उसी आधार पर आदिवासी कृषकों के लिए खेती सम्बन्धी पद्धतियों की सिफारिश की जा सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम में आदिवासियों सहित समस्त कृषकों को सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रम में मोटे अनाजों अर्थात संकर ज्वार तथा संकर बाजरे की कृषि की व्यवस्था है। नई टैक्नोलोजी का प्रदर्शन करने के लिये बारानी कृषि की 24 मार्गदर्शी परियोजनायें प्रारम्भ की गई हैं। प्राप्त हुए इन परिणामों से आदिवासियों को भी लाभ होगा।

(ख) जी हां। बाजरे तथा ज्वार की नई किस्में विकसित की गई हैं, जो कि अधिक उत्पादनशील और अल्पावधि की होने के कारण सूखा निरोधी है। बाजरा एच बी 1 तथा एच बी 3 और ज्वार की सी एस एच—1 किस्मों से आर्द्रता की परिस्थितियों में स्थानीय सर्वोत्तम किस्मों से अधिक आशाजनक परिणाम उपलब्ध हुये हैं।

(ग) बुवाई के समय आर्द्रता की मौजूदगी व मृदा तथा प्रबन्ध व्यवस्था पर निर्भर करते हुये नाइट्रोजन की उचित मात्रा तथा फास्फेट, पोटाश व जिंक के सन्तुलित प्रयोग से मोटे अनाजों की इन अधिक उत्पादनशील किस्मों में उर्वरकों का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहता है।

खजुराहो से 'अप्सरा' की मूर्ति की चोरी

1751. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अक्तूबर, 1971 को खजुराहो की 'अप्सरा' की मूर्ति को मन्दिर से चुरा लिया गया था, और

(ख) यदि हां, तो उसे प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :

(क) एक मूर्ति जिसमें एक 'अप्सरा' बनी थी, 16/17 अक्तूबर, 1971 की रात्रि को खुजराहो के पार्श्वनाथ मन्दिर से चुराई गई थी। 10 अक्तूबर 1971 को कोई चोरी नहीं हुई थी।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मूर्ति प्राप्त कर ली है और जांच पड़ताल प्रगति पर है।

मार्गदर्शी जन जाति कल्याण परियोजनायें

1752. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में छह मार्गदर्शी जन जाती कल्याण परियोजनाओं को प्रारम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का मध्य प्रदेश में कितना हिस्सा है और ये परियोजनायें किन स्थानों पर होंगी; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। भारत सरकार ने देश में आदिम जाति के विकास के लिये 6 मार्गदर्शी परियोजनायें आरम्भ की हैं।

(ख) इनमें से दो परियोजनायें, बस्तर जिले की दान्तेवाडा और कान्ता तहसीलों मे प्रत्येक में एक-एक स्थापित की गई हैं।

(ग) कार्य अभी आरम्भ हुआ है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा चावल, बाजरा और मक्का की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास

1753. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने चावल, बाजरा, मक्का और अन्य प्रकार के अनाज की कतिपय अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) ये किस्में निम्नलिखित हैं :–

1. **चावल** : जमुना, साबरमती, उन्नत साबरमती।

2. **बाजरा** : संकर बाजरा–4 और संकर बाजरा–5।

3. **मक्का** : गंगा शृंखला के संकर अर्थात् गंगा–1, गंगा–101, गंगा–2, गंगा–3 और गंगा–5, हि-स्टार्च नामक एक संकर, और कम्पोजिट्स किसान, जवाहर विक्रम, सोना, विजय, शक्ति और रतन।

4. **गेहूं** : कल्याण सोना, सोनालिका, शर्बती सोनारा, छोटी लर्मा, हीरा, मोती, पूसा लर्मा और शेरा।

चावल के आरक्षित भण्डार में वृद्धि

1754. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आने वाले मौसम में उपलब्धता में कम और मूल्यों में वृद्धि की सम्भावना के

विचार से, जिसके संबंध में कृषि मूल्य आयोग ने चेतावनी दी है, चावल के आरक्षित भंडार में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो "ताईचुंग", "सोना", "जावा" चावल की संकरा किस्मों को प्रोत्साहन देने से इस वर्ष चावल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ। खाद्यान्नों के बफर स्टाक में चावल का अंश बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) 1971-72 में चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 72.1 लाख हेक्टर क्षेत्र के आने का अनुमान है जबकि 1970-71 में इसके अन्तर्गत 55.9 लाख हेक्टर क्षेत्र था। क्योंकि इन किस्मों के अन्तर्गत उत्पादन संबंधी आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते हैं और 1971-72 में देश में चावल के कुल उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इस वर्ष के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के उत्पादन से चावल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी, यह बताना सम्भव नहीं है।

भारत सेवक समाज के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन

1755. **श्री पम्पन गौडा :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज के कार्य की जांच करने के लिए 21 फरवरी, 1969 को नियुक्त जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो आयोग के निष्कर्ष क्या हैं और उस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं का आयात बन्द होने के परिणामस्वरूप चावल आयात पर प्रभाव

1756. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से गेहूं का आयात बन्द कर देने के निर्णय से, बर्मा, थाइलैंड और संयुक्त अरब गणराज्य से, जिनके साथ भारत ने पहले ही व्यापार करार किया हुआ था, चावल के आयात पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो चावल की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप गेहू और चावल के मूल्यों में वृद्धि होनी शुरू हो गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) चावल की मौजूदा स्टाक स्थिति सुगम है। रियायती आयात बन्द करने के निर्णय का देश में गेहूं और चावल के मूल्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कृषि के लिये मध्यम अवधि ऋणों सम्बन्धी लक्ष्य

1757. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि चौथी योजना के दौरान कृषि उद्देश्यों से ऋण की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सहकारी समितियां वित्त-पोषक का रोल अदा करें ;

(ख) क्या वर्तमान प्रवृत्तियाँ यह संकेत करती हैं कि कृषि उद्देश्यों के लिए अल्प अवधि-ऋण संबंधी लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगे और दीर्घावधि ऋणों के संबंध में लक्ष्यों से भी अधिक सफलता प्राप्त हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो मध्यम अवधि-ऋणों संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सरकार ने कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करने के बारे में बहु-अभिकरण पहुंच अपनायी है। इस समय कृषि ऋण देने का प्रमुख संस्थात्मक अभिकरण सहकारी समितियाँ हैं, ऋण सहायता देने वाले अन्य अभिकरण वाणिज्यिक बैंक और कृषि पुनर्वित्त निगम हैं।

(ख) और (ग) : अब तक की प्रगति के रुख से पता चलता है कि चौथी योजना में सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले अल्प, मध्य तथा दीर्घकालीन अग्रिम धनों के लिए निश्चित किए गए लक्ष्यों को पूरा किए जाने की संभावना है। सहकारी समितियों के माध्यम से मध्यकालीन विनियोजन ऋण देने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं :

(1) भेड़ तथा बकरी पालने और स्टोरेज-बिन, थ्रेशर, हार्वेस्टर्स टायर कार्टस् आदि खरीदने जैसे अतिरिक्त प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करने की अनुमति देकर मध्य कालीन ऋण के क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

(2) मध्य कालीन ऋणों के लिए प्रतिभूमि की आवश्यकता में भी निम्न प्रकार से ढील की गई है :–

(क) भूमि को सांविधिक रूप से पारित करने पर (भूमि को बंधक रखे बगैर) किसी भी मात्रा में मध्य-कालीन ऋण प्रदान करना, बशर्ते कि प्रभार पंजीकृत हो और कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो।

(ख) उन क्षेत्रों में जहां भूमि को सांविधिक रूप से भारित और पंजीकृत करने के लिए कानूनी उपबन्ध नहीं है, वहाँ भूमि को बन्धक रखे बिना, कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए कुओं के निर्माण, पम्प सैट लगाने और कृषि औजारों, ट्रैक्टरों, थ्रेशरों, स्टोरेज बिन आदि क्रय करने के लिए 3500 रु० तक के मध्य-कालीन ऋण देना।

खाद्य उत्पादन और सप्लाई के लिए तीन-मुखी कार्यक्रम

1758. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के दौरान खाद्य उत्पादन और सप्लाई के लिये तीन मुखी कार्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; **और**

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं। चतुर्थ योजना के शेष दो वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उच्च-उपज देने वाली किस्मों और बहु शस्योत्पादन आदि के वर्तमान कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

छोटे और सीमान्त (मार्जिनल) किसानों को धन जुटाने में सहकारी समितियों की असफलता

1760. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियां छोटे और सीमान्त (मार्जिनल) किसानों को धन जुटाने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस मामले में असफल रहे हैं ?

मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्ननाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) : यद्यपि, यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि संस्थागत ऋण न केवल सहकारी समितियों से ही, अपितु वाणिज्यिक बैंकों से भी अधिकांश रूप में मध्यम तथा बड़े कृषकों को ही मिला है, तथापि, यह कहना ठीक नहीं होगा कि सहकारी समितियां छोटे तथा सीमान्त (मार्जिनल) कृषकों को वित्त देने में असफल रहीं हैं। 12 राज्यों तथा तीन केन्द्र-शासित क्षेत्रों, जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं. में सहकारी समितियों द्वारा दो हैक्टेयर से कम की जोतों वाले कृषकों, मुजारों तथा कृषि श्रमिकों को 1969-70 में दिए गए अल्प, मध्य तथा दीर्घ-कालीन ऋण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस से पता चलता है कि इन राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा दिए गए कुल ऋण का लगभग 33 प्रतिशत भाग छोटे तथा सीमान्त (मार्जिनल) कृषकों, मुजारों आदि को **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1622/72]** दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश, असम हिमाचल प्रदेश, केरल तथा पंजाब में कृषकों के उपर्युक्त वर्ग को सहकारी समितियों द्वारा दिए गए अल्प तथा मध्य-कालीन ऋण वर्ष के दौरान दिए गए कुल ऋणों के 40 प्रतिशत से भी अधिक बनते हैं। केरल तथा मणिपुर में इस प्रकार के ऋण 80 प्रतिशत से भी अधिक बनते हैं। तथापि, महाराष्ट्र और गुजरात में यह प्रतिशत कम था। गुजरात तथा बिहार में इस वर्ग के कृषकों को दिए गये दीर्घ-कालीन ऋणों का प्रतिशत कम था।

बिहार के जिलों में कृषि का विकास

1761. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के पालामऊ, हजारीबाग तथा रांची जिलों में कृषि के विकास के लिए कुछ योजनायें बनाई हैं, यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उक्त जिलों के विकास के लिये सरकार का कुछ योजनायें बनाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन जिलों में कृषि के विकास के लिए अधिक उत्पादनशील किस्म तथा बहु शस्योत्पादन जैसी सघन खेती की योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, मूंगफली के अधिकतम उत्पादन तथा लाख के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें भी प्रारम्भ की गई हैं। लघु सिंचाई योजनाओं तथा जर्मन कृषि विस्तार कार्यक्रमों के अन्तर्गत बड़े आकार के कुओं का निर्माण करके अतिरिक्त सिंचाई की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। सूखे क्षेत्रों में कृषि के विकास के सम्बन्ध में किसानों के लाभ के लिये विशेषकर पालामऊ जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में (जहां 'बारानी खेती विकास की परियोजना स्थापित की गई हैं), 'पैकेज प्रणालियों का विकास करने के लिए रांची में एक बारानी खेती अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है।

(ख) प्रश्न हीं नहीं होता।

बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों का खेती के आधुनिक उपायों के प्रयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शन

1762. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के पालामऊ, हजारी बाग और रांची जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां आज भी खेती के पुराने तरीके प्रयोग में लाये जा रहे हैं, कृषकों के लिए विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का प्रबन्ध करने हेतु कार्यवाही की है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : इन क्षेत्रों में कृषि विकास के लिये किये गये उपायों में ये भी सम्मिलित हैं: (1) विभिन्न कृषि कार्य संभालने में किसानों को सहायता करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये कृषि अधिकारियों को खण्ड से प्रभाग स्तर पर नियुक्त करना; (2) उन्नत तथा रोग रहित बीजों एवं उर्वरकों की सप्लाई करना और वनस्पति रक्षा उपाय करना; (3) बड़े आकार के कुएं आदि बनाकर लघु सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था को बढ़ाना; (4) शुष्क क्षेत्रों में, विशेषतया उन क्षेत्रों में जो जिला पलामोऊ में स्थित शुष्क फार्मिंग परियोजना के अन्तर्गत आते हैं, किसानों के लाभ के लिए पैकेज पद्धतियों को विकसित करने हेतु रांची में एक शुष्क भूमि फार्मिंग अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करना; (5) इस क्षेत्र में मूंगफली के उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने और लाख को विकसित करने के लिये केन्द्र द्वारा आयोजित योजनाओं की क्रियान्विति करना।

उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप इन जिलों में धान, आलू तथा गेहूं की उन्नत किस्मों को अपनाने में काफी प्रगति की गई है। सभी स्थानों पर परम्परागत 'गोरा धान' के स्थान पर धान की उन्नत किस्मों का प्रयोग किया गया है। लगभग समस्त सिंचित क्षेत्र में गेहूं की नई किस्म बोई गई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जन जातियों के उत्थान के लिए बिहार सरकार को आबंटित राशि

1763. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए बिहार राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या सारा धन खर्च नहीं किया गया और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जिलेवार कुल कितना रुपया खर्च किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री० के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) : गत दो वर्षों में (1969-70 तथा 1970-71) में किया गया व्यय और आबंटित धन राशि के सम्बन्ध में सूचना, जैसे कि बिहार सरकार ने इन दो वर्षों के लिये अपनी प्रगति रिपोर्टों में बताई है, सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी जाती है।

व्यय में कमियाँ हैं। इन कमियों के कारण राज्य सरकार ने अब तक नहीं बताये हैं।

(ग) जिलेवार सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के उत्थान के लिए बिहार सरकार को आबंटित राशि

(रुपये लाखों में)

	पिछड़े वर्गों का कल्याण—राज्य क्षेत्र					
	1969-70			1970-71		
श्रेणी	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कुल परिव्यय	किया गया आबटन	किया गया व्यय	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय	किया गया आबंटन	किया गया व्यय
1. अनुसूचित आदिम-जातियां		36.95	35.47		41.00	35.13
2. अनुसूचित जातियां		26.75	25.12		29.00	26.92
3. अन्य पिछड़े वर्ग		6.30	6.30		8.00	8.00
योग:	70.00	70.00	66.89	78.00	78 00	70.05

पिछड़े वर्गों का-कल्याण केन्द्रीय क्षेत्र				
1. अनुसूचित आदिम जातियां	107.75	110.24	87.99	88 26
2. अनुसूचित जातियां	9.50	17.74	10.49	9 04
3. विमुक्त जातियां	1.50	0.23	2 15	1·79
कुल योग :	11.75	128.21	100.54	99 07

बिहार राज्य को शिक्षा अनुदान

1764. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बिहार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा कार्य के लिये कितना धन अनुदान के रूप में दिया गया,

(ख) उसी अवधि में पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को कितने कितने रुपये का अनुदान दिया गया, और

(ग) गत तीन वर्षों में स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं को विशेषकर बिहार की संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1623/72]**

Excavation Work in Ghosi Tehsil, Uttar Pradesh

1765. **Shri Jharkhande Rai** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to undertake excavation work of the famous mythological "Raja Nahush Kot" and ancient "Meera Kot" located in Ghosi Tehsil of zamgarh Janpad, Uttar Pradesh for archaeological rare objects; and

(b) if so, the time by which it is likely to be taken up ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b) : The University of Allahabad had propo ed to undertake the excavation of the site known as "Raja Nahush Kot" 19 8 69, but as the University had already undertaken a heavy programme of field work, it was advised not to take up this excavation.

If any proposal is received from a State Government or a University for the excavation of the above—mentioned site or "Bhee-a Kot", it will be considered in the normal manner.

Mismanagement of Archaeological Department of Bihar Government

1766. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item entitled "Bihar deprived

of Central aid through mismanagement of Archaeology Department" appearing in the "Searchlight" dated the 7th March, 1972 published from Patna; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the details is attached. **[Placed in the Library. See No. L. T.—1624/72]**

बहराइच जिले में खाद्यान्न रखने के लिये गोदाम

1767. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) में तराई क्षेत्र के परगना मिंग, चर्दा और धर्मनुर में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन खाद्यान्न रखने के लिये गोदाम नहीं बनाये गये हैं; और

(ख) इस बात को देखते हुए कि इन क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन बहुत होता है क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों को रखने के लिये गोदाम बनाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बहराइच जिले में निम्नलिखित भण्डारण क्षमता के गोदाम हैं :—

राज्य सरकार	1937 मी० टन
राज्य भाण्डागार निगम	6972 ,, ,,

(ख) राज्य सरकार ने बहराइच जिले में विभिन्न सहकारी समितियों को 5 मण्डी स्तर और 19 गांव स्तर के गोदाम बनवाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, राज्य सहकारी संघ लिमिटेड की जिले में 12000 मी० टन क्षमता के गोदाम बनवाने की योजना है। केन्द्रीय भाण्डागार निगम जिले की व्यापार विषयक सम्भाव्यता की जांच करने का विचार कर रही है और उस जांच के निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त एजेंसियों द्वारा भाण्डागार बनवाये जाएंगे।

Cases of Conceptions after Operations

1768. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether cases have come to notice where conceptions have taken place even after operations;

(b) if so, whether any figures have been collected in this regard and the reasons for failure of operations; and

(c) the improvements effected in the procedure to avoid recurrence of such cases ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : **(a) and (b)** : No such statistics are collected on a regular basis but certain ad-hoc studies conducted in India show that the rate of failure following sterilisation operations varies between 0.5 to 0.83 per cent in the case of vasectomy and 0.1 to 0.4 per cent in case of tubectomy. These figures compare favourably with those of certain studies in other

countries of the world where the failure rate is between 0.3 to 4.1 per cent in the case of vasectomy operations and between zero to 2.0 per cent in the case of tubectomy operations.

·The reasons for failure of operations are :—

A—In the case of Vasectomy operations

(1) Failure to use Nirodh immediately after the operation.

(2) Inadequate surgery.

(3) Rare anatomical aberrations.

(4) Natural re-canalisation of the vas.

B—In the case of Tubectomy operations

(1) Natural recanalisation of the fallopian tube.

(2) Inadequate surgery.

(c) Detailed instructions have been sent to the States for :—

(1) Use of Nirodh by the persons undergoing vasectomy for some time after the operation. For this purpose tweleve pieces of Nirodh are to be issued; and

(2) Paper techniques to be followed in conducting the operations.

Permanency to Family Planning Department

1769. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Family Planning Department is temporary and the employees working therein for the last 8 to 10 years are also temporary; and

(b) if so, the steps being taken to make this Department a permanent one ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) : The Central Department of Family Planning came into existence in April, 1966. A decision has already been taken to treat this Department as permanent. In pursuance of this decision, 220 temporary posts in the Department have been made permanent with effect from 1st May, 1971. The question of conversion of temporary posts in the Subordinate offices under this Department into permanent ones is under consideration.

In so far as persons working under the Family Planning Programme in the States are concerned, all the State Governments/Union Territories were advised in April, 1971 to convert such of the temporary posts into permanent ones as they consider necessary according to their own standards and requirements.

Legislation to Ban Cew Slaughter

1770. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a legislation regarding ban on cow slaughter is proposed to be enacted soon; and

(b) if so, main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) and (b) : A large majority of the States, which alone are competent to enact necessary legislation on the subject, have enacted laws imposing complete or partial ban on cow slaughter. A few of the States have not enacted any legislation in the matter. However, for a comprehensive study of the question and in view of the popular sentiments the Government of India appoin-

ted on 29th June, 1967, a Committee on Cow Protection under the chairmanship of a retired Chief Justice of India. The Committee will go into the question of cow protection including the question of total ban on the slaughter of cow and its progeny and recommend to Government appropriate practical steps for the protection of cows, calves, bulls and bullocks, after having considered the matter in all its aspects, namely, Constitutional, legal, economic and other relevant aspects. The Committee will also suggest ways and means for the effective implementation of the provisions of Article 48 of the Constitution and give full consideration to any suggestion that the Constitution be amended to bring about a total ban on the slaughter of cow and its progeny. The Committee has not yet submitted its report to the Government.

खेलों के स्तर में गिरावट

1771. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में क्रिकेट के सिवाय अन्य सभी खेलों के स्तर में काफी गिरावट आई है, और

(ख) यदि हां, तो देश में और विशेषतया आसाम में खेलों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : यह सच है कि खेल-कूद के क्षेत्र में सामान्य तौर पर भारत का स्तर अपेक्षाकृत निम्न रहा है :–

भारत सरकार असम सहित देशभर में खेलकूद का स्तर सुधारने के लिये समय-समय पर अनेकों कदम उठाती रही है।

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय खेलकूद संगठनों के साथ आवधिक चर्चाएं की जाती हैं तथा प्रमुख राष्ट्रीय दलों को बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये सहायता दी जाती है।

राज्य खेलकूद परिचयों से प्रार्थनाएं प्राप्त होने पर स्टेडियमों के निर्माण, खेलकूद उपस्करों की खरीद तथा ग्रामीण खेलकूद केन्द्रों आदि की स्थापना के लिये निधियां उपलब्ध की जाती हैं। स्कूलों तथा कालेजों के छात्रों के लिए खेद-कूद प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्माण/शरीरिक सुविधाओं के सुधार तथा शिक्षकों की नियुक्ति के लिये निधियों की व्यवस्था कर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में खेल-कूदों को प्रोत्साहित करता है।

नारियल की कीमतों के लिये अध्ययन दल

1772. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल की कीमतों के प्रश्न की फिर से जांच करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन होंगे और निर्देश-पद क्या होंगे; और

(ग) वह अध्ययन दल कितने समय में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर देगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) . (क) जी हां।

(ख) दल में विपणन और निरीक्षण निदेशालय, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, नारियल विकास निदेशालय, उद्योग विकास मन्त्रालय (आंत्रिक व्यापार) और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के प्रतिनिधि हैं।

दल को सौंपे कार्यकलाप इस प्रकार हैं :—

(1) राज्य के महत्वपूर्ण नारियल उत्पादन क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों के दौरान उत्पादकों को मिले नारियल के मूल्यों (मौसमी उतार-चढ़ाव सहित) की प्रवृत्ति का अध्ययन।

(2) सप्लाई और मांग दोनों ओर के तथ्यों जिन्होंने मूल्य प्रवृत्ति पर प्रभाव डाला है, का अध्ययन।

(3) राज्य में उत्पादकों का नारियल की बिक्री की समस्याओं का अध्ययन। क्या उत्पादकों को बिक्री मूल्य का उचित हिस्सा मिलने में संगठित (नियमित) मंडियों और अन्य विपणन सुविधाओं का अभाव एक रुकावट है।

(4) नारियल के उत्पादन लागत पर उपलब्ध आंकड़ों (यदि कोई हों) का अध्ययन।

(5) क्षत्र में परिसंस्करण सुविधाओं की आवश्यकताओं और उनकी पर्याप्तताओं का अध्ययन।

(6) नारियल की विपणन, परिसंस्करण और मूल्य की समस्याओं से निपटने के लिये औपचारिक उपाय। लघु और दीर्घकालीन उपाय अलग-अलग दिये जायें।

(7) राज्य में नारियल की उत्पादकता में ह्रास (प्रति हैक्टार उपज) की समस्याओं का अध्ययन।

(ग) दल द्वारा अपनी रिपोर्ट एक महीने में प्रस्तुत करने की आशा है।

कोचीन शिपयार्ड परियोजना के लिए वित्तीय सहायता

1773. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य की कोचीन शिपयार्ड परियोजना के लिए अब तक कुल कितनी आर्थिक सहायता दी है, और सम्पूर्ण परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी,

(ख) परियोजना के निष्पादन में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा, और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा और कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) फरवरी 1972

के अन्त तक इस परियोजना पर लगभग 5.12 करोड़ रुपये का कुल खर्च हुआ था और समस्त परियोजना की अनुमानित लागत 45.42 करोड़ रुपये है।

(ख) जल टंकी का निर्माण, भूमि अर्जन, भूमि सुधार, प्रथम चरण में परियोजना सड़कों का निर्माण और अस्थायी विद्युत सप्लाई उप स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जल विकास प्रणाली, परियोजना सड़कों के दूसरे चरण, प्रशिक्षण स्कूल वर्कशाप ढाचा घर स्थापना सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। हल शाप (ऊपरी ढाचे) तेल भण्डार, प्रयोगशाला और मुख्य संग्राही केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में ठेके दिये जा चुके हैं। गोदी, मरम्मत गोदी, घाटों और विभिन्न अन्य कार्यों के निर्माण के सम्बन्ध में टेंडर आमन्त्रित किये गये हैं। क्रेनों, भारी प्रेसों और बड़े विद्युत उपस्करों सहित मशीन की विभिन्न मदद की प्राप्ति के लिये कार्यवाही की जा रही है। परियोजना का सितम्बर 1975 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

(ग) लगभग 40 करोड़ रुपये।

केरल में राष्ट्रीय राजपथों की हालत

1774. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय राजपथों की हालत बहुत खराब है,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राज्य में राजपथों की हालत में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है, और

(ग) उक्त राज्य में राष्ट्रीय राजपथों की हालत में सुधार करने के लिये वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। यह ठक नहीं है।

(ख) बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकता की पूर्ति के लिये वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये कदम उठाए जा रहे हैं और परियोजनाओं की मंजूरी दे दी गई। दी जा रही है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति की नवीन वृद्धि, जो हाल ही में की गई है, का भी ध्यान रखा जायेगा।

(ग) 1971-72 में लगभग 160 लाख रु० की बजट व्यवस्था की थी परन्तु राज्य सरकार के अनुरोध पर यह राशि लगभग 136 लाख रु० सीमित कर दी गई जिसकी 1971-72 में खर्च किये जाने की संभावना है।

जहाँ तक 1972-73 वर्ष का सम्बन्ध है, इस धन राशि का संसद द्वारा बजट पारित किये जाने के पश्चात ही पता चलेगा।

केरल राज्य के गांवों में हरिजनों के लिये पीने का पानी

1775. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में इस समय ऐसे गाँवों की संख्या कितनी है जहां कि हरिजनों के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है; और

(ख) ऐसे गांवों में हरिजनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इस पर लगभग कितना व्यय होने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) : यह जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Temporary Scheduled Tribes Teachers in Delhi Education Department

1776. **Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the teachers belonging to the Scheduled Tribes, who were appointed in the Education Department of Delhi Administration since 1960, are still temporary; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) : Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

"संघ लोक सेवा आयोग छूट अधिनियम" के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में वाइस प्रिंसिपलों के पद के लिए भर्ती

1777. **श्री अम्बेश : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या "संघ लोक सेवा आयोग छूट अधिनियम" के अन्तर्गत, दिल्ली प्रशासन के स्कूलों के वाइस प्रिन्सिपलों के पदों पर सीधी भर्ती करने की छूट है और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत पदों का आरक्षण करने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) उप-प्रधानाचार्य के पद केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और भरती नियमों में शत-प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था है। पात्र व्यक्तियों में से प्रवरण के समय पात्रता क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के प्रार्थियों को केवल एक श्रेणी करण का लाभ दिया जाता है।

Admission in Colleges in Delhi by Forged Scheduled Cases/Tribes Certificates

1778. **Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether some students of Delhi University and various Colleges affiliated to it had been found to have sought admission on production of forged Scheduled Tribes Certificates last year; and

(b) if so, the number of such students and the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) : The University of Delhi is not aware of any case of admission on the basis of fake Scheduled Caste/Tribe certificate. The Delhi Administration is, however, looking into complaints regarding the alleged use of fake certificates.

अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता सोसाइटी तथा डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली को दिये गये सहायता अनुदानों के दुरुपयोग की जाँच

1779. **श्री अम्बेश** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता सोसाइटी तथा डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, लाजपत नगर, नई दिल्ली को दिये गये सरकारी सहायता अनुदानों के दुर्विनियोजन तथा दुरुपयोग के बारे में कोई जांच कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) आल इण्डिया ब्लाइण्ड रिलीफ सोसाइटी तथा डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट, लाजपत नगर, नई दिल्ली द्वारा धन के गलत हिसाब किताब रखे जाने के बारे में शिकायतें मिलने के फल-स्वरूप भारत सरकार ने इन दो संस्थानों के हिसाब किताब की विशेष रूप से लेखा-परीक्षा कराने के लिये दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया था।

(ख) दिल्ली प्रशासन के स्थानीय निधि-लेखा परीक्षक ने इन संस्थानों के 1967-68 के वर्षों के हिसाब किताब की जांच की और इसमें कतिपय अनियमितताएं बतलाई। दिल्ली प्रशासन द्वारा इस विषय पर की गई कार्यवाही के बारे में उनसे पूछने पर उन्होंने बतलाया है कि जब तक हिसाब किताब में हुई अनियमितताएं दूर नहीं की जाती तब तक इन दो संस्थानों को आगे और कोई अनुदान नहीं दिये जायें।

(ग) परीक्षक, स्थानीय निधि-लेखा, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के प्रतिवेदन की एक प्रति-लिपि संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०-टी०-1625/72**]

Stenographers Working in C.P.W.D.

1780. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of stenographers working in Circle and Divisional Offices of C.P.W.D. separately, office-wise; and

(b) the number out of them belonging to scheduled castes, office-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) & (b) : The information is given in the attached statement. [**Placed in the Library. See No. L. T.-- 1626/72**]

वृद्धावस्था पेंशन

1781. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री 23 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5781 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन देने सम्बन्धी बनाए गए विधानों सम्बन्धी जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में गत एक वर्ष में इस योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या कितनी है; और

(ग) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को इस योजना के लिए केन्द्र द्वारा कितना अंशदान दिया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) विभिन्न राज्यों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना अपनाए जाने सम्बन्धी जानकारी एकत्र कर ली गई है पता चलता है कि वृद्धावस्था पेंशन के विषय पर किसी राज्य ने कोई विधेयक पास नहीं किया गया है ।

(ख) 1970-71 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के विषय में लाभ पाने वालों की संख्या क्रमश: 3399 और 295 थी । वर्ष 1971-72 के दौरान हरियाणा में इसके अन्तर्गत 4626 व्यक्ति लाभ प्राप्त करेंगे । मध्य प्रदेश में कोई वृद्धावस्था पेंशन योजना नहीं है । हिमाचल प्रदेश से इस वर्ष के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु राज्यों को भारत सरकार से कोई अंशदान नहीं मिलता है ।

उड़ीसा में सीमेंट फैक्टरी के निकट रहने वाले लोगों में बीमारियों का फैलना

1782. **श्री गजाधर माझी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि राजगंगपुर की उड़ीसा सीमेंट फैक्ट्री की चिमनियों में से लगातार सीमेन्ट की धूल निकलते रहने और फैलते रहने के कारण उसके निकट रहने वाले लोगों में तपेदिक और छाती के दर्द जैसी बीमारियां फैल रही हैं; और

(ख) यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) यद्यपि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथापि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के अधीन वायु दूषण के नियंत्रण के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाय ।

पालमाऊ (बिहार) के पिछड़े जिले का विकास

1783. **श्री वरके जार्ज :**

कुमारी कमला कुमारी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने अपने विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वी भारत में सबसे पिछड़े जिले के रूप में पालामऊ चुना है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बिहार राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में बहुमुखी कृषि विकास कार्यक्रम शुरू करने के प्रश्न पर पश्चिम जर्मन सरकार से विचार-विमर्श किया जा रहा है । पालामऊ को अभी तक नहीं चुना गया है । वास्तव में जर्मन सरकार के अन्तिम विचारों के विषय में पता नहीं चला है ।

(ख) इस स्थिति में प्रश्न ही नहीं होता ।

प्रत्येक राज्य में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना

1784. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 15 नवम्बर, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए इस बीच कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य की क्या प्रतिक्रिया रही और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं, इस मामले पर सरकार अभी विचार कर ही रही है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सिन्धु घाटी लिपि का पढ़ा जाना

1785. **श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तथाकथित सिन्धु घाटी (हड़प्पा) लिपि को पढ़े जाने के बारे में हाल ही में कोई उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और

(ख) लिपि-ज्ञान की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) : हाल के वर्षों में हड़प्पा लिपि के अर्थ निकालने के लिए अनुसन्धान कार्रवाई बड़ी तेजी से की गई है और इसके फलस्वरूप पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने कई

नए मत प्रतिपादित किये हैं। किन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक कोई भी मत सबों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि मत प्रायः व्यक्तिपरक होते हैं और किसी भी आधारभूत कारण पर उनका आधारित होना अनिवार्य नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला

17:6. **श्री वरके जार्ज** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में कितने देश भाग ले रहे हैं और

(ख) उक्त मेले में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : विभिन्न महाद्वीपों के देश अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन जिनसे पुस्तकें प्रदर्शनी के लिए प्राप्त हुई हैं, अथवा जिनके प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता या लेखक या अतिथि जो इस मेले में अथवा इससे सम्बन्धित किसी अन्य कार्यों में भाग ले रहे हैं उनके नाम ये हैं—

I. अफ्रीका

(1) केनिया

(2) मोरीशस

(3) तजानिया

(4) जम्बिया

II. उत्तर अमेरिका

(1) संयुक्त राज्य अमेरिका

III. एशिया

(1) अफगानिस्तान

(2) बंगला देश

(3) कम्बोडिया

(4) श्री लंका

(5) ईरान

(6) जापान

(7) मलेशिया

(8) नेपाल

(9) उत्तर कोरिया

(10) टर्की

IV. आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड

(1) न्यूजीलैंड

V. यूरोप

(1) चेकोस्लोवाकिया

(2) जर्मन संघीय गणतन्त्र

(3) फ्रांस

(4) जर्मन जनवादी गणतन्त्र

(5) यूनान

(6 हंगरी

(7) आयरलैण्ड

(8) इटली

(9) पोलेंड

(10) स्पेन

(11) स्विटजलैण्ड

(12) इंग्लेंड

(13) रूस

(14) यूगोस्लाविया

VI. अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन

(1) यूनेस्को (पेरिस) का प्रकाशन ब्यूरो

(2) विश्व स्वास्थ्य संगठन

(3) फ्रैंकफर्ट फेयर अर्थोराटी

(4) अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ

दिल्ली आर्ट कालेज के कार्यकरण की जांच

1787. **श्री नागेश्वर राव मेदुरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली आर्ट कालेज के कार्यकरण की जांच करने का है और

(ख) यदि हां, तो इस कालेज के विरुद्ध क्या विशेष आरोप हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) कालेज आफ आर्ट के पुनर्गठन तथा विकास की समस्याओं की जांच के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक तदर्थ समिति नियुक्त की है।

(ख) छात्र संघ ने कालेज के कार्य के प्रबन्ध के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं। दिल्ली प्रशासन इन आरोपों की जाँच कर रहा है।

गर्भपात सम्बन्धी कानून लागू करना

1788. **श्री नागेश्वर राव मेदुरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गर्भपात संबंधी अधिनियम, 1 अप्रैल, 1972 से लागू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन कौन से अस्पताल नियत किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ। गर्भ का चिकित्सी समापन अधिनियम, 1971, 1 अप्रैल, 1972 से लागू हो गया है।

(ख) इस नियम के अधीन, गर्भ का समापन सरकार द्वारा स्थापित अथवा प्रबन्धित किसी अस्पताल अथवा सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित किसी स्थान पर किया जा सकेगा। गर्भ का चिकित्सी समापन नियमावली, 1972 के अधीन स्थापित प्रमाणक बोर्ड की सिफारिश पर इस स्थान को अनुमोदित किया जायेगा। इस स्थान के मालिक को प्रमाणक – बोर्ड को आवेदन करना होता है जो निरीक्षण करने के बाद यह प्रमाणित करेगा कि वहां पर गर्भ की समाप्ति सुरक्षित और स्वास्थ्य कर हालत में की जा सकेगी और वहां पर निम्नलिखित सुविधाएं दी जायेंगी :

1. उदर अथवा योनि की शल्य चिकित्सा करने के लिये एक आपरेशन टेबल तथा औजार।

(2) औषधि और आन्त्रेतर तरल जिसमें आपात काल में उपयोग करने के लिये काफी मात्रा में प्लाज्मा वोल्यूम – एक्सपेंडर की व्यवस्था करना भी सम्मिलित है।

(3) संवेदनाहरण उपस्कर, जिनमें आक्सीजन सम्मिलित है तथा संवेदनाहारी गैसे देने के लिये उपस्कर और रुधिराधान सहित रेजस्सिटेशन उपस्कर भी सम्मिलित हैं; और

(4) आवश्यकता पड़ने पर एक ऐसे विसंज्ञाशास्त्री की सेवाएं सुलभ करना जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धार 2 के खण्ड (ज) में यथा विनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता धारी हो, जिसका नाम किसी राज्य के मेडिकल रजिस्टर में अंकित हो और जिसके पास

(क) विसंज्ञा विज्ञान में अधिस्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा हो, विसंज्ञित करने का कम से कम तीन मास का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा

(ख) विसंज्ञाशास्त्री के रूप में दो वर्ष का अनुभव, इन शर्तों के बारे में सन्तुष्ट हो

जाने पर यह बोर्ड स्थान की स्वीकृति के बारे में सरकार से आवश्यक सिफारिश करेगा ।

ऐसा प्राधिकृत स्थान तत्पश्चात प्रमाणक बोर्ड अथवा उसके किसी प्राधिकृत सदस्य के निरीक्षण के लिये खुला रहेगा और यदि किसी समय इस स्थान में कोई दोष अथवा कमियां पाई गई तो अनुमोदन प्रमाणपत्र रद्द अथवा निलम्बित किया जा सकेगा ।

हृदय पर आहार के प्रभावों के बारे में अनुसंधान

1789. **श्री नागेश्वर राव मेदुरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हृदय पर आहार के प्रभावों के बारे में अनुसंधान कराने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हृदय वाहिका रोगों के साथ-साथ पोषण के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्यों में सक्रिय योग दिया है । सीरम कोलेस्पेशल स्तरों पर आहार वसा तथा प्रोटीनों का प्रभाव; क्लिनिकी तथा प्रायोगिक प्रोटीन-कैलोरी-कुपोषण में हृदय-वाहिकीय परिवर्तन; ऐथिरा क्लेरोसिस आदि में कार्बोहाइड्रेट एवं सुक्ष्ममात्रिक तत्वों की भूमिका के बारे में काम इस परिषद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद में ही नहीं हो रहा है अपितु भारत के दूसरे चिकित्सा संस्थानों में भी यह कार्य किया जा रहा है ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई धनराशि नहीं रखी गई है किन्तु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 1966 से 72 के मध्य इन परियोजनाओं पर लगभग 3,00,575 रुपये खर्च किये हैं ।

उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में हरिजन कल्याण विभाग खोलना

1790. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में हरिजन कल्याण विभाग के कार्यालय नहीं हैं जबकि अन्य जिलों में इस विभाग के कार्यालय हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन जिलों में हरिजन कल्याण विभाग के कार्यालय खोलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) : उत्तर काशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में, हरिजनों सहित पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये योजनाएं जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं । वित्तीय वर्ष 1972-73 से प्रत्येक जिले में एक हरिजन कल्याण अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव है ।

संस्कृत भाषा का प्रसार

1791. **श्री बनमाली पटनायक : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्कृत के प्रचार तथा विकास के लिए शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदमों का नीचे उल्लेख दिया गया है :—

1 जनवरी, 1970 से भूतपूर्व केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड का स्थान व्यापक शक्तियों वाले केन्द्रीय संस्कृत परिषद ने ले लिया है । इस परिषद में सभी राज्य सरकारों, प्रमुख संस्कृत संगठनों तथा संस्कृत के विशिष्ट विद्वानों का प्रतिनिधित्व है । संस्कृत के प्रसार एवं विकास के सभी पहलुओं पर परिषद सरकार को सलाह देती है ।

परिषद की सिफारिशों के अनुसरण में, अक्तूबर, 1970 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नामक एक स्वायत्त संगठन स्थापित किया गया था । इस संस्थान ने तिरुपति तथा दिल्ली के दो केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है तथा जम्मू, इलाहाबाद और पुरी में तीन अन्य विद्यापीठें भी स्थापित की हैं । ये विद्यापीठें शैक्षणिक संस्थायें हैं तथा इन्होंने ऐसे पाठ्य-विवरण तैयार किए हैं जिनसे विद्यापीठ में पढ़ने वाले छात्र पारम्परिक तरीके से संस्कृत सीख सकें तथा आधुनिक विषयों से भी जानकारी प्राप्त कर सकें । इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न विषयों में अनुसंधान शिक्षावृत्तियां भी दी जाती हैं ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों को अनुसंधान छात्र-वृत्तियां, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा सभी स्तरों पर कालेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उत्तर-मेट्रिक छात्रवृत्तियाँ भी देता है ।

वैदिक पाठ की परम्परा के संरक्षण तथा वैदिक विद्वानों को प्रोत्साहन देने हेतु संस्थाओं को अनुदान भी उपलब्ध कराए गए हैं ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय और यूनेस्को के सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के संयुक्त तत्वावधान में हाल ही में 26 मार्च से 31 मार्च, 1972 तक एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन हुआ, जिसमें संसार भर के विद्वानों ने भाग लिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेल मिलाप एवं सद्भावना में साधन के रूप में संस्कृत की भूमिका पर चर्चा की गई ।

नई भाषा तकनीक द्वारा संस्कृत के अध्ययन पर रिपोर्ट करने तथा इस उद्देश्य के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए एक समिति की भी हाल ही में स्थापना की गई है ।

अब तक अपनाए गए साधनों के परिणामस्वरूप संस्कृत के शिक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया गया है तथा आशा है कि उपरोल्लिखित समिति की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर, संस्कृत शिक्षण की नई पद्धतियों के कुछ विकासशील कार्यक्रम शुरू किये जा सकेंगे ।

उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम

1792. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता और निर्देशन के अन्तर्गत, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन विभाग द्वारा फरवरी, 1972 में एक द्रुत कार्यक्रम आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पुरुषों और स्त्रियों के आपरेशनों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को गोरखपुर में आपरेशन के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कितने पुरुषों और कितनी स्त्रियों के आपरेशन किये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं । परन्तु केन्द्र सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर प्रभाग में जनवरी-फरवरी 1972 के दौरान एक वृहत् नसबन्दी अभियान का आयोजन किया था ।

(ख) यह सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई है तथा उपलब्ध होते ही भेज दी जाएगी ।

(ग) जी हां, राज्य सरकार इस बात की जांच कर रही है ।

(घ) गोरखपुर प्रभाग में चलाए गए अभियान के दौरान 60,785 नसबन्दी आपरेशन (पुरुष) किये गये थे । यह अभियान केवल पुरुष नसबन्दी आपरेशनों के लिये ही आयोजित किया गया था ।

दिल्ली गुड़गांव सड़क पर दिल्ली परिवहन निगम की बस से भारतीय वायु सेना के ट्रक की टक्कर

1793. **श्री अमरनाथ चावला** :
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली गुड़गांव सड़क पर 6 मार्च, 1972 को प्रातः भारतीय वायु सेना का एक ट्रक दिल्ली परिवहन निगम की एक बस से जा टकराया था, जिस के फलस्वरूप 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और 20 से अधिक व्यक्ति घायल हो गये थे,

(ख) क्या मृतकों तथा घायलों में भारतीय वायु सेना कर्मचारियों के अतिरिक्त असैनिक

व्यक्ति थे, यदि हां तो उनके नाम और पते आदि क्या हैं और क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा चुका है, और

(ग) क्या मृतकों के परिवारों और घायलों को कोई मुआवजा दिया गया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां। मृत तथा घायल व्यक्तियों का ब्यौरा दिखाने वाली एक सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1627/72**] वायु सेना द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए अदालती जांच का आदेश दे दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी मामले की जाँच कर रही है। जांच के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को मुअत्तल करना

1794. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** :
श्री था किरुतिनन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्जन रोड होस्टल, नई दिल्ली की खराब लिफ्टों के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रभारी इंजीनियरों को, उनके विरुद्ध बिना किसी आरम्भिक जांच किये, और वहां हुई दुर्घटना में जिसमें कि एक स्त्री की मृत्यु हो गई थी, के बारे में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने का अवसर उन्हें प्रदान किये बिना ही मुअत्तल कर दिया है; और

(ख) इस प्रकार के मामलों में जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और इंजीनियर-इन चीफ का पृथक-पृथक उत्तरदायित्व क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सम्बन्धित अधीक्षक इंजीनियर (बिजली) तथा कार्यपालक इंजीनियर (बिजली) को प्रारम्भिक जांच तथा उन्हें अपने मामले में स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद मुअत्तल कर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी तथा उत्तरदायित्व का एक मोटे तौर पर विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रमुख इंजीनियर : वह अपने क्षेत्राधिकार में सभी लोक निर्माणों के कुशल प्रशासन तथा सामान्य व्यवसायिक नियन्त्रण के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय को उत्तरदायी है।

मुख्य इंजीनियर : वह अपने क्षेत्राधिकार में सभी निर्माण कार्यों को करवाने के लिये सरकार के प्रति उत्तरदायी है।

अधीक्षक इंजीनियर : परिमण्डल का प्रभारी अधिकारी होने के नाते, वह स्वयं संतुष्ट होने की दृष्टि से कि वर्तमान पद्धति तथा प्रबन्ध कुशल और मितव्ययी है, अपने नियन्त्रण में सभी निर्माण कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी है।

कार्यपालक इंजीनियर : वह विभाग के निष्पादन एकक जो कि एक मण्डल होता है का इंचार्ज है वह अपने मण्डल के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों के कुशल निष्पादन तथा प्रबन्ध के लिये अधीक्षक इंजीनियर के प्रति उत्तरदायी है। निर्माण कार्यों के निष्पादन को सुव्यवस्थित करना तथा सर्वेक्षण करना उसका कर्त्तव्य है तथा यह देखना कि वे बढ़िया किस्म की निर्माण सामग्री से उचित तथा किफायती ढंग से निष्पादित किये गये हैं।

सहायक इंजीनियर : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उप-मण्डल का प्रभारी अधिकारी होने के नाते वह उप-मण्डल में कार्य के प्रबन्ध तथा कुशल निष्पादन के लिये कार्यपालक इंजीनियर के प्रति उत्तरदायी है।

कनिष्ठ इंजीनियर : इसकी ड्यूटी में अन्य बातों के साथ-साथ अपने अधीन भवनों का निरीक्षण करना, निर्माण में किसी दोष को वरिष्ठ अधिकारी के नोटिस में लाना तथा जब आवश्यक हो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग दर्शन से संतोषजनक मरम्मत हेतु आवश्यक कदम उठाना सम्मिलित हैं।

Changes in set up of Delhi University

1795. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating to bring forward a Bill for effecting changes in the present set up of Delhi University;

(b) if so, whether Government propose to keep the existing colleges of Delhi University separate from the proposed University and whether the teaching staff of the University are strongly opposed to the proposed changes;

(c) if so, whether Government propose to give up the proposal for effecting these changes in view of the protest from teaching staff of Delhi university; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) The Ministry of Education and Social Welfare is proposing to amend the Delhi University Act in the light of the recommendations of the Gajendragadkar Committee, which have been accepted by Government in principle, and of a Committee appointed by the University Grants Commission under the Chairmanship of the Vice-Chancellor, Delhi University, to examine the administrative and organisational difficulties of the University.

(b) Government have no proposal under consideration to separate the existing colleges of Delhi University from the University.

(c) and (d) : Do not arise.

Increase in Rates by Launderers

1796. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether launderers in North Avenue and South Avenue, New Delhi have increased their rates manifold;

(b) whether Government have not increased the rent of their shops; and

(c) if so, whether Government would frame regulations under which their rates would be fixed with Government's approval ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Government have no information.

(b) Rent of the shops has not been increased after May, 1967.

(c) there is no such proposal under consideration.

कुपोषण और खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण के कारण बच्चों का अंधा होना

1797. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 फरवरी, 1972 को कलकत्ता में अन्धता की रोकथाम के लिये संस्था (बंगाल) की वार्षिक बैठक में यह कहा गया था कि 17 अगस्त, 1971 से 6 जनवरी, 1972 तक साल्ट लेक में शरणार्थी शिविरों में जांच और कार्य करने के पश्चात लेक्चर-यूनिट का यह निष्कर्ष था कि कुपोषण तथा अपमिश्रण आहार के कारण बच्चे अन्धे होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अनुभव करती है कि अन्धापन केवल स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से अपितु, सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से भी हो जाता है; और

(ग) क्या सरकार अपमिश्रित खाद्य और नकली औषधि विक्रेताओं को दण्ड देने की कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : **(क) और (ख)** : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

(ग) इस बारे में जो कदम उठाये गये हैं उसका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

खाद्यान्नों में मिलावट की रोकथाम

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को पहले ही अधिक कड़ा कर दिया गया है और राज्यों से कह दिया गया है कि वे इस अधिनियम को ठीक से लागू करें ।

सम्बन्धित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से मिलावट को रोकने के लिये एक केन्द्रीय यूनिट की स्थापना की गई है । इस यूनिट का सम्बन्ध मुख्यतः अन्तर्राज्य अपराधों के बारे में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के नियम 9 में विहित कार्यों के करने से है तथा यह यूनिट राज्य सरकारों को तकनीकी मार्गदर्शन देने में सहायता करता है ।

एक नई खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में खोली जा रही है ।

कलकत्ता स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषकों का प्रशिक्षरण आरम्भ किया गया है। खाद्य निरीक्षकों को उनके अपने अपने राज्यों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों में प्रशिक्षरण दिया जा रहा है।

औषधों में मिलावट की रोकथाम

औषधों एवं अंगराग अधिनियम में 1964 में संशोधन कर दिया गया था जिसके अनुसार नकली दवा बनाने और बेचने वालों की दी जाने वाली सजा की अवधि जुर्माने सहित 3 वर्ष से 10 वर्ष कर दी गई। यदि अदालत एक वर्ष से कम की सजा देना चाहें तो उन्हें इसके लिये विशेष कारण लिखित रूप में बतलाने होंगे। प्रत्येक व्यापारी अथवा निर्माता के एजेन्ट को उस व्यक्ति का नाम, पता तथा अन्य विवरण औषध निरीक्षक को बतलाने होंगे, जिसके पास से उसने औषध अथवा प्रसाधन सामग्री प्राप्त की हो।

नकली औषधि के स्टाकों को जब्त किया जा सकता है यदि उसके बनाने तथा वितरण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाये तो इस प्रकार की दवाइयां बनाने, बेचने और बांटने में इस्तेमाल की गई मशीन औजार तथा ऐसे बर्तन, पैकेज अथवा कवर जिसमें ऐसी नकली औषधियां रखी गई हों और ऐसी औषधियों को लाने ले जाने के लिये इस्तेमाल किये गये पशुओं, वाहनों या अन्य साधनों को भी छीने जा सकने का उपबन्ध कर दिया गया है। राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे नकली औषधियों के कार्य व्यापार में पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखें।

नकली औषधियों के कार्य व्यापार की जानकारी अन्य राज्यों को देने के लिये केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन को भेजी जानी होती है।

केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन प्राधिकृत औषध निर्माताओं की सूची औषध व्यापार, औषध उद्योग तथा औषध नियंत्रण संगठन को सूचनार्थ प्रकाशित करता है।

नकली औषध के मामलों को जाँच हेतु केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाएं राज्यों को उपलब्ध हैं।

राज्य सरकारों को सलाह दे दी गई है कि वे नकली औषधि निरोधी समितियां बनाए और नकली औषधियों के विरुद्ध अभियान चलाने में जनता, चिकित्सा, व्यावसायियों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त कर लें।

राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे उपाय निकालें जिनके अन्तर्गत जनता को इस प्रकार से शिक्षित किया जा सके कि वे सामाजिक तत्वों के दमन करने में सरकार को सहयोग दे सकें। लाइसेंसधारी व्यापारियों से नियन्त्रित मूल्य पर औषधि खरीदने उनका केश मेमों लेने, औषधियों के पुराने और इस्तेमाल किये गये डिब्बों इत्यादि को नष्ट करने आदि जैसे साधारण तथा कारगर उपायों को लोगों में लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है।

दिल्ली के उतरी क्षेत्र में जोन–एच०-3 में गृह-निर्माण सहकारी समितियों को भूमि देना

1798. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र में जोन एच-3 में कितनी गृह-निर्माण सहकारी समितियों को भूमि दी गई है और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक समिति से सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग गज भूमि का कितना मूल्य वसूल किया गया और इनमें से प्रत्येक समिति से प्रत्येक वर्ग गज भूमि के विकास के लिए सरकार ने कितना मूल्य वसूल किया और

(ग) इन समितियों द्वारा अपने अपने सदस्यों से प्रतिवर्ग गज भूमि के विकास के लिए कितना मूल्य लिया गया और इसमें यदि कोई अन्तर हो तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 6 समितियां।

(1) नवीन भारत सहकारी आवास निर्माण समिति।

(2) ढाका सहकारी आवास निर्माण समिति।

(3) पीपल सहकारी आवास निर्माण समिति।

(4) रेडियो कालोनी एक्सटेंशन सहकारी आवास निर्माण समिति।

(5) इण्डियन सहकारी आवास निर्माण समिति।

(ख) वजीरपुर रिहायशी योजना में विभिन्न आकार के प्लाटों के लिये उन सदस्यों से जिनकी भूमि अर्जित की गई है वैकल्पिक प्लाट आवंटन करने हेतु मूल्य वसूल किया जाता है। 11-7-69 को तथा उससे पूर्व जो दर लागू थी नीचे दी गई है :—

(1) 125 वर्ग गज तक के प्लाट। 24/- रुपये प्रति वर्ग गज।

(2) 200 वर्ग गज तक के प्लाट। 38/- रुपये प्रति वर्ग गज।

(3) 201 से 400 वर्ग गज तक के प्लाट। 38.50 रुपये प्रति वर्ग गज।

(4) 401 से 600 वर्ग गज तक के प्लाट। 39/- रुपये प्रति वर्ग गज।

(5) 601 से 800 वर्ग गज तक के प्लाट। 39.50 रुपये प्रति वर्ग गज।

ये दरें 11-7-69 के पश्चात निम्न प्रकार से पुनरीक्षित की गई :—

(1) 200 वर्ग गज तक के प्लाट। 48/- रुपये प्रति वर्ग गज।

(2) 201 से 400 वर्ग गज तक के प्लाट। 48.50 रुपये प्रति वर्ग गज।

(3) 401 से 600 वर्ग गज तक के प्लाट। 49/- रुपये प्रति वर्ग गज।

(4) 601 से 800 वर्ग गज तक के प्लाट। 49.50 रुपये प्रति वर्ग गज।

(इन दरों में विकास की लागत भी शामिल है)

(ग) क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन समितियों के प्रत्येक सदस्य को विकासत प्लाटों का आवंटन किया गया था अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि खरीदने के लिए गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा दी गई राशि

1799. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलाबी बाग, दिल्ली में भूमि खरीदने के लिए गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है;

(ख) यह भूमि समिति से अर्जित करने पर सरकार ने उसे कितना मुआवजा दिया और यह भूमि अर्जित कर लेने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सौदे में समिति को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सोसाइटी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भूमि मालिकों को सोसाइटी द्वारा एक लाख रुपये अग्रिम रूप में दिए गये थे।

(ख) सोसाइटी को क्षतिपूर्ति की देय राशि न्यायाधीन है। भूमि का अर्जन "दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन विकास तथा निपटान" के अधीन किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिग्रेट निर्माताओं द्वारा खरीदे गये तम्बाकू की मात्रा और मूल्य

1800. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत की सभी सिग्रेट निर्माता कम्पनियों ने कुल कितना तम्बाकू खरीदा और उसका कुल मूल्य कितना था ;

(ख) इस अवधि में इण्डियन लीफ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा भारत के सिग्रेट निर्माताओं को कितना तम्बाकू दिया गया और उसका मूल्य कितना था ; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) ; जानकारी उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है।

न्यू मोती नगर, दिल्ली में अस्वस्थता के आधार पर क्वार्टरों का अलाट किया जाना

1801. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मोती नगर, नई दिल्ली में ग्राउण्ड फ्लोर के कुछ क्वार्टर लोगों को अस्वस्थता के आधार पर अलाट किए गए हैं;

(ख) क्या इन क्वार्टरों में पानी और बिजली जैसी सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अलाटियों को ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कर दी जाएंगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : इस कालोनी में सभी मूल सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं । क्वार्टरों में अलग अलग पानी तथा घरेलू-बिजली की व्यवस्था करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा इन कार्यों के क्रमशः एक मास तथा छः मास में पूर्ण होने की आशा है ।

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा के लिए नियत राशि और इसका उपयोग

1802. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्रुत कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा को जिलेवार कितनी राशि मंजूर की गई हैं;

(ख) क्या यह राशि केन्द्रीय सरकार के अनुदेशानुसार उचित रूप से खर्च की जाती है; और

(ग) द्रुत कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों को क्या हिदायतें दी गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) एक विवरण (विवरण 1), जिसमें उड़ीसा के प्रत्येक जिले में निर्माण कार्य के लिए 1971–72 में दी गई , प्रशासनिक मजूरी की राशि तथा वास्तव में दी जा चुकी राशि दी गई है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1628/72]**

(ख) व (ग) एक विवरण (विवरण 2), जिसमें 1971–72 में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वियन के लिए निर्धारित किए गये कुछ महत्वपूर्ण मार्ग दर्शक सिद्धांत दिए गए हैं, सभा पटल पर रखा जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०-टी०-1628/72]** मंजूर की गई धनराशि किस प्रकार व्यय की गई है, उसके बारे में वर्ष 1971–72 की एक विस्तृत रिपोर्ट के दो महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हैं । अब तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का आमतौर पर पालन किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश में प्राचीन स्मारकों का नष्ट होने से बचाव

1803. **श्री गंगा चरन दीक्षित** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व निमाड़, पश्चिमी निवाड और होशगांबाद (मध्य प्रदेश) जिलों में ऐतिहासिक और वास्तुकला सम्बन्धी प्राचीन स्मारक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें नष्ट होने से बचाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां । केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी निमार पश्चिमी निमार तथा होशंगाबाद के जिलोंमें क्रमशः उन्नीस, आठ और छः स्मारकों को सुरक्षित रखा है । इन स्मारकों की सूची विवरण में दी गई है।

(ख) इन स्मारकों को केन्द्र अन्य स्मारकों की भाँति द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और स्मारक परिचरों द्वारा इनकी निगरानी की जाती है ।

विवरण

पूर्वी निमार

स्थान	स्मारक का नाम
1. बुरहनपुर	किले के भीतर का महल
2. ,,	बोरधा घाट के निकट राजा की छतरी
3. ,,	नादिरशाह का मकबरा तथा अहाता
4. ,,	शाह सुजा का मकबरा तथा अहाता
5. ,,	बीबी साहिब की मस्जिद तथा अहाता
6. ,,	इतवास दरवाजे के बाहर चूड़ी वालों की मस्जिद
7. ,,	आदिल शाह फरुकी का मकबरा
8. ,,	शाहनवाज खां का मकबरा
9. ,,	चौक मोहल्ला में हयाम खाना
10. अहुखाना	अहुखाना स्थल अहाते की दीवार मंडप और ताल सहित
11. असीरगढ़	ईदगाह
12. ,,	महादेव मन्दिर
13. ,,	शाहनुमा का मकबरा
14. ,,	सभी दीवारों सत दरवाजा भीतरी भाग में मस्जिद तथा मन्दिर सहित सम्पूर्ण किला
15. ,,	महल गुरारा के महल अथवा गुरारा (उतावली) नदी के दोनों ओर की इमारतें और नदी में चिनाई से बने दो बांध
16. मंधाता	चाँव सूरज प्रवेश द्वार
17. ,,	अन्तर्वस्तु सहित चौबीस अवतार मन्दिर
18. ,,	सिद्धेश्वर अथवा सिद्ध नाथ मन्दिर
19. गोडापुरा (ओंकार मंधाता)	अमलेश्वर उर्फ अमलेश्वर वर्ग के मन्दिर, अमलेश्वर मन्दिर सहित

पश्चिमी निमार

1. रावेर	पुरानी सराय

2. रावेरखेडी	श्रीमती बाजीराव पेशवा की स्मृति में समर्पित वृन्दावन
3. ,,	सराय के भीतरी भाग की छत्री
4. ,,	मुख्य द्वार और पेशवा के निवास अथवा दुर्ग का शेष भाग
5. उन	चौबारा डेरा
6. ,,	एक से तीन तक जैन मन्दिर
7. ,,	महाकलेश्वर के 1 और 2 मन्दिर
8. ,,	नीलकान्शेश्वर का मन्दिर

होशंगाबाद जिला

1. बरिग्रम	सेमवोर्न गुफा के निकट पुतली लेन के नाम से प्रसिद्ध शैलाश्रम
2. जोगा	पुराना मुगल किला
3. कालामारी	चित्रकारी सहित अदमगढ़ चट्टान
4. पंचमढ़ी	गुफा
5. ,,	डोरोथी डीप शल आश्रय
6. कालाम्डी रसुलिया तथा किशनपुर के गांव	प्राचीन स्थल तथा अदमगढ़ के शैल आश्रय

Dilapidated Condition of G. T. Road in Madhya Pradesh

1804. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether G. T. Road passing through Madhya Pradesh is in a dilapidated condition;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the amount allocated to Madhya Pradesh in the Fourth and Fifth Five Year Plans for repairing the said road ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : G. T. road which connects Calcutta and Delhi does not pass through Madhya Pradesh. If the Member is referring to N. H. No. 3, the answers are as under :—

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It is proposed to take up during Fourth Five-Year Plan works of development on National Highway No. 3 in Madhya Pradesh at a cost of about Rs. 121 lakhs. As regards the Fifth Five-Year Plan, schemes have yet to be finally formulated.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
Calling Attention to Matter of urgent Public Importance

आन्ध्र प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाने के समाचार

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, I call the attention of the Minister of Finance to the following matter of urgent public importance and I request that he may take a statement thereon :

"reported disruption of the banking system in Andhra Pradesh since the 3rd March, 1972, following the agitation in Andhra Bank Ltd., State Bank of India and the Reserve Bank of India."

आन्ध्र बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक आफ इण्डिया और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में आन्दोलन होने के कारण आन्ध्र प्रदेश में 3 मार्च, 1972 से बैंक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाने के विषय में ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में 3 अप्रैल, 1972 को लोक सभा में वित्त मन्त्री द्वारा दिया जाने वाला व्यक्तव्य

वित्त मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में बैंककारी उद्योग आन्ध्र बैंक लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं में तथा भारतीय रिजर्व बैंक के हैदराबाद कार्यालय में हड़तालें हो जाने के कारण दुष्प्रभावित हुआ है।

2. आन्ध्र बैंक लिमिटेड में कामगार कर्मचारी संघ के इस दावे के कारण विवाद उठ खड़ा हुआ कि यह संघ अधिकारियों के सम्बन्ध में भी सौदेबाजी करने के लिए एकमात्र एजेन्ट है। कुल 219 शाखाओं में से 77 शाखायें पूर्ण रूप से दुष्प्रभावित हुई हैं, जबकि अन्य शाखाओं में जो कर्मचारी उपलब्ध होते हैं उन्हीं से काम चलाया जा रहा है। सूचना मिली है कि विवाद निपटाने के लिये पार्टियां प्रयत्न कर रही हैं।

3. भारतीय स्टेट बैंक में आन्दोलन, कर्मचारी संघ में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण पैदा हुआ है। जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है, हैदराबाद में परिमण्डल स्तर पर पंचाट कर्मचारी संघ (ए वार्ड स्टाफ यूनियन) टूटकर कुछ महीने पहले दो समूहों में विभक्त हो गया। एक समूह अखिल भारतीय भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (आल इन्डिया स्टेट बैंक आफ इण्डिया स्टाफ फेडरेशन) में निष्ठा रखता है जो कि अखिल भारतीय स्तर पर बैंक का एक मान्यता प्राप्त संघ है; दूसरा समूह अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (आल इण्डिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन) में निष्ठा रखता है।

यह सूचना मिली है कि आन्दोलन के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक के बैंक आदि प्रलेख अन्य बैंकों द्वारा भी समाशोधन गृहों (क्लीयरिंग हाउस) पर स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं।

4. भारतीय रिजर्व बैंक के हैदराबाद कार्यालय में, स्टाफ आफीसर ग्रेड 11 की, मद्रास और त्रिवेंद्रम से हैदराबाद के कृषि ऋण विभाग में नियुक्ति के मामले को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। 12 मार्च को, संघ (एसोसिएशन) ने इस विषय पर हड़ताल का नोटिस दे दिया और इससे पहले कि सुलह की कार्यवाही शुरू हो, हैदराबाद कार्यालय के कर्मचारियों ने इस आधार पर अचानक हड़ताल कर दी कि एक पदोन्नत स्टाफ आफिसर ग्रेड 11 को हैदराबाद कार्यालय में कार्यभार संभालने की अनुमति दे दी गई है। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ने संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा की, तथापि निपटारा नहीं हो सका।

(5) हालांकि कार्य में वास्तविक व्यवधान आन्ध्र प्रदेश की कुछ ही शाखाओं तक सीमित है, फिर भी हैदराबाद, विजयवाडा. गुंतूर, काकीनाडा और विशाखापत्तनम के समाशोधन गृहों में भी काम रुक गया है। इससे अन्य बैंक भी दुष्प्रभावित हुए हैं क्यों कि उनको भी अपने वचन पूरे करने में और धन राशियाँ प्राप्त करने में कठिनाई महसूस हो रही है। किन्तु, जब समाशोधन गृह काम न करें तो बैंकों को, चुकाने वाले बैंकों के काउन्टरों पर चैक आदि प्रस्तुत करने की छूट है। सम्बंधित बैंक समझौता करने और सामान्य स्थिति कायम करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

Shri Ramavatar Shastri : The statement is very disappointing. It does not provide exact information and saves the bureaocrat.

This is not the first strike in Andhra Bank. The first strike was held in the year 1968 in this Bank. 18 employees were suspended and removed from since on that occassion by the management, The second strike was held in 1970 and this is the third strike. The Andhra Bank Ltd is a biggest private sector bank with a share Capital of 80 crores of rupees. The officers of this Bank have continuously been persuing policies which are detrimental to the interests of the employees. The workers are on peacefull strike. There has not been any irolence. About 44 officers and employees have been dismissed, 20 suspended and 14 arrested which includes 5 women employees. About 16 employees were penalised by way of transfer etc. It has been stated that there is infer-union Ifnalry in the Bank. The Andhra Pradesh Bank Employees Union is the only representative union and officers of the Bank are creating dissensions by helping in the creation of a stooge union.

The same reasons holds good for the Bank of India also. The officers in the Bank do not want the policy of nationalisation to succeed. They are trying to weaken the representative union by helping in the creation of a final union. Similarly final union is being helped in the State Bank.

Mr. Speaker : Please put Questions. Do not deliver Speech.

श्री एस०-एम० बनर्जी कानपुर : यदि आप इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दें, तो हम वह कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, न कि भाषण करने की।

Shri Ramavatar Shastri : The management of the Andhra Bank Ltd. has dismissed an employee on a very fraudulent excuse. If an employee takes part in a strike for few hours or a day, he is not paid for the whole month. This is injustice.

Is it a fact that before the Strike started the Andhra Bank Employees union had proposed to the Central Labour Minister in the presence of the Manager of the Bank that he himself should mediate in the dispute or appoint either Central Labour Commissioner or Regional Labour Commissioner for the purpose and this proposal was not accepted by the Management ?

क्या यह भी सच है कि आन्ध्र बैंक के अध्यक्ष, जनरल मैनेजर तथा सहायक जनरल मैनेजर ने कर्मचारियों के संगठन बनाने और इच्छानुसार यूनियन में दाखिल होने सम्बन्धी मौलिक अधिकारों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है तथा इन्होंने बैंक में आतंक और दमन फैला रखा है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा है ?

क्या यह सच नहीं है कि युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया और देना बैंक तथा निजी क्षेत्र के न्यू बैंक आफ इण्डिया में सभी वर्गों के कर्मचारियों के संयुक्त यूनियन है और इन बैंकों के प्रबन्धक इन्हीं यूनियनों के माध्यम से वहां की समस्याओं का निपटान करते हैं ?

क्या यह सच है कि स्टेट बैंक के प्रबन्धकों ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया कर्मचारी यूनियन, आन्ध्र प्रदेश के साथ इस विवाद के निपटान के लिए वार्ता से इन्कार करके अनुशासन संहिता का उल्घलंन किया है और वे एक प्रतिद्वन्द्वी यूनियन को आश्रय दे रहे हैं ?

क्या यह भी सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धकों के मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रति बर्ताव के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश में एक वर्ष से बैंक व्यवस्था में अवरोध हो रहा है ?

क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के प्रबन्धक एक वर्ष से अधिक समय से पदोन्नति नीति के बारे में कर्मचारी संगठन से बातचीत कर रहे थे और 17 मार्च, 1972 को समझौते पर हस्ताक्षर होने थे ? परन्तु प्रबन्धकों ने 15 मार्च, 1972 को एक व्यक्ति को त्रिवेन्द्रम से तथा 2 व्यक्तियों को मद्रास से पदोन्नत करके हैदराबाद नियुक्त कर दिया ? इससे हैदराबाद के कर्मचारियों में रोष फैल गया और यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह नियमों का उल्लंघन है और मैं इसे सहन नहीं कर सकता।

Shri Ramavtar Shastri : The Hon. Minister has given round about reply. Therefore, I have to indulge in all this.

श्री के० आर० गणेश : सरकार आन्ध्र प्रदेश के तीन बैंकों में विवाद के बारे में चिन्तित है। माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं वह तो यूनियनों का मत है। स्थिति यह है कि तीनों बैंकों में बातचीत प्रगति पर है। प्रत्येक विवाद के गुण दोष की विवेचना करना संगत नहीं होगा क्योंकि बातचीत अभी चल रही है। जहां तक मध्यस्थता की बात है, माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रकार का वातावरण बनाएं कि बातचीत सफल हो।

श्री० एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर श्रम मन्त्री को देना चाहिये था। वह इस समय यहां पर उपस्थित हैं। उन्हें इस बारे में कुछ कहने को कहा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वित्त मन्त्री के नाम था और वह उत्तर दे रहे हैं। अन्य मन्त्रियों को इस की सूचना नहीं दी गई। अतः उन्हें, केवल इतने मात्र से कि वे यहां पर उपस्थित हैं, विचार व्यक्त करने को नहीं कहा जा सकता।

श्री मालिकार्जुन (मेरठ) : हैदराबाद, विशाखापट्टनम काकीनाडा और गुन्टुर में बैंकिंग व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित हो गई है कि केन्द्रीय सरकार और विशेष रूप से वित्त तथा श्रम मन्त्रालयों के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिससे कि निजी क्षेत्र के इस बैंक के संचालक मण्डल और कर्मचारियों के बीच विवाद को सुलझाया जा सके। हैदराबाद स्थित रिजर्व बैंक में मद्रास तथा त्रिवेन्द्रम से कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी उचित नहीं है। महोदय को तत्काल हस्तक्षेप करके इस विवाद को निपटाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक अपील है, प्रश्न नहीं है ।

श्री के० आर० गणेश : जी, हां । समझौता वार्ता चल रही है ।

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूब नगर) : चाहे आन्ध्र बैंक हो अथवा स्टेट बैंक अथवा रिजर्व बैंक, एक बात स्पष्ट होती है कि इस प्रकार के संघर्षों के लिए आन्ध्र प्रदेश को विशेष रूप से चुना गया है । सारे विवाद की जड़ कुछ भी हो, इतना जरूर है कि एक महीने से उद्योग एवं व्यापार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मंत्री महोदय द्वारा इतना कहने मात्र पर कि विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं, समस्या हल नहीं होगी । सरकार को इसकी गंभीरता को समझना चाहिये । सरकार इस सारे विषय की जांच करे और सदन को यह बताये कि स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जायेगा, अथवा स्थिति को एक और महीने के लिए बिगड़ने दिया जायेगा ?

श्री के० आर० गणेश : अपने वक्तव्य में मैंने यह बात स्वीकार की है कि लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है परन्तु श्रम कानूनों के अन्तर्गत श्रम विवादों के निपटान के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है । सीधी बातचीत चल रही है । श्रम मंत्री भी इस विषय से अवगत हैं । केन्द्र सरकार द्वारा इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य एवं उनके द्वारा दिये गये उत्तरों से मैं इसलिए सहमत हूं कि विवाद को हल करने के लिए उचित वातावरण बनना चाहिये । आन्ध्र प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को बहुत अधिक हानि हो रही है । इस प्रकार की स्थिति को सुधारना चाहिये ।

क्या केन्द्र सरकार का इतना ही कर्त्तव्य है कि वार्त्ताओं के सन्तोषजनक अंत की आशा में बैठी रहे ? यह वार्ताएं बहुत लम्बी अवधि से चल रहीं हैं और अभी तक कोई परिणाम नहीं निकले हैं । स्थिति पहले से अधिक बिगड़ रही है । डराने-धमकाने एवं हिंसा की घटनाएं प्रारम्भ हो रही हैं। इसको ध्यान में रखकर क्या सरकार का स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि श्रम मंत्री उत्तर दें तो ठीक होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह श्रम विवाद है । वित्त मंत्री को ही उत्तर देने को कहना उचित नहीं ।

श्री के० आर० गणेश : श्रम मंत्री ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है और समस्या को शीघ्र सुलझाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री के० सूर्य नारायण (एलूरू) : गत 30 तारीख को श्रम मंत्री ने बताया था कि यह विषय विचाराधीन है और मुख्य श्रम आयुक्त श्रमिक संगठनों से सम्पर्क बनाए हुए हैं । यह बीमारी सारे देश में उन स्थानों पर फैल रही है, जहां पर आन्ध्र बैंक की शाखाएं हैं । यह बैंक आन्ध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बैंक है ।

बैंक के अध्यक्ष और कस्टोडियन को अभी तक बड़ा सक्षम समझा जाता था, परन्तु

श्रमिकों के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी योग्यता नहीं दिखाई। आंध्र बैंक के कर्मचारी संगठन का मत है कि अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वे कार्मिक संघों में शामिल हो सकें। श्रम मंत्रालय अथवा केन्द्र सरकार ने इस बात का ही निर्णय करना है।

आन्ध्र चैम्बर आफ कामर्स ने भी संकल्प पारित करके सरकार को हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध किया है। इस सब के कारण उद्योग की हानि हो रही है। इसका प्रभाव कृषि क्षेत्र पर भी पड़ने लगा है। रबी फसल बाजार में आ रही है। लोगों के पास उसे खरीदने के लिये पैसा नहीं है क्योंकि वह बैंकों में जमा है। अतः वित्त मंत्री को उद्योग एवं कृषि दोनों के हित को देखते हुए शीघ्र इस विवाद को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये।

आन्ध्र बैंक ही नहीं स्टेट बैंक के कर्मचारियों की भी शिकायतें हैं। 15 मार्च से रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन प्रारम्भ कर देने से स्थिति और भी बिगड़ गई है। यह केवल मात्र श्रमिक विवाद नहीं है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? इस विषय को केवल श्रम मंत्री पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य के विचारों से मैं सहमत हूं। हमारे कानूनों के अन्तर्गत श्रम संगठन है तथा वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय द्वारा उस संगठन को प्रभावी बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है अथवा कुछ अन्य की कि श्रम मंत्री के वित्त मंत्री के साथ बैठे होने के उपरान्त भी वह कुछ नहीं कह रहे हैं?

श्री के० आर० गणेश : मैं विवाद के गुण दोषों की विवेचना नहीं करना चाहता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मध्यस्थ की नियुक्ति करना क्यों स्वीकार नहीं कर लेते? इससे यह मामला हल हो सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री ने प्रश्नों के उत्तरों में बताया है कि श्रम मंत्री मामले पर विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह विवाद हल हो। श्रम मंत्री इस समय यहां पर उपस्थित हैं। सभी यूनियनों ने उन्हें मध्यस्थ बनाना स्वीकार कर लिया है और यदि वह मध्यस्थ बन जायें, तो समस्या सुलझ जायेगी।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार इस विषय पर विचार कर रही है और मध्यस्थता की बात पर भी विचार किया जायेगा। हमें इस पर अधिक समय नहीं लगाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है यह प्रश्न प्रतिष्ठा का नहीं है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वित्त मंत्री के नाम पर था यदि मैं किसी अन्य मंत्री को बोलने को कहूं तो यह सदन के लिए अच्छी परम्परा नहीं होगी।

श्री एस०एम० बनर्जी : यदि वह माननीय मंत्री तैयार हों।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यह एक अच्छी परम्परा नहीं होगी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
Papers laid on the table

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 601 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में प्रकाशित हुई थी । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1599/72**]

वर्ष 1972–73 के सम्बन्ध में आयात व्यापार नियंत्रण नीति

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं वर्ष 1972-73 के सम्बन्ध में आयात व्यापार नियन्त्रण नीति-खण्ड 1 और 2-की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1600-72**]

कम्पनी अधिनियम, 1956 और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) गुजरात कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद, का 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुई अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1601/72**]

(ख) तालिमनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1602/72**]

(ग) मैसूर राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1604/72**]

(घ) राजस्थान राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1605/72**]

(दो) उपर्युक्त मद (क) से (ग) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए

विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1606/72]**

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अतिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 96 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 4 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दक्षिणी राज्य (चावल के निर्यात का विनियमन) संशोधन, आदेश, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 194 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) मद्रास मोटा अनाज (निर्यात नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 290 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1607/72]**

सालार जंग म्यूजियम बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1969–70 के, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1970-71 के और विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता के न्यासधारियों को कार्यकारिणी के वर्ष के 1970-71 के वार्षिक लेखे

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सालार जंग म्यूजियम बोर्ड, हैदराबाद, के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1608/72]**

(2) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, के वर्ष, 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे के विवरण। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1609/72]**

(3) विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता, के न्यासधारियों की कार्यकारिणी के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1610/72]**

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS— CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे। प्रधान मन्त्री ने सूचित किया है कि वे कल प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात चर्चा का उत्तर देंगी।

Shri Hari Kishore Singh (Pupri) : Marxist Party has alleged that democracy is being murdered in the country. This is a baseless charge. Certain Parties gave a slogan of 'Congress Hatao' and this slogan created a climate of violence, because these parties wanted to adopt whatever means could be adopted to ourt the Congress. This slogan introduced the politics of defections. All this remeted in the loss of faith towards democratic process in the minds of people.

The way the Prime Minister led the country in 1971 and the public strengthened her hands, a new political process has taken roots and it is now hoped that perhaps Social Welfare may be possible through democratic means. Boycott of the Assembly by the Marxist Party in West Bengal is not strengthening the Parliamentary Democracy. They should join the main-stream of democracy and make it a success.

The emergence of Bangla Desh was another important event of the last year. This was imprecedented in the History of mankind. The policy of the Government in regard to Bangla Desh had been unanimously supported by this House. Therefore, it was very strange on the part of the Jan Sangh now to critise that policy.

It was fair on the part of the government that it decided that Trade with Bangla Desh would route through State Trading Corporation, unless otherwise desired by the Bangla Desh Government. I would suggest that all decisions regarding trade with Bangla Desh should be taken at Government level. Business community should not be permitted to deal directly with Bangla Desh. In order to faster their own interests, they may stant exploitation and that may cause this understandings.

The Imperialist powers had been carrying on the propoganda, specially in sundler countries of Asia that India had eyes on small neighbours. But that was totally wrong. Our policy was based on principles of peace and mutual co-operation.

Question of backward regions of our own country was also raised. There were certain parts of our country which were very backward even today. There should be a comparative survey to find out the changes that have taken place in the backward regions during the last 22 years.

The failure in this respect is due to the wrong policy of the Government. We thought that by bringing nationalization, these backward areas would be developed. But it did not happen. Setting up of heavy industries has no impact on the economic conditions of the people. The Government should take the responsibility of developing backward areas, by appointing Backward Regions Development Authority. In this respect I would like to suggest that in future ancillory industries and small scale industries should be set up along with heavy industries. It is also imperative that efforts should be made to modernise agriculture and facilities may be provided to farmers. The policy regarding providing loans to farmers should be streamlined.

Now I will say about my area. The northern part of Bihar is very backward. Although there are some Centrally Sponsoned schemes but I would urge that Bagmati Scheme may be implemented expeditionsly. The Adhwar River Scheme may also be formulated.

Secondly, the northern part of Bihar is very backward in respect of transport. Every year the floods damage the roads. The metre gauge line does not meet the requirements. I want that the whole northern Bihar may be brought under broad gauge line partionlarly the metre gauge line from Samastipur to Nahar Gunj Wia Darbhanga and Sitamadhi may be converted into broad gauge line. The road from Muzaffarpur to Nepal's boundary runing Uia Sitamadhi may be declared as National Highway.

With these words, I support the motion of thank.

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : मैं भारत-पाकिस्तान युद्ध में तथा तेलगाना आन्दोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है, सरकार कृषि, उद्योग और शैक्षणिक क्षेत्रों में क्रान्ति लाने को प्रतिबद्ध है, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा किसानों को पानी, बिजली और ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं। ग्राम विद्युतीकरण निगम का कार्य संतोषजनक रहा है, लघु उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है, हमारी प्रधान मन्त्री जी निर्धनता, अज्ञानता तथा बेरोजगारी को दूर करके एक समाजवादी समाज का निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में तेलंगाना का उल्लेख नहीं किया है, कई राजनीतिक लोग आए और चले गए, परन्तु जनता की आशाएं वैसी की वैसी ही रह गई हैं। इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री जी बहुत कुछ कर सकती हैं। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का इस सम्बन्ध में निर्णय जनता को संतुष्ट नहीं कर सका है।

तेलंगाना की जनता की पूर्ण संतुष्टि के लिए मुलकी नियम लागू करने हेतु संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। गत मध्यावधि चुनावों में हमने एक पृथक तेलंगाना राज्य के लिए तेलंगाना प्रजा समिति को बहुमत दिया। बाद में प्रधान मन्त्री के हस्तक्षेप से हमने प्रधान मन्त्री को भारी बहुमत से विजयी बनाया। अब उनका यह दायित्व हो जाता है कि वे जनता की आकांक्षाओं को समझें, वे मुलकी नियमों की क्रियान्विति के लिए संविधान में संशोधन ला सकती हैं।

कतिपय लोगों के विचार में इसमें आन्ध्र की जनता के हितों को हानि पहुंच सकती है, परन्तु अधिक संख्या में पदों का निर्माण करके सोहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाया जा सकता है।

मैं सभा का अधिक समय न लेते हुये केवल यह कहना चाहूंगा कि तेलंगाना की जनता मुलकी नियम की क्रियान्विति के लिये संविधान में संशोधन चाहती है। वैकल्पिक रूप में आन्ध्र प्रदेश का विभाजन करके पृथक तेलंगाना राज्य बनाया जा सकता है।

अब यह दायित्व प्रधान मन्त्री पर आ गया है, लोकतांत्रिक राज्य में जनता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, मेरी प्रधान मन्त्री से अपील है कि वे अज्ञानता तथा निर्धनता को दूर करने के लिये संविधान में संशोधन करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुशोर बाकुला मध्यान्ह भोजन के पश्चात अपने विचार रखेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थापित हुई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठा सीन हुए।]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Kushok Bakula (Ladakh) : Jammu-Kashmir-Ladakh are parts of India. It was acceeded to India in 1947 and now like other States it is one of them. The massive mandate, which the Congress Got, shows that 55 crores of people want to work under the leadership of Smt. Indira Gandhi and they have faith in Democracy, Socialism and Secularism.

Now Pakistan cannot harm us because we have taken its many posts in Jammu-Kashmir-Ladakh. The Prime Minister should see that we retain these posts. We had to vacate Kargil post under Tashkent agreement. Now the same history should not be repeated,

We should reconsider the question of manufacturing Atom bomb. India believes in peace but other countries want to weaken our country. I think that no country in the world should have Atomic bomb. It is irrelevant that other countries should posses Atomic bomb while India is deprived of such weapon.

I have not seen any reference of Tibet in the President's Address for the last many years. I am not in favour of war with China. But China's possession of Tibet has created a problem for India. China can create trouble at any time. So I want to know the attitude of the Government regarding the Tibet issue.

Our Foreign Minister has stated in this House that the Government would raise the question of Tibet at an appropriate time. But I want to know when such appropriate time will come. Tibetans are being exterminated and their art, culture and history are facing great danger. May I know whether the Government would take action only when Tibet is completely annibilated. Now China has become the member of U. N. O. Lakhs of Tibetans are rotting in Tibet. The Government should do something as was done in the case of Bangla Desh

Ladakh is the most backward area in every respect. A little progress has been made in the field of education. Still it needs much attention.

The Chief Minister of Jammu and Kashmir earns respect from every quarter. The people of Ladakh need their help. Ladakh is experiencing water shortage since 1969—70. So this problem must be looked into by the Government.

I am grateful to the Prime Minister for her visit to Ladakh. But I am sorry that no Central Minister has been visited that place. There is shortage of food, power and other things. The Central Government should send a team there to study the facts. There are three Tehsils namely Leh, Kargil and Janskar in Ladakh. Scheme of Hydro-electric generation may be taken up for Kargil and the work on Stakana Hydro-electric project may be expedited. The amount of stipend to be given to the students of Ladakh may be increased. It is my urge that district Ladakh may be included in the list of Scheduled tribes and Scheduled areas. Also the Ladakhi languages, which is spoken in large majority, should be included in the schedule of Constitution.

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli) : I welcome the President's address. The whole people of India have supported the socialism. It is said that Congress is ihe only party in the country which believes in socialism.

It is unforvate that even after a long period of our independence due attention has not been paid to the language and culture of the people of our country. No country can succeed in bringing about socialism, no country can make progress, if it has no language and culture of its own. Ours is a socialistic culture. But unfortunately we have not been able to adopt a clear education policy. So many Commissions were appointed but their recommendations have not been implemented fully.

In rural areas, buildings of educational institutions have become dilapidated; and this is evident that our education has constantly been neglected. No doubt, this is a State Subject but the stalemate and draw back in the field of education should be removed. If the need arises to make it a central issue we should not hasitate in taking such a decision.

The system and machinery through which we want to bring about socialism, is a total failure and we shall not achieve success in this field even after centuries together. Therefore, in order to bring about socialism, it is necessary to correct this administrative machinery otherwise we shall not be in a position to get mandate in the 1976 general elections and receive a more heavy jolt at the hands of the voters as happened in 1967 general elections.

Some foreign and international organisations functioning in our country are doing more harm to our interests. They are helping us. Government should make investigations into this matter.

It is good that the privy purses and primiledges of ex Rulers and princes have been abolished. But most of these ex-Rulers have large number of antiques and rare works of art and culture in their possession which have not been looked after properly. Now these are decaying. I request that Government should take over all these antiques from them so that they may be properly maintained. Such collections of antiques and rare works of art and culture in the possession of these Rulers should be declared national property.

Shri Pratap Singh Negi (Garhwal): I feel gratified that inorder to bring about socialism in the country, Government have started to take steps to implement "Garibi Hatao" programmes. Our Prime Minister deserves congratulations for it.

Government have conferred statehood to the backward hill areas of north eastern regions including hilly and border territories so that they may make efforts to develop themselves. But it is a matter of regret that eight hill districts of Uttar Pradesh which are still backward, have remained neglected. In 1961, a delegation of poor and landless people of Garhwal came here to see President to put before him their land problems and their poor conditions. But inspite of so many assurances given to them, their problems regarding poverty and land have not yet been solved. Even an inch of land has not been given to the landless there so far. Government should look into this matter and pay attention to solve the problems of these areas. Enough foodgrains are not produced in these hill districts, though they are very rich in natural resources, pharmacentical plants. There are rich deposits of cement stone, and abundant forest wealth. Cement factory, and Turpentine factory can very easily be established there. These areas are very thickly populated than any other hill state which has been granted full statehood in the recent past. I therefore, request that full statehood should be granted to these eight hill and border districts so that the people may make all out possible efforts to improve their economic and social conditions like other newly born hill states.

श्री देवेन्द्र सत्पथी (ढेंकानाल) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से सम्पूर्ण देश में सन्तोष, आशा और विश्वास की लहर व्याप्त हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र एक विराट परिवर्तन और उज्जवल भविष्य के लिये तैयार हो रहा है।

अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति जी ने यह ठीक ही कहा है कि हमारी सीमाओं पर अभी भी अशान्ति का वातावरण है और वहां सतर्कता बनाये रखने में ढील नहीं की जा सकती। यह बड़े ही महत्व की बात है क्योंकि हमें यही डर रहता है कि कहीं हम सहज आशावादी बातों के जाल में न आ जायें।

ऐसा कहा गया है कि हम समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परन्तु मूलत: यह आर्थिक संकल्पना है और इस दिशा में अभी बहुत सी बातें करनी बाकी पड़ी हैं। जनता में एक ऐसी नई प्रेरणा उत्पन्न करने की आवश्यकता है जिससे वे कठोर से कठोर परिश्रम करने को तत्पर हो जाएं। हमें वर्तमान प्रतिस्पर्धावादी समाज को सहकारी समाज में परिवर्तित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कठोर परिश्रम करना होगा।

राष्ट्रपति जी ने परम्परागत शक्ति की महानता का उल्लेख नहीं किया बल्कि भावना की महानता का उल्लेख किया है। यह भावना क्या है? वर्तमान संघर्ष में देश को जिस संकटपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ा था, वह मार्ग संसार को हमारी प्रधान मन्त्री ने दिखा दिया है कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। यही भावना की शक्ति है।

आज कई देशों के पास सम्पूर्ण विश्व को विध्वंस करने की शक्ति है। वे अपने देश के किसी भी कोने में बैठे एक बटन दबाकर विश्व में किसी भी देश को नष्ट कर सकते हैं।

राष्ट्रपति जी ने परम्परागत शक्ति ही नहीं, बल्कि आत्म-बल की महानता प्राप्त करने का अनुरोध किया है। यह राष्ट्र सदैव ही आत्मा का उपासक रहा है। सैनिक, आर्थिक और सामाजिक दायित्वों को निपटाते हुये, हम राष्ट्र की आत्मा और आत्म-शक्ति के प्रति भी पूर्णत: सजग रहें।

"गरीबी हटाओ" कार्यक्रम का अर्थ मात्र सम्पत्ति का वितरण नहीं है। आर्थिक सम्पदा तो सतत बढ़ते हुए उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लोगों के मन में उत्साह होना चाहिये और काम में उन्हें आनन्द की प्राप्ति होनी चाहिये।

'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम की सफलता उचित वितरण पर निर्भर करती है। अगर वितरण व्यवस्था सुस्त है, तो राष्ट्र भी सुस्त रहेगा। इसलिये एक अच्छी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। मुझे आश्चर्य है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पिछले पच्चीस वर्षों के दौरान शिक्षा की निरन्तर उपेक्षा की जाती रही है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता और लोकतन्त्र की भावना का प्रसार करना है।

अभी हाल में, हमारे देश ने नया गौरव प्राप्त किया है। इसका कारण युद्ध में हमारी विजय अथवा पाकिस्तानियों की हार नहीं, बल्कि इसका कारण है हमारे आदर्शों की विजय। इसीलिये राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हमे आत्मा की पुकार पर ध्यान देना चाहिये।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : सबसे पहले में यह कहना चाहूंगा कि दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद समाप्त हो रहा है। यह जनता की जागरूकता का प्रतीक है। जनता ने सत्तारूढ़ दल को व्यापक समर्थन दिया है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दस करोड़ आदिवासियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम मजूरी देने के बारे में कोई कानून बनाने की बात भी नहीं कही गई है। जमीन जोतदार को देने की भी कोई चर्चा नहीं है।

मैं 'गरीबी हटाओ' नारे का स्वागत करता हूं। इस नारे को अमल में भी लाया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या किया गया है ?

आंध्र प्रदेश के एक सम्पन्न जमींदार ने जो वहां के धार्मिक सम्पदा मंत्री बन गये थे, वहां के :00 मजदूरों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। न्यायालय ने उन मजदूरों के पक्ष में निर्णय दिया है। इसी प्रकार उड़ीसा में एक मन्त्री ने 2000 व्यक्तियों को बेदखल करके 6000 एकड़ भूमि हथिया ली है। बिहार में एक मंत्री के पास 23,000 एकड़ भूमि है। भूमि सुधार कार्यक्रम अथवा गरीबी हटाओ कार्यक्रम के किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है अगर मन्त्रियों के पास इतनी जमीन हो।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि संसाधनों को जुटाने के लिए ग्रामीण सम्पन्न व्यक्तियों पर कर लगाया जाना चाहिए।

विदेशी पूंजी और विदेशी एकाधिकारियों ने सहयोग का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आत्म निर्भरता के कार्यक्रम को नारे मात्र से पूरा नहीं किया जा सकता। सभी विदेशी एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। जिन विदेशियों ने 15 लाख रुपये की पूंजी विनियोजित की थी, वह 4 करोड़ रुपये से की आय पहले ही अर्जित कर चुके हैं। सभी तेल कम्पनियों, चाय बागानों और काफी बागानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र स्वाधीन आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से यह पता चला कि प्रधान मन्त्री ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के 45 वें सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी गैर सरकारी सहयोग लिया जायेगा। क्या यह समाजवाद और 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम के अनुरूप है। नारों को कार्यरूप में परिणत किया जाना चाहिए।

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : Mr. Deputy Speaker, Sir, First of all, I would like to congratulate the Prime Minister, the Defence Minister, the chiefs of staff of the three services and jawans; who have added glory to the nation's history. Now Shri Vajpayee and other leaders of the opposition say that the democracy is in danger, because these parties have got a crushing defeat. The congress party won the elections, because it fought for certain ideals. Shri Vajpayee should subject himself to self introspection and find the causes of his party's defeat.

After 1967 general elections, the congress was divided into two factions, because there were certain elements within the congress party, who always opposed socialist measures. Now the opposition parties made very much propaganda against the Prime Minister and said that the Prime Minister wanted to take the whole credit to herself. But now the people have given the whole credit to the Prime Minister by giving massive majority to her party in the assembly elections.

Now the opposition parties should support the measures to eradicate the poverty and unemployment. There is no other alternative to strengthen democracy.

I would also like to draw the attention of the Government to the backward state of

Bihar. Bihar has got natural resources in abundance, the land is fertile, the people are hard-working. but in per capita income, Bihar has gone down from 10th position to the 16th position. The country may be strong one, only when the backward areas are developed There is bureaucracy, casteism and party politics in the Bihar administration. That is why the Bihar administration is unable to bring about socialism there.

Gaya distrtct of my province is industrially backward. One cotton and one jute mill as well as two sugar mills have closed down there rendering thousands of workers jobless. All the irrigation schemes there would be completed early so that the district may raise its food grain production.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि भौतिक और नैतिक रूप से भारत ह्रासोन्मुख है। इस स्थिति के लिए सरकार ही उत्तरदायी है।

भौतिक रूप से ह्रासोन्मुख कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आई है। राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान सातवें से घटकर अब आठवां हो गया है।

अपने प्रमुख प्रतिद्वन्दी चीन की अपेक्षा हम अर्थ व्यवस्था और प्रति रक्षा दोनों ही मामलों में पिछड़ गये हैं। चीन में आज इस्पात का उत्पादन 2 करोड़ टन होता है, जबकि हमारा इस्पात का उत्पादन वहां की अपेक्षा एक तिहाई है। चीन पेट्रोलियम के मामले में आत्म निर्भर है, जबकि हम अपनी जरूरत के एक तिहाई की भी पूर्ति नहीं कर पाते। प्रतिरक्षा के मामले में चीन अणु अस्त्रों में भारी वृद्धि कर रहा है और चीन पनडुब्बियों के मामले में विश्व में तीसरी शक्ति है। इस प्रकार चीन के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा।

घरेलू आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी नहीं है। संगठित औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गति स्वाधीनता के बाद सबसे कम अर्थात 2% रह रही है।

बेरोजगारी की समस्या विस्फोटक स्थिति की ओर बढ़ रही है। पिछले वर्ष बेरोजगारों की संख्या में 24 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

रुपये के मूल्य में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मूल्य ह्रास हो रहा है। गत वर्ष के गरीबी हटाओ कार्यक्रम के दौरान जनता की गरीबी ने भयंकर रूप धारण किया है। चीनी, नमक, तेल तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओ के मूल्य बढ़े हैं।

आर्थिक विषमता निरन्तर बढ़ रही है। बड़े बड़े व्यापारी परिवारों तथा एकाधिकार वादियों के गत दो वर्ष में अधिक लाईसेंस मिले हैं। इतने लाईसेंस तो उन्हें गत दो वर्षों में भी नहीं मिले हैं। पता नहीं कि एकाधिकार आयोग इस दिशा में क्या कर रहा है।

सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एक ओर बेकारी बढ़ रही है और चीजों के मूल्य बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर सत्तारुढ़ दल निर्वाचनों में बहुत बड़ी संख्या में विजय प्राप्त करता जा रहा है।

सराब और नशीली वस्तुओं का उपयोग देश में बढ़ता जा रहा है। संभवतया यह भी 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम की एक नई पद्धति है। सत्तारुढ़ दल का गरीबी को यह संदेश है कि

गरीबी तो हटाई नहीं जा सकती अतः उसे एक प्याली शराब से विस्मृत कर देना चाहिये। शराब और कालेधन का देश में बोल बाला है और बहुत शीघ्र ही देश सामाजिक तथा राजनैतिक हिप्पियों से भरपूर हो जायेगा जो विदेशों से आने वाले हिप्पियों से भी खतरनाक होंगे।

सरकार तथा सत्तारूढ़ दल ने खुलेआम दल बदल की प्रथा चलायी है। इसके लिये निकृष्ट उपायों तथा भ्रष्ट प्रभावों का सहारा लिया जाता है। यह सरकार अपने दल के ऊंचे पदों वाले भ्रष्ट व्यक्तियों को बचाती है।

हरियाणा विधान सभा के सदस्यों की ओर से दो तीन अभ्यावेदन राष्ट्रपति जी की सेवा में प्रस्तुत किये गये थे। बाद में संसद के 11 सदस्यों ने भी जिनका समर्थन किया था। किन्तु राष्ट्रपति ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के आचरण की जांच कराने के लिए आयोग नियुक्त करना उचित नहीं समझा, किन्तु इसके विपरीत जब केवल एक ही व्यक्ति द्वारा अकाली सरकार के विरूद्ध एक ज्ञापन दिया गया तो बहुत शीघ्र ही एक आयोग की नियुक्त कर दी गई।

राजनीति इससे पहले कभी भी इस प्रकार पूर्ण रूप से कालेधन के प्रभावाधीन नहीं रही जैसी कि आज है। वास्तव में, राजनीतिक स्थिरता, जो सत्तारुढ़ दल के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, बड़े-बड़े व्यापारी तथा एकाधिकारी गृहों से सत्तारुढ़ दल द्वारा एकत्रित की गई धनराशि जो चुनावों में इस राशि में उदारतापूर्वक उपयोग किये जाने के फलस्वरूप ही स्थागित हुई है। कुछ व्यापार गृहों के विरुद्ध मामलों को छोड़ दिया गया है ?

विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवार्ता क्यों नहीं की गई, इस आयोग का गठन क्यों किया गया था ? यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो सदन को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया ? उद्योगों में 42 अपराधों के अपराधियों को कैसे क्षमा कर दिया गया ? इसमें से एक अपराध बियर उद्योग से सम्बन्धित था।

चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि भी पूंजीपतियों के हाथों में कालेधन की वृद्धि का एक सरकारी ढंग है जिससे कि उस धन में से सरकार को अच्छी खासी धन राशि मिल सके।

सरकारी उद्यमों के लिये खरीद के दुरुपयोग द्वारा तथा विज्ञापनों के माध्यम से उपहारों द्वारा भी सत्तारुढ़ दल धनराशि एकत्र कर रही है।

आज दिल्ली में तथा दिल्ली के बाहर भी यह बात सर्वविवित है कि मंत्री उपहारों के रूप में मुद्रा कमा रहे हैं और फिर भी राजनेतिक दृष्टि से समृद्ध हो रहे हैं। आप देश के चरित्र को भ्रष्ट कर रहे हैं और ऊपर से यह दावा करते हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं।

गह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि समाजवाद का नारा पुराना हो गया है और अब आत्मनिर्भरता के पुराने नारे को आर्थिक स्वराज्य की नई व्यवस्था दे दी गई है और देश को सन्तोष की एक नई किरण दिखाई गई है। सरकार ने इस अवधि के दौरान आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिये क्या किया है। कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती जिससे हमें श्रेय मिलता हो।

केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के अन्तर्गत सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनावों में व्यवस्थित रूप में हेरा फेरी की गई है। इसके लिये यदि जांच आयोग बैठाया जाये तो मामले की सत्यता पर प्रकाश पड़ सकता है। यदि सत्तारुढ़ दल ऐसा नहीं करना

चाहता तो विपक्षी दल इस मामले की जांच के लिए एक समिति बना सकते हैं। जिस ढ़ग से सरकार ने निर्वाचन कराये हैं वह***

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिये। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इन्हें कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : ठीक है। मैं तो कहता हूं** आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दीजिये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या देश के संविधान के अन्तर्गत कार्य करने वाली किसी संस्था की आलोचना करना गलत है ? मेरे विचार से ऐसा किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अनुचित शब्दावली पर आपत्ति है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह कहना कि निर्वाचन आयोग पर सरकार ने दबाव डाला है, गलत नही है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इन व्यवधानों में मुझे दिया गया समय व्यतीत हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय इस सब से प्रतीत होता है कि।**

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत नियम संख्या 352 (5) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में किसी अधिकारी के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

श्री श्यामनन्द मिश्र : मैं इसे अध्यक्ष पीठ के निर्णय पर छोड़ता हूं। जो तथ्य उपलब्ध हैं उनसे तनिक भी संशय नहीं रह जाता कि सरकार ने प्रजातन्त्र पर कुठारा घात किया है। बिहार के निर्वाचनों में अन्धेरगर्दी हुई है। वस्तुस्थिति के रूप में हमने जो कुछ देखा है, सुना है, पाया है वह मत पेटियों तथा निर्वाचन परिणामों द्वारा पूर्णतया झुठलाया गया है। बिहार में विपक्षी दलों को निर्वाचन से पूर्व प्रातः 7 बजे तथा निर्वाचन के पश्चात संध्या के 7 बजे हरा दिया गया। हमें इस बात में भी कोई सशय नहीं कि बिहार के राज्यपाल‡

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 352 (पांच) के अनुसार आप ऐसा नहीं कह सकते।

श्री श्यामनन्द मिश्र : राष्ट्रपति जी ने देश के निर्वाचनों का संदर्भ दिया है। निर्वाचन राष्ट्रपति शासन के समय में सम्पन्न हुए हैं। मुझे निर्वाचन के ढंग तथा निर्वाचन करने वालों के सम्बन्ध में कहना ही पड़ेगा।

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair

‡ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय : आप राष्ट्रपति पर अभियोग नहीं लगा सकते। **(व्यवधान)** मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह नियमों के विरुद्ध है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह अनुचित है न्यायसंगत नहीं है। मैं यह कहने जा रहा था कि राज्यपाल**

श्री समर गुह : क्या यह सच नहीं है कि बिहार में निर्वाचन राष्ट्रपति के शासन काल के दौरान सम्पन्न हुये तथा जो कुछ वहां हुआ है उसके लिये राज्यपाल उत्तरदाई हैं? जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में निर्वाचनों का संदर्भ दिया है तब एक राज्य विशेष, जहां राष्ट्रपति शासन था के निर्वाचन संदर्भ को आप किस प्रकार दूर रख सकते हैं तथा राज्यपाल के विषयक संदर्भ को किस प्रकार दूर रखा जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा तात्पर्य यह है कि संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल की अपनी एक प्रतिष्ठा है। यदि आपको उनकी आलोचना करनी है तो इसके लिए मूल प्रस्ताव लाया जा सकता है।

श्री के० मनोहरन (मद्रास-उत्तर) : आप सदन के किसी भी सदस्य को अनुशासन के रहने के लिए कह सकते हैं उसकी विचाराभिव्यक्ति की सीमा को नहीं घटा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि यदि आप इस सम्बन्ध में राज्यपाल की आलोचना करना चाहते हैं तो आपको एक प्रस्ताव पेश करना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आपको यह विदित नहीं है कि निर्वाचन करते समय कानून और व्यवस्था बनाये रखना राज्य के सिविल प्रशासन के हाथ में होता है। राज्यपाल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी है। यदि निर्वाचन में हेरा फेरी तथा धोखे धड़ी के विषय में कुछ कहना है तो और क्या कहा जा सकता है? उन्हें यही कहना पड़ेगा कि राज्यपाल ने निर्वाचन में गड़बड़ी कराने के लिए सत्तारूढ़ दल का पक्ष लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी व्यवस्था देदी है **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : आ की व्यवस्था राज्यपाल के कार्य के समान बुरी नहीं होनी चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : राष्ट्रपति के शासन काल में निर्वाचन कराते समय राज्यपाल की मुख्य उपलब्धियों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिहार में पुलिस महा निरीक्षक को दरभंग में हुये लोक सभा के उपचुनाव से चार या पांच दिन पूर्व स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस उपमहा निरीक्षक को इसलिये निलम्बित कर दिया गया कि उसने एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की थी और निलम्बन के लिये यह कारण बताया गया कि पुलिस उपमहा निरीक्षक ने सरकारी आवास खाली नहीं किया था। वह पुलिस अधिकारी अभी भी निलम्बित हैं। चम्पारण जिले के मधु बनी स्थान पर एक पीठासीन अधिकारी को एक होम गार्ड द्वारा

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

Expunged as ordered by the Chair.

पत्रों पर मुहर लगाते हुये पाया उसे गोली मार दी गई। नामर हट्टी नामक एक निर्वाचन क्षेत्र में गिनती करने वाले एक एजेंट के सामने 16000 मत पत्रों पर दोहरी मुहर लगायी गयी और अन्य सभी व्यक्तियों को निकाल दिया गया और इसका परिणाम बिल्कुल ही अलग निकला।

इस बार निर्वाचन आयोग ने एक चुनाव केन्द्र में चार मतपेटियों की व्यवस्था की थी। इससे पहले एक चुनाव केन्द्र में केवल दो मत पेटियों की व्यवस्था की जाती थी। बिहार के एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम मत पेटी में केवल 50 मत पत्र पाये गये जबकि दूसरी मत पेटी लगभग 500 मतपत्रों से भरी पायी गयी। मत पेटियां प्रदान करने सम्बन्धी नियम क्या हैं ? दूसरी मत पेटी किस समय दी जाती है।

श्री के० मनोहरन : ऐसा किस प्रकार हुआ ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जिस प्रकार हुआ में बता नहीं सकता। हमें स्वामित्व मिला है और उससे हम प्रसन्न दीखते हैं परन्तु संसदीय स्थायित्व राजनैतिक स्थायित्व की समता नहीं कर सकता। जिस राजनैतिक ढांचे की स्थापना की गई है उसका आधार बहुत ही कमजोर आर्थिक नींव पर रखा गया है और वास्तव में यह उस अर्थव्यवस्था पर आधारित है जो दिन प्रतिदिन विघटित होती जा रही है।

हमारे देश में समाजवादी असमाजवादी बना दिया गया है तथा लोकतन्त्र गैर लोकतन्त्रवादी यह हमारा स्पष्ट मत है कि इस प्रकार की स्थिति सत्याग्रह के आधार पर केवल सामूहिक कार्य-वाही से हल नहीं हो सकती और इस पर हमें कुछ न कुछ विचार करना होगा।

हम पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों की बात करते हैं। हमारे विदेश मन्त्री काबुल होकर मास्को गये हैं हमने दोनों ओर से सदैव यही सुना है कि भारत की प्रधान मन्त्री और पाकि-स्तान के राष्ट्रपति बिना किसी शर्त के वार्ता के लिये तैयार हैं। पता नहीं इस वार्ता के न होने में कौन सी बात बाधक बन रही है। अच्छा होता, यदि विदेश मन्त्री को मास्को भेजने के बजाय हम श्री भुट्टो को यहां आने का नियन्त्रण देते, ताकि वह हमारे साथ सीधी वार्ता कर सके।

युद्ध बन्दियों का प्रश्न सामने है। इस प्रश्न पर केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, अपितु मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। इन लोगों में योद्धाओं के अतिरिक्त 56 लाख अन्य व्यक्ति भी हैं। दोनों ओर से युद्धबन्दिओं की समस्या को समाधान के प्रयत्न किये जाने चाहियें।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर : प्रतिदिन यही कहा जाता है कि सरकार रूस के दबाव में कार्य कर रही है। मैत्री संधि पर जब हस्ताक्षर किये गये, तब यह कहा गया था कि भारत ने अपनी सार्वभौमिकता का सौदा कर लिया है। हमारे विदेश मन्त्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बंगला देश में पाकिस्तानी सेना के समर्पण के बाद युद्ध विराम की घोषणा करने का निर्णय हमारा अपना था। इसके उपरान्त भी विरोधी दल वही बात कहते हैं कि युद्ध विराम की घोषणा रूस के दबाव में की गयी। रूस से सन्धि, बंगला देश को मान्यता देना, पाकिस्तानी सेना का समर्पण युद्ध विराम सभी विषयों पर विरोधी पक्ष गलत प्रमाणित हुआ है। और इस सरकार ने उचित समय पर उचित निर्णय किये हैं। आज देश को पूरा विश्वास है कि देश की सुरक्षा,

उसकी सार्वभौमिकता सरकार के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित है। यह देशवासियों का अपना अनुभव है।

कुछ लोगों ने किसिंगर से पूछा कि क्या पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने की अमरीकी नीति के कारण ही भारत रूस की ओर नहीं झुक गया? किसिंगर ने उत्तर दिया कि आप भारत की प्रधानमन्त्री को नहीं जानते, वह एक दृढ़ निश्चय वाली हैं तथा किसी भी कैम्प की ओर नहीं झुकेंगी। अतः उन्होंने भी यह बात स्वीकार की है कि यह देश किसी कैम्प में भी सम्मिलित नहीं होगा।

विरोधी दलों ने यह आरोप लगाया है कि चुनावों में छल कपट का प्रयोग किया गया है। वे इस बारे में किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते रहते हैं। क्या उनका अभिप्राय यह है कि देश के समस्त भागों के चुनावों में धोखाधड़ी की गई है। यदि कुछ चुनावों में वे हार गये तो उन्हें इस अनुभव से ऐसा अनुमान नहीं लगाना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जो भी ठोस उदाहरण दिये हैं वे बिल्कुल गलत और निराधार हैं। जब कोई दल हार जाता है तो वह सरकारी तन्त्र में दोष निकालना आरम्भ कर देता है। वर्तमान विधान सभाओं के चुनावों में जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी में पूर्ण विश्वास प्रकट किया है।

'गरीबी हटाओ' कोई नया नारा नहीं है। भारतीय जनता इसे भली प्रकार जानती है और उसने यह देखा है कि युद्ध तनाव और संकट की स्थिति में भारतीय अर्थ व्यवस्था परीक्षा में खरी उतरी है और उस पर युद्ध तथा शरणार्थियों के बोझ से भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जनता यह जानती है कि देश में गरीबी व्याप्त है लेकिन उसे यह भी पता है कि यह गरीबी एक दिन में दूर नहीं की जा सकती। इसको दूर करने में समय लगेगा।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwari in the Chair.]

लोग गरीबी में रह तो सकते हैं लेकिन वह अन्याय सहन नहीं कर सकते। वे घोर असमानता और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। देश के विकास के लिए अन्याय को दूर करना पहली शर्त है।

यदि हम गांवों में न्याय की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें वहाँ भूमि का उचित और समान विवरण करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। आत्मनिर्भरता के लिये भी न्याय आवश्यक है। भारतीय पूंजी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में असमर्थ रही है। भारतीय पूंजीपति कठिनता से ही पूंजीपति है। उनमें उद्यम करने की प्रवृत्ति प्रायः समाप्त हो गई है और अछूते क्षेत्रों में प्रवेश करने की भी भावना उनमें समाप्त हो गई है।

कपड़ा उद्योगपतियों द्वारा लाखों रुपये का लाभ कमाने के बाद अब कपड़े की मिलों को बन्द किया जा रहा है।

यदि हमारा यह विश्वास है कि भारतीय पूंजीपतियों के पूंजी लगाने से आत्मनिर्भरता आ जायेगी तो यह उनका भ्रम है। भारतीय पूंजीपतियों के पास निवेश के लिये पूंजी नहीं है। जो कुछ भी पूंजी उनके पास है वह काले धन के रूप में ही है।

यही कारण है कि वे विदेशी पूंजी का भारत में आने देना चाहते हैं और उन क्षेत्रों

में प्रवेश कर रहे हैं जो सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं। ऐसे हम आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते। इससे तो हमारी अर्थ व्यवस्था पर विदेशों का और अधिक दबाव पड़ेगा।

राजस्थान का दो तिहाई भाग मरूस्थल है लेकिन उसमें बहुत अधिक क्षमता है। वहां बिजली नहीं है और सड़कें नहीं हैं। वहां देश में सबसे अधिक पशुधन है। दूध बेकार जा रहा है और उसका कोई खरीदार नहीं है। वहां पशु हैं लेकिन उनके लिये चारा उपलब्ध नहीं है। इन विडम्बनाएं को दूर किया जाना चाहिये। कलकत्ते के विकास के लिये स्वायत्त शासी दामो पर घाटी निगम हैं। इसी प्रकार राजस्थान के मरूस्थल के विकास के लिये एक स्वतन्त्र सांविधिक प्राधिकार की स्थापना की जानी चाहिये।

हमें अपने संसाधनों का उपयोग कर सर्वप्रथम मरूस्थल को दूर करने का प्रयास करना चाहिये।

श्री एस० डी० सोम सुन्दरम (थंजाबूर) : भारतीय साम्यवादी दल के एक सदस्य द्वारा श्री मुजीबुर रहमान और तामिलनाडु के बारे में जो कुछ कहा गया है वह गुमराह करने वाला है। द्रु० मु० के लोगों का देश की अखण्डता ने अन्य लोगों से कम विश्वास नहीं है। तामिलनाडु में यह दल जनता का दल हैं।

रूस सरकार के समर्थन के बिना भारतीय साम्यवादी दल भारत में एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं रह सकता। हमें स्थिति की वास्तविकता को समझना होगा। राज्य सरकार को अनुदान के मामलों में केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहना होता है। केन्द्रीय सरकार अनुदान के मामले में भेद भाव से काम होती है। स्वाधीनता से पहले राज्य सरकारों को करों की वसूली की कुछ शक्तियां प्राप्त थीं। लेकिन 1947 में स्वतन्त्रत प्राप्ति के बाद भारत संविधान में राज्य सरकारों की शक्तियों को कम कर दिया गया है। राजस्व के मुख्य स्रोत जैसे निगम कर, सम्पत्ति कर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क आयकर पर प्रभार आदि सब केन्द्रीय सरकार के हाथ में है।

अनुच्छेद 275 और 282 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देती है। इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में ऋण जमा हो जाते हैं। राज्यों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे ऋणों पर ब्याज का भी भुगतान करने में असमर्थ होते हैं।

ऋणों के विषय पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

प्रधान मंत्री न केवल केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण कर रही है बल्कि वे राजनीति दल के उच्च कमान को भी सम्भाले हुए हैं। ऐसी प्रक्रिया के कारण राज्य सरकारें व्यवहार में केन्द्रीय सरकार की प्रशासनिक एकक हो गई हैं। अत: राज्य सरकार और अधिक स्वायत्तता की मांग कर रही हैं। अत: हर बार केन्द्र तथा राज्य सरकार में बिवाद होता है।

भारत सरकार एकात्मक सरकार की तरह काम कर रही है। लेकिन वह हमेशा इस

प्रकार नहीं कर सकती ? हमे अपने सब राजनीतिक सम्बन्धों को भूल जाना चाहिये और देश की स्वतन्त्रता और अखंडता के लिये कार्य करना चाहिये ।

हमें समस्त भारत का मान-चित्र नये सिर से बनाना चाहिये । ऐसा करने पर ही देश की प्रभुसत्ता तथा अखंडता के साथ भारत के भविष्य को कायम रखा जा सकता है । मेरा सुझाव है कि नये सिरे से संविधान बनाने के लिये एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिये । जब तक नया संविधान नहीं बनाया जाता तब तक वर्तमान अनुच्छेद 263 की शर्तों के अनुसार एक अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिये जिसकी सभापति प्रधान मंत्री हों तथा राज्यों के मुख्य मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि उसके सदस्य हों ।

Shri Achal Singh (Agra) : The Prime Minister has solved the Bangla Desh problem in a very praiseworthy manner. Emergence of Bangla Desh and the return of refugees is a great tribute to the wise leadership of the Prime Minister. The Prime Minister had sent several delegations to foreign countries to tell them the about the actual happenings in Bangla Desh. But no body listened to them. At that time all the parties were of the views that recognisation should be given to Bangla Desh. But the Prime Minister did not agree and she proved to be right in that matter. After the surrender of Pakistan forces in Bangla Desh, unilateral declaration of Cease-fire was an act of great statesmanship and it has enhanced our country's prestige.

The Opposition parties did their best to defeat the Congress Party, but the Congress Party, but the Congress Party got the thumping majority in all the states including Delhi. The Congress Party is in power at present in all the states except Tamil Nadu and Orissa.

So far as the question of removing poverty is concerned, it cannot be removed in a day or two. The Government will take sometime to remove poverty.

U. P. is a backward state. The commission has recommended the establishment of oil-refinery in Agra. Agra is an international city. Some industry must be established there. Special attention should be paid to the development of backward areas.

Government should take steps removing poverty and unemployment in the country. Corruption should be removed from the administration

Some of our key public sector projects are running in loss this is perhaps due to some defects in our administration. The whole matter should be looked into and causes of their going in losses should be detected.

A member of deaths have occurred in Delhi due to consumption of bad liquor. I request that either their should be prohibition or their should be proper arrangement to prevent recurrence of such things.

श्री इन्द्र जीत मल्होत्रा (जम्मू) : जनता ने एक बार फिर प्रधान मंत्री के नेतृत्व में अपना विश्वास प्रकट किया है । जम्मू और काश्मीर की राज्य विधान सभाओं के चुनावों में समूचे राज्य में लगभग 65 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया । इस बार जनता ने चुनावों में अधिक रुचि दिखाई है ।

काश्मीर घाटी में जमाते-इस्लाम नाम का जो एक नया दल सामने आया है, वह निःसन्देह चिन्ता का विषय है ।

जम्मू और काश्मीर के राजनैतिक सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष श्री महीउद्दीन अनेक

वर्षों से इस राज्य को पाकिस्तान से मिलाने की वकालात करते रहे हैं। अब उनके विचार बदल गये हैं और उन्होंने यह कहा है कि काश्मीर के भारत के साथ मिलने की बात अन्तिम और अटल है, उनके विचारों में हुए परिवर्तन का स्वागत है। यद्यपि उन्होंने राज्य को भारत से मिलाने में अपनी आस्था प्रकट की है लेकिन वह यह कहते हैं कि राज्य को किसी न किसी प्रकार की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। द्रमुक भी राज्य स्वायत्तता की मांग करता है। लेकिन चुनाव के परिणामों से यह विदित होता है कि जनता राज्य को अधिक स्वायत्तता नहीं देना चाहती। राज्य को केन्द्र के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास होना चाहिये। इस कार्य के लिये केन्द्र और राज्यों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता है न कि अधिक राज्य की स्वायत्तता इससे पहले कि ऐसा किया जाये, प्रश्नों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। हमें युद्ध बन्दियों को यहां अपेक्षित समय से एक क्षण भी अधिक नहीं रखना है। हमें श्री भुट्टो के साथ जिस विषय पर बात करनी है वह युद्ध बन्दियों तथा बंगला देश को मान्यता देने के बारे में है ताकि अन्य सम्बद्ध समस्यायों को इस प्रकार हल किया जा सके जिससे सभी को लाभ हो।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Democracy has taken firm roots in our country. Last two elections have shown awareness among the people to strengthen democracy and take the country on the road to socialism, unity and equality.

On the eve of the elections of State Assemblies the opposition parties expected that Mrs. Indira Gandhi would not have any impact on local problems.

[**श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए।**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

If the opposition parties have free thinking and insist on the people to have healthy views about democracy, there will be a fine start of our healthy Republic.

deologies of various opposition parties were of hatred. In West Bengal an atmosphere of murder, terror, hot sabstage etc. was dominant at the time of Shri Jyoti Basa's Government. People were unhappy and therefore during the recent elections the people of West Bengal gave massive mandate to Mrs. Indira Gandhi's party.

The Jana Sangh has been routed in Madhya Pradesh in recent elections where the princes expected victory.

The ideology of the C.P.I is timely one. We have a realistic policy. People have judged our policies.

The President has said something appreciable about economic development. Our country is pre-dominantly an agricultural country, There was proposal about providing fifty per cent irrigation facilities by the end of the Fourth Five Year Plan but still 28 per cent of that has been done. Government have not given due importance to irrigation which is of fundamental importance for improving our agriculture. The Government should give top priority to irrigation in our Five Year Plans. It will help us in achieving our goal of self-generating economy. We earn 79 per cent of foreign exchange from agricultural products.

According to simple ecomony. the money earned from a particular sector should be ploughed back to that very sector. Farmers want to produce more but necessary facilities are not available to them. 20 per cent of water resources in our country is available in Madhya Pradesh but irrigation facilities are not available to the farmers. At the sometime there are inadequate rail and other transport facilities. Industries must be set up there. A Commission should be appointed to survey the natur wealth of Madhya Pradesh. A coal-

based Thermal Power Plant shodld be set up in Korba. It that is done, electricity can be supplied to U.P.. Bihar, Punjab, Haryana, Rajasthan and Maharashtra. Similarly setting up of coal based fertilizer Plant should be given high priority.

Maharani Seindia, Shri Atal Bihari Vojpayee and Shri Madhav Rao Seindia represent the three constituencies of Bhind, Gwalior and Guna respectively and these areas are dacoit infested because the decoits seek shelter in the ranines of Bhind under the patronage of the princes.

The efforts made by Shri Jaya Prakash Narain are commendable. The Government should find a permanent solution to this problem.

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat) : I rise to support the motion on President's Address.

An hon. Member from C.P.I.(M) empharised on democracy and non-violence but I could not calculate what was the reality behind his democracy and non-violence.

The hon Members from the opposition have laid much emphasis on this point as to why the whole credit during recent war has been given to the Prime Minister. The President has appreciated all the political parties and people from every walk of life for their role during the last crisis, The President has also mentioned the success of the nation in the recent war and appreciated the unity. Courage endurance and fair ideas shown by he people of the country.

The opposition should not have the least grouse against the credit earned by our Prime Minister. It is the voice of our countrymen hat the Prime Minister has shown courage and forsightedness during the recent crisis. Crores of people in the country are grateful to the Prime Minister for her leadership by which she has made the country self-reliant in every sphere of life.

An hon. Member has mentioned the delay in recognising Bangla Desh. Our Prime Minister said that recognition would be given at the appropriate time. And it was timely approach and farsightedness of our Prime Minister to recognise Bangla Desh and now about 32-33 nations have given recognition to Bangla Desh,

Our country has become self-sufficient in foodgrains and armaments.

It is true that certain financial difficulties are putting obstricles in the way of achieving self-reliance. Poverty has to be removed but it will take time. I do not believe that it will be abolished by criticising the ruling party. The slogan of removing poverty should not be criticised.

The farmers in the country work hard but inspite of their hard labour, they have to face many difficulties. Prices of agricultural products should be determined commensurating with the cost of production, labour involved and prices of other equipments so that production may increase and country proper.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I rise on a point of order. No Minister of Cabinet rank is present in the House. May I know whether it has been decided that no Miniser of Cabinet rank will be present in the House at the time of discussion on the Motion on President's Address ?

सभापति महोदय : इस बात को नोट कर लिया गया है ।

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शकरानंद) : श्री बाजपेयी को शायद पता नहीं है कि प्रधान मंत्री स्वयं कुछ मिनट पूर्व यहां उपस्थित थीं।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : जब कोई माननीय सदस्य कोई बात कहें तो उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि वह क्या कहना चाहते हैं।

उन्हें एक दूसरे दल के प्रति आलोचनात्मक शब्द नहीं कहने चाहिये।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

संसद को अपना स्तर बढ़ाना चाहिए तथा सरकारी बेचों की ओर से कोई अच्छा कार्य किया जाये तो विरोधी दलों को उसका समर्थन करना चाहिए।

मेरा अभिप्राय यह है कि हम संसद-सदस्य यदि परस्पर विरोधी बातें कहने लगेगे तो बेचारे गरीब ग्रामीणों का क्या होगा ? वस्तुतः हमें वही कुछ कहना चाहिये जिसमें हम विश्वास करते हैं और जिसका हम उदाहरण भी कर सकते हैं।

विपक्षी दल राष्ट्रपति-अभिभाषण को कुछ हिस्सों को लेकर कहते हैं कि इनमें त्रुटियां हैं। वस्तुतः तो वे स्वयं क्यों नहीं बताते कि गरीबी हटाओ नारे को अन्य क्या होगा रूप दिया जा सकता है ? गलतियां तो सभी करते हैं कोई कम करता है कोई अधिक। आईये हम सब मिल कर ऐसा कोई ढंग निकालें कि ऐसी बद दयानतदारी सदन की न की जाये। केवल हम पर ही जाली मत डलवाने का आरोप मत लगवाइये जरा अपने गिरहबान में तो भी झांक कर देखिये।

चुनाव युद्ध जीतने के पश्चात हमने बन्दूकों वाला युद्ध भी जीता है और अब हल भुखमरी और गरीबी के साथ युद्धरत हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो जून खाना नही नहीं मिलता ऐसे लोगों के लिये कुछ करना क्या थोथा नारा है ? मैं चाहता हूं कि सारे देश में एक समान सिंचाई प्रणाली के लिये एक मास्टर प्लान बने और इसी प्रकार देश भर में सड़कें बिछाई जायें। हर स्थान पर पर उद्योग हों तथा सर्वत्र ही 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का अनुकरण किया जाये। जहां बड़ी परियोजनायें हैं वहीं के लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाये। इससे लोगों में विश्वास उत्पन्न होगा। आज के भारत का रूप भिन्न है। आज हमें देश की हर मानवीय मांग पूरी करनी होगी।

बंगला देश केवल एक नया देश ही नहीं है बल्कि वहां ऐसी स्थिति भी है जहां निर्धन और असहाय लोगों का धनिक वर्ग द्वारा शोषण किया जा रहा है। हमारे यहां भी ऐसी स्थिति है। उदाहरणार्थ छोटा नागपुर और संथाल परगना में अनेक बड़े-बड़े उद्योग होते हुए भी वहां के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हमें ऐसी स्थिति को समाप्त करके लोगों को शोषण से मुक्त करना है। छोटा नागपुर में अधिकांशतः आदिवासी लोग रहते हैं और कानून के अनुसार कोई गैर आदिवासी किसी आदिवासी की भूमि अपने नाम नहीं करा सकता परन्तु फिर भी ऐसे अनेक मामले हुए हैं क्योंकि इस अधिनियम में त्रुटियां हैं। इस अधिनियम की धारा 49 के अधीन आदिवासी लोगों को धर्मार्थ, धार्मिक, भिक्षा, औद्योगिक आदि हैं उद्देश्यों के लिये अपनी भूमि पर हस्तान्तरण करने की अनुमति हैं तथा किसी गैर आदिवासी को वहां उप-आयुक्त ने यह भूमि लेने

की अनुमति है । अब आदिवासियों ने बड़ी बड़ी सभी परियोजनाओं के लिये अपनी भूमि दी है । परन्तु उन्हीं कारखानों में उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं । वे अपने ही घर में शरणार्थी बनकर रह गये हैं । इसके अतिरिक्त उनकी भूमि को लेकर क्रिया चल कर ऊंचे दामों पर भी बेचा जा रहा है । हम यह चीज सहन नहीं कर सकते । हमने इस बारे में वहां के मुख्य मंत्री को बताया तो उन्होंने जांच होने तक मुआवजा देना बन्द करा दिया । और फिर क्या हुआ ? मुआवजे की अदायगी के समय उन आदिवासियों को शराब पिलाई गई और धोखा धड़ी करके बहुत थोड़े थोड़े पैसे दिये । एक पुजारी को तो 13,900 के स्थान पर केवल 900 रुपये ही दिये । क्या यही गरीबी हटाओ अभियान है ? सरकार को चाहिये कि यदि वहां का उपयुक्त कर अन्य कोई प्राधिकारी ठीक से कार्य नहीं कर पाता है तो उसे वहां से हटा दिया जाये । सदस्यों के एक सामान्य परिवार को भी आज कम से कम 450 या 500 रुपये प्रतिमास की आवश्यकता है जबकि उसे केवल 100 रुपये या उससे कम ही प्राप्त हो रहा है । यदि सरकार उसकी आय 500 रुपये कर देती है तब तो गरीबी हटे वरना केवल नारे बाजी से क्या होगा :

श्री मती इन्दिरा गांधी के सुयोग्य नेतृत्व के कारण आज कांग्रेस दल को लोगों ने भारी समर्थन किया है । प्रधान मंत्री ने भी समय पर बड़े जबरदस्त क्रान्तिकारी कदम उठाकर देश को एक नई दिशा दी है । लोगों को उनके नेतृत्व में विश्वास है ।

अन्त में मैं कहूंगा कि आदिवासियों संबंधी तथा ताना भगत भूमि की वापसी संबंधी समस्याओं को हल किया जाना चाहिये । जिन आदिवासियों से भूमि छीन ली गई है वह उन्हें वापस मिलाई जानी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का दिल से समर्थन करता हूं ।

Shri Rudra Pratap Singh (Barabunki) : I heartily support and welcome the Presidential Address delivered in connection with the activities of democratic, secular and socialist Government led by a great leader Smt. Indira Gandhi.

Sir, the people of India have all faith, and they shown it too in last mid-term and recent Legislative Assembly polls by giving thundring majority to the Congress led by Mrs. Indira Gandhi, that the Congress would by its novel socialistic policies and principles, bring in stable social justice in the conntry and would uproot the economic imbalances thereby leading the country to development and prosperity and also would fetch the country an ever cherished international prestige.

First of all the Government, by amending the Constitution, removed the distinction of citizenship in the country by abolishing the privy purses system of the ex-rulers. And now we urge upon this Government to set up a class-less and caste-less ocniety in the country in case they really want to bring in true socialism here. We should encourage inter-cast marriages and give equal status and practically equal treatment to our Harijan and other backward communities. No citizen of India should be allowed to have a pre-fix or a suffix to his name which may denote his caste or community.

I am glad that the Government intend to implement land reform programmes quite speedily but this should be done uniformly on all India basis. The land thus available after ceiling should be distributed among the weaker, Harijan and backward section of our society.

Ours is an agricultural country and we have to boost up our agricultural activities to become self-sufficient. For this purpose we will have provide the farmers with irrigation facilities and also fertilisers and new productive seeds on easy terms. Then a ceiling of 3 lakhs should be imposed on urban property; that too will be a great step towards bringing in true socialism.

For 'Samajwad' Government will have to step forward themselves in the industrial field and also will have to bring big industries under their control by nationalisation; and then put that income for the development of the nation and for removing economic instances. Let the Government recollect that the people, during the recent mid-term elections had asked for nationalisation of sugar industry, I hope the Government will fulfill that hope and save the poor farmers from the clutches of rich exploiters.

It is true that Smt. Indira Gandhi is determined to bring in socialism in the country but the hureacracy is a great hindrance in the way. That should be dealt with effectively.

Let me congratulate the Prime Minister for her successful and effective foreign policy which has brought us friendship and all honour from the international quarters. Particularly in Asia. We now rank very high.

As regards the opinion expressed by the opposition friends here, I take it that they do want that our policies should progress, but that they have all doubts about it. But I request them to be a little bit patient and see.

With these words I support the motion.

कार्य-मंत्रणा समिति
Business Advisory Committee

9 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं कार्य मत्रणा समिति का नवां प्रतिवेदन पेश करना चाहता हूं।

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu): The President has made a motion of Important issue which we come across during the last 12 months. His address makes a specific reference to the bravery and valour of Indian soldiers which brought us unique, international honour and pride. Now over the great powers of the world have started calling us a strong country.

Shri Vajpayee complained of centralisation of power in the country, but he should know that is the will of people and the opposition parties only are responsible for all this. It was their irresponsible behaviour and conduct that aroused the people of India to give massive mandate to the Congress party.

Although the President has made a reference to many things, still I point out a form other things. First of all I want that the production-trade should be nationalised since the farmers are not setting their due even today. The present policy of the Government concerning foodgrains is defective and therefore, very harmful to the farmers. So this whole thing should be nationalised.

We have repeatedly asked for a drastic change in our educational system but nothing is coming concrete before us. Thirdly, the development of the backward areas should be taken up forthwith. There should a Commission to look after the famine and flood affected areas on all India basis.

Finally, I want that a review should be made about the working and centralisation of power in Village Panchayats, Samities and Zila Parishads. Panchayats and Co-operative Societies should be self sufficient units and each should represent a population of 10 to 15 thousand.

With these words I support the motion of thank on the Presidential Address.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 4 अप्रैल 1972/15 चैत्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

She Lok Sabha then adjoured till Eleven of the Clock on Tuesday, Apirl 4, 1972 Chaitra 15, 1894 (Saka)

Ashoka Pninting Work, Modinagar